ISSN-0971-8397

योजना

मास्क अप इंडिया

सितम्बर 2021 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

नारी शक्ति

प्रमुख आलेख

स्त्री-हत्या की रोकथाम

डॉ रंजना कुमारी

फोकस

मासिक धर्म–एक मानवीय मुद्दा

अंशु गुप्ता

विशेष आलेख

स्वयं सहायता समूह

डॉ के के त्रिपाठी

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती महिलाएं : मनोवैज्ञानिक पक्ष

प्रो आर सुब्रमण्यन

आत्मनिर्भर नारीशक्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अगस्त, 2021 को 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रमोट किए गए महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्यों/सामुदायिक संसाधन सदस्यों के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए इस संवाद कार्यक्रम के दौरान देश भर में स्थित महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की सफलता की गाथाओं के एक संग्रह के साथ-साथ कृषि आजीविका के सार्वभौमिकरण पर एक पुस्तिका का भी विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

प्रधानमंत्री ने 4 लाख से भी अधिक एसएचजी को 1,625 करोड़ रुपये की पूंजीकरण सहायता राशि भी जारी की। इसके अलावा उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमएफएमई (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकरण) योजना के तहत 7,500 एसएचजी सदस्यों के लिए सीड मनी के रूप में 25 करोड़ रुपये और मिशन के तहत प्रमोट किए जा रहे 75 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को फंड के रूप में 4.13 करोड़ रुपये जारी किए।

प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में अभूतपूर्व सेवाओं के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मास्क एवं सैनिटाइज़र बनाने और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने तथा जागरूकता फैलाने में उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं में उद्यमिता का दायरा बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी और अधिक भागीदारी के लिए रक्षा बंधन से पहले 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को एक बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और दीन दयाल अंत्योदय योजना से ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 42 करोड़ से अधिक जन धन खाते हैं, जिनमें से करीब 55 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्ज लेना आसान बनाने के लिए ये बैंक खाते खोले गए।

शेष कवर 3 पर...

योजना

वर्ष : 65
अंक : 09

सितम्बर 2021
भाद्रपद-आश्विन, शक संवत् 1943

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 68

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

संस्कृति The Complete Administrative Culture S. No.: 01/YH/21 IAS SANSKRITI PUBLICATIONS

वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : डी के सी हृदयनाथ
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-65** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष : 011-24367453**
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

@DPD_India
@dpd_india

इस अंक में

प्रमुख आलेख

स्त्री-हत्या की रोकथाम
डॉ रंजना कुमारी 6

फोकस

मासिक धर्म-एक मानवीय मुद्दा
अंशु गुप्ता 12

आपदा के दौर के अनुभव
अंजलि ठाकुर 16

विशेष आलेख

स्वयं सहायता समूह
डॉ के के त्रिपाठी
डॉ एस के वाडकर 20

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती महिलाएं : मनोवैज्ञानिक पक्ष
प्रो आर सुब्रमण्यन, डॉ सी कुबेंद्रन, डॉ ए जयचित्र 26

देश का नाम रोशन करतीं महिला खिलाड़ी
संजय श्रीवास्तव 31

नारीवादी वैचारिकी और साहित्य
आलोक श्रीवास्तव 35

लैंगिक न्याय
डॉ सुभाष शर्मा 40

बालिका संरक्षण
दीपशिखा सिंह 44

एमएसएमई में महिलाएं
फ़ैज़ असकरी 53

पुलिस और सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी
रेखा नांबियार 56

भारतीय खिलौना उद्योग में महिला
राय सेनगुप्ता 60

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ 30

स्तन कैंसर की जांच के लिए बेहतर नवाचार
निमिष कपूर 48

नियमित स्तंभ

विकास पथ
आत्मनिर्भर नारीशक्ति कवर-2

क्या आप जानते हैं?
हथकरघा क्षेत्र में महिलाएं 55

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 18

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in

पूर्वोत्तर अंक काफी ज्ञानवर्धक रहा

योजना का पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आधारित जुलाई अंक काफी ज्ञानवर्धक रहा, जिसमें सभी विभिन्न आलेखों में लेखकों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई। प्रमुख आलेख में मिज़ोरम पर विशेष सामग्री दी गई है जो जानकारियों से परिपूर्ण है। मिज़ोरम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। परंपरागत कृषि प्रणालियों की जगह बाज़ार-अनुकूल क्लस्टर खेतों को अपना कर हल्दी, मिर्ची, चाय और अदरक जैसे अधिक फसलों पर ध्यान दिया जाना वहां के कृषि क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा। बागवानी में मिज़ोरम का विशेष स्थान और महत्व है। यहां का रोचक तथ्य यह है कि 85 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है। यह भारत की मुख्य भूमि से सिर्फ 22 किमी चौड़े गलियारे से जुड़ा हुआ है जिसे सिलिगुड़ी गलियारा कहा जाता है। इस गलियारे को छोड़कर देश का समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर अब केंद्रीय मंत्री नियमित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता और सामर्थ्य है। अंक की प्रस्तुति के लिए योजना टीम को धन्यवाद।

– प्रीति श्रीवास्तव
अनिनि, अरुणाचल प्रदेश

पूर्वोत्तर में बढ़ती संभावनाएं

वैसे तो हमारा देश विविधताओं से भरा है लेकिन बात पूर्वोत्तर की जाए तो एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य की छवि दिमाग में जरूर आती है। यहां की संस्कृति शान्ति का अनुभव कराती है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कृषि, शिक्षा, संगीत, सिनेमा, विज्ञान खेल आदि जैसे क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है लेकिन अभी भी कुछ बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटन उद्योग, कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिकता कम हो रही है। इसके लिए सरकारें अकादमिक कोर्सेज के तहत कौशल विकास की शिक्षा प्रदान करें। वैश्विक स्तर पर डिजाइनर और उपभोक्ताओं के मध्य एक बेहतरीन कनेक्शन हो इसके लिए डिजाइनरों को उनकी संस्कृति को गहराई से समझना सरकार के माध्यम से ही संभव है तथा यहां की बढ़ती संभावनाएं दुनियाभर में प्रासंगिक होंगी। योजना 'जुलाई' अंक के पूर्वोत्तर का कलेक्शन बहुत ही शानदार रहा जिससे पूर्वोत्तर को समझने में काफी मददगार साबित हुआ।

– कल्पना विश्वकर्मा
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

चिरप्रतीक्षित अंक

चिरप्रतीक्षित विषय 'लोक प्रशासन' पर योजना का अगस्त अंक देखकर काफी प्रसन्नता हुई। महात्मा गांधी के जंतर, जिसमें उन्होंने कहा था कि "मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहं तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी अपनाओ, जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसका चेहरा याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे या विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा? यह शब्द हमेशा लोक सवकों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। इस जंतर का संपादकीय तथा कुछ आलेखों में उद्धरण अच्छा लगा। सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के लिए रणनीति को वी पलानीचाम ने अच्छी तरह समझाया है। इसके अलावा भारतीय प्रशासन तंत्र पर प्रो श्रीकृष्ण देव राय का आलेख, सुभाष शर्मा का आलेख प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति, मीनाक्षी गुप्ता, हर्ष वी पंत और देविका चावला के आलेख भी उल्लेखनीय थे। प्रेम पाल शर्मा जी के "भर्ती और प्रशिक्षण के मूल प्रश्न" नामक आलेख सटीक सवालों और समाधानों से परिपूर्ण है।

अंक की प्रस्तुति के लिए योजना टीम को बधाई तो बनती ही है।

– शरद कुमार
उज्जैन, मध्य प्रदेश

आपकी राय का पृष्ठ पाठकों के विचार और उनकी टिप्पणियां 'योजना' टीम से साझा करने के लिए ही है। अपने पत्र हमें ईमेल करें–

yojanahindi-dpd@gov.in

पर या लिखें - वरिष्ठ संपादक, 648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

योजना के आगामी अंक

अक्टूबर 2021 - 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी'

आज ही अपनी प्रति निकटतम पुस्तक विक्रेता के पास सुरक्षित कराएं।

शीघ्र आ रहा है- 'पंचायती राज' पर केंद्रित अंक

अनुकूल माहौल ज़रूरी

इस अंक के लिए लेख लिखवाने के लिए जब हमने एक लेखिका से संपर्क किया तो उन्होंने अपने कॅरिअर व प्रोफेशन के चयन और कुशलता का जिक्र करते हुए कहा कि उनके महिला होने का उनके प्रोफेशन से कोई संबंध नहीं है। उनकी बात एकदम वाजिब थी। महिलाएं अब अपनी योग्यता 'साबित करने' के लिए कोई प्रोफेशन नहीं चुनतीं, बल्कि वे यह 'साबित करती हैं' कि तमाम अड़चनों के बावजूद वे ऐसी योग्यताएं और कौशल हासिल कर लेती हैं जो उनके पुरुष सहयोगियों से ज़रा भी कम नहीं होते। जिस तरह कुछ काम को केवल पुरुषों के करने लायक मानना पूर्वाग्रहपूर्ण है, उसी तरह महिलाओं को उनके पुरुष सहयोगियों से बेहतर मान लेना भी एक तरह का भेद-भाव ही है। इससे अकसर मानववाद और स्त्रीवाद के बीच वाद-विवाद छिड़ जाता है, जहां एक ओर तो सबके लिए समानता और समान अवसर जुटाए जाने का पक्ष है तो दूसरी ओर स्त्रियों को, पुरुषों की तुलना में, ऊंचे आसन पर बैठा देने का भाव आ जाता है।

लेकिन हम समानता की बात कैसे कह सकते हैं जब एक कन्या को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, उसे कुपोषित रहने दिया जाता है, स्कूल जा कर शिक्षा लेने का अवसर नहीं दिया जाता, उसे अध्ययन और अपनी पसंद का कॅरिअर चुनने के अवसर नहीं दिए जाते तथा लड़कों की बराबरी का जीवन नहीं जीने दिया जाता? इन तमाम बातों में अगर स्त्री को एक बात से भी वंचित रखा जाता है तो उसका सामाजिक बराबरी का अवसर छिन जाता है। इसलिए 'महिला सशक्तीकरण' का मुद्दा सामने आता है – ठीक उसी तरह, जैसे समाज के अन्य वंचित वर्गों के सशक्तीकरण की बात आती है। इसलिए यह सवाल 'औरत के कमज़ोर होने' का नहीं है, बल्कि 'सामाजिक ताने-बाने के कमज़ोर' होने का है।

अभी-अभी समाप्त हुए ओलंपिक खेलों के दौरान, महिला खिलाड़ियों ने अपनी कथाएं साझा कीं कि क्यों वे अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर जिंदगी चाहती थीं और क्यों उनके परिवारों ने संघर्षों तथा गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए खेलों का रास्ता चुना। इसी ओलंपिक में ऐसे भी वाकये आए जब महिला खिलाड़ियों ने पदक हासिल करने की दौड़ के ऊपर अपने मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह दी। इससे हमें पता चलता है कि मुश्किलों को स्वीकार कर पाना और कड़े फैसले ले पाना भी सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम है। हर दौड़ में आगे होना अथवा हर बार शिखर पर होना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बार गिर कर संभलना और ज़्यादा ताकत और नए संकल्प के साथ खड़े हो जाना भी महत्वपूर्ण है। खेलों की दुनिया से मिलने वाले ये सबक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उतने ही सटीक हैं।

इस अंक में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की गाथाएं हैं। साथ ही, उन हालात की भी जानकारी दी गई है जो उन्हें, खास तौर से महामारी के इस दौर में, समाज तथा कार्यस्थलों पर झेलनी पड़ती हैं। मासिक धर्म के दौरान साफ-सफ़ाई तथा गरिमा बनाए रखने जैसे बुनियादी मुद्दों पर चर्चाएं अब मात्र 'औरतों के मुद्दों' पर चर्चाएं नहीं रह गई हैं, अब यह बड़े मानवीय मुद्दों से जुड़ गई हैं। साथ ही, सुरक्षा का वातावरण बनाना विकास और प्रगति के अवसरों की समानता का बुनियादी मानदंड बन गया है। दुर्भाग्य से, स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव हमारे चारों ओर व्याप्त है – खास तौर से असंगठित क्षेत्र में। चाहे वेतन में समानता की बात हो, चाहे महिलाओं के भविष्य में मातृत्व अवकाश पर जाने से संबंधित पूर्वाग्रह हों, चाहे साक्षात्कारों के दौरान पूछे जाने वाले ऐसे सवाल हों कि बच्चा होने पर कॅरिअर पर किस तरह रुकावट आएगी – भेदभावों का यह सिलसिला अंतहीन है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतियोगिता में सबके लिए एक जैसा माहौल होना ज़रूरी है और नीति-निर्माताओं को इस बारे में सोचना होगा। व्यवस्था में ऐसे प्रावधान करने और जहां ज़रूरत हो, वहां हल्का-सा सहारा देने से ऐसा अनुकूल माहौल बन सकेगा जिसमें महिलाएं आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। ■

स्त्री-हत्या की रोकथाम

डॉ रंजना कुमारी

समूचे भारत में स्त्री-पुरुष असमानता बड़े पैमाने पर व्याप्त है। हज़ारों महिलाओं को परिवार के साथ-साथ समाज में भी व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कोविड महामारी ने भी महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, इस दौरान उन्हें घरेलू हिंसा, अंतरंग साथी द्वारा हिंसा, यौन उत्पीड़न, बालिकाओं को शिक्षण संस्थानों से निकालना तथा बाल विवाह/कम आयु में विवाह की घटनाओं में वृद्धि, आर्थिक विरक्तता, नौकरी छूटना, पुरुषों का महिलाओं के कार्य-क्षेत्रों में प्रवेश और घरेलू कामकाज तथा देखभाल के साथ घर पर रहकर नौकरी या व्यवसाय के काम की दोहरी जिम्मेदारी आदि से जूझना पड़ा है। समूचे क्षेत्र और दक्षिण एशिया में जहां दुनिया की आबादी का पांचवां हिस्सा बसता है, महिलाओं पर हिंसा के प्रति चिंता बढ़ रही है। हिंसा, या हिंसा का खतरा, जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के जीवन के हर पहलू में व्याप्त है।

एक अनुमान के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों की एक-तिहाई महिलाओं को अपने पूरे जीवन में हिंसा सहनी पड़ती है और महिलाओं के प्रति हिंसा को पारिवारिक संरचनाओं, व्यापक सामाजिक-आर्थिक ढांचे और सांस्कृतिक तथा धार्मिक परंपराओं के बहाने संस्थागत रूप दे दिया जाता है। यह कपटपूर्ण हिंसा, व्यापक रूप से महिलाओं को नियंत्रित करने का एक स्वीकृत तरीका है, जिसकी कानून लागू करने वाली एजेंसियां अनदेखी करती हैं। तीन में से एक महिला (35 प्रतिशत और दुनिया भर में एक अरब से अधिक) ने अपने जीवनकाल में किसी न किसी रूप में हिंसा सही है। कोविड-19 महामारी ने जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को और दयनीय किया है, इससे महिलाओं के प्रति हिंसा अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई है।

स्त्री-हत्या की परिभाषा

स्त्री-हत्या शब्द को मूल रूप से महिलाओं की हत्या के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन समय के साथ इसे महिला होने के कारण उन्हें मारने की घटना को अंजाम देने को निरूपित करने के लिए अनुकूलित किया गया। इस अर्थ में स्त्री-हत्या को उसके प्रति द्वेष और पूर्वाग्रह से प्रेरित समझा जाता है। स्त्री-हत्या माने जाने वाले किसी मामले के लिए, अपराध को अंजाम देने का एक निहित इरादा होना चाहिए और यह प्रदर्शित होना चाहिए कि महिला होने के नाते उसके प्रति अपराध किया गया। महिलाओं के प्रति कई अपराध जिन्हें स्त्री-हत्या माना जा सकता है, उनमें यौन हत्याएं और घरेलू या पारिवारिक हिंसा तथा सांस्कृतिक या संस्थागत हिंसा से होने वाली मृत्यु शामिल है। 2020 में महिलाओं के प्रति अपराधों में 53 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। लॉकडाउन के दौरान ऐसे मामलों की संख्या प्रति माह 1411 से बढ़कर 2165 हो गई है। भारत में, कोविड से मृत्यु दर पुरुषों में 2.9 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं में 3.3 प्रतिशत रही है। समूचे भारत में, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग यानी झूठी शान के लिए हत्या, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात, शिशुहत्या, घरेलू हिंसा और डायन-शिकार (विच हंटिंग) सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई रूप स्त्री हत्या की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यह लेख घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और कन्या भ्रूण की स्थिति में गर्भपात पर केंद्रित है।

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा समूचे भारत में होती है और इसे महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही पारिवारिक जीवन के एक वैध हिस्से के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं। परिवार संस्था, भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और देश के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के केंद्र में है। हालांकि, कई महिलाओं के लिए परिवार एक सुरक्षित और सुरक्षात्मक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि यह महिला-पुरुष भेदभाव के व्यापक स्वरूप को मजबूत करता है और महिलाओं को नियंत्रित करने तथा उन्हें अधीन करने के तरीके के रूप में हिंसा को वैध बनाता है। सबसे हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच 34 प्रतिशत महिलाओं ने 15 साल की उम्र के बाद और 37 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने हिंसा का सामना किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और अंतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामलों की संख्या दोगुना हो गई है। बड़ी संख्या में महिलाओं के प्रति

लेखिका सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली में निदेशक हैं। वेबसाइट: www.csrindia.org. Twitter: @CSR_India

हिंसा, विशेष रूप से घरेलू हिंसा के मामलों की सूचना न दिए जाने को देखते हुए, घर के भीतर हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं की वास्तविक संख्या काफी अधिक मानी जाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 92.9 प्रतिशत मामले अदालतों में लंबित हैं। भारत में हर साल अंतरंग साथी या रिश्तेदारों द्वारा मारे जाने वाली महिलाओं की संख्या अज्ञात रहती है। हालांकि, घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति हिंसा के सबसे आम तरीकों में से एक है और इसलिए इसे पूरे देश में स्त्री-हत्या के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। कई महिला कार्यकर्ता आत्महत्या के मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाती हैं और दलील देती हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध के कई मामले परिवार के सदस्यों और पुलिस द्वारा दबा दिए जाते हैं और हत्या के बजाय आत्महत्या बता दिए जाते हैं।

महिलाओं के प्रति कई अपराध जिन्हें स्त्री- हत्या माना जा सकता है, उनमें यौन हत्याएं और घरेलू या पारिवारिक हिंसा तथा सांस्कृतिक या संस्थागत हिंसा से होने वाली मृत्यु शामिल है।

दहेज हत्या

दहेज प्रथा भी महिलाओं के साथ भेदभाव को मजबूत करती है और इससे संबंधित अपराध भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दहेज के कारण मौत के मामलों की सालाना संख्या 7000 को पार कर गई है। हर घंटे एक महिला दहेज हत्या की शिकार हो जाती है। दहेज एक सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को नकद और उपहार देता है। मूल रूप से यह अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करने वाले नए जोड़ों की सहायता करने के लिए था। हालांकि, भारत में प्रचलित पितृसत्ता और बढ़ती आर्थिक मांगों ने दहेज को व्यावसायिक लेन-देन में बदल दिया है, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आधारित है। महिलाओं के प्रति यह हिंसा अक्सर तब बढ़ जाती है जब कोई परिवार शादी के बाद बड़े दहेज की मांग करता है या उन्हें मिले दहेज से असंतुष्टि दिखाता है। हालांकि दहेज अवैध है, फिर भी यह पूरे देश में प्रचलित है और महिलाएं लगातार इससे संबंधित हिंसा झेलती आ रही हैं। दहेज से संबंधित मौतों का संबंध विवाह के समय महिलाओं की उम्र, उनके शिक्षा स्तर और जनसंचार माध्यमों से उनके संपर्क से होता है। भारत में कम महिला साक्षरता दर, बाल विवाह की उच्च दर और जनसंचार माध्यमों तक कम पहुंच वाले राज्यों में आमतौर पर अधिक दहेज मृत्यु होती हैं। विशेष रूप से महामारी के दौरान, बाल विवाह और कम उम्र में विवाह के मामलों में वृद्धि हुई है। लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड लाइन (1098) ने लगभग 898 बाल विवाहों के आयोजन पर रोक लगाई है।

लिंग चयनात्मक गर्भपात

समूचे दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत में कन्या भ्रूणहत्या, पितृसत्ता और कुप्रथा की सीमा को उजागर करती है। विशेष रूप से यह, हिंसा का एक कपटी रूप है क्योंकि यह लड़कियों को केवल इसलिए पैदा होने से रोकता है क्योंकि वे लड़कियां हैं। कन्या भ्रूण की स्थिति में गर्भपात की प्रथा पूरे क्षेत्र में बढ़ रही है और इसके परिणामस्वरूप भारत में हर साल लगभग 600,000 लड़कियां जन्म ही नहीं ले पातीं हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि चयनात्मक गर्भपात के कारण 2030 तक पूरे भारत में जन्म लेने वाली कन्याओं की अनुमानित संख्या 6.8 मिलियन कम दर्ज की जाएगी। आधुनिक तकनीकों की उपलब्धता बढ़ने से परिवार इसका पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की का है या लड़के का है और कन्या भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात कराने का विकल्प चुन लिया जाता है। पिछले दो दशकों में अनुमानित 10 मिलियन कन्या भ्रूण होने के कारण गर्भपात कराया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, यह मानसिकता शिक्षित

सीएसआर

जेंडर, जल और जलवायु परिवर्तन

दुनिया भर में महिलाएं और लड़कियां अनुमानतः प्रतिदिन पानी ढोने में 200 मिलियन घंटे लगाती हैं।

और मध्यमवर्गीय परिवारों में अधिक प्रचलित है। हालांकि, जैसे-जैसे लिंग-निर्धारण तकनीक की उपलब्धता बढ़ी है, निम्न-वर्ग और ग्रामीण समुदायों के बीच भी यह प्रचलन बढ़ा है।

स्त्री की प्रतिक्रियाएं

दहेज मृत्यु और कन्या भ्रूण की स्थिति में गर्भपात के मामले समूचे भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की आदत को दर्शाते हैं, लेकिन भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति हिंसा तथा स्त्री-हत्या को रोकने और पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। नए कानूनों और नीतियों के साथ-साथ कानून लागू करने वाली एजेंसियों और प्रबुद्ध समाज समूहों के बढ़ते सहयोग से हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले में सहायता लेने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा, कानून के कार्यान्वयन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे दोषसिद्धि की दर को बढ़ाने और महिलाओं के प्रति अपराधों को कम करने में सहायता मिल रही है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में विवाह के लिए पूर्व शर्त के रूप में किसी भी रूप में दहेज मांगने और देने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी/पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व तकनीकों के उपयोग पर रोक लगाता है। कई राज्यों ने कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठों की शुरुआत की है। ऑनर किलिंग को सीधे तौर पर रोकने वाला कोई कानून नहीं है लेकिन ऐसे अपराध के मामलों में भारतीय दंड संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है। महिला संगठन भी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं और हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। देश भर में कई गैर-सरकारी संगठन महिलाओं के लिए परामर्श, कानूनी सहायता और आजीविका कार्यक्रम चलाते हैं ताकि वे अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। यह महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के समानांतर है। भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। गोवा में और एक कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य की प्रतिनिधि परिषद की सीटों में लगभग आधी, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी का परिणाम है कि गोवा को नई दिल्ली और मुंबई दोनों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, संसद में महिला सदस्यों के प्रतिशत के मामले में वर्ष 2020 में, भारत 193 देशों में 142 वें स्थान पर था। 2019 में 78 यानी 14.4 प्रतिशत महिला सांसद चुनी गईं। महिला मतदाताओं की संख्या 2014 की 47 प्रतिशत से 2019 में बढ़कर लगभग 48 प्रतिशत हो गई। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या स्वतंत्रता के बाद 70 से अधिक वर्षों के बाद 11.2 प्रतिशत है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी/पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व तकनीकों के उपयोग पर रोक लगाता है। कई राज्यों ने कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता प्रकोष्ठों की शुरुआत की है। ऑनर किलिंग को सीधे तौर पर रोकने वाला कोई कानून नहीं है लेकिन ऐसे अपराध के मामलों में भारतीय दंड संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है।

इन प्रयासों के बावजूद समूचे भारत में स्त्री-हत्या जारी है। कानून, हिंसा के शिकार लोगों की सैद्धांतिक रूप से रक्षा कर सकता है, लेकिन कई मामलों में कानून में उल्लिखित दंड कमज़ोर हैं। इसके अलावा, इन कानूनों का कार्यान्वयन सीमित रहता है और कई मामलों में स्त्री-हत्या को रोकने या इस हिंसा के अपराधियों पर मुकदमा चलाने में उसे अप्रभावी पाया जाता है।

राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की कमी पूरे भारत में स्पष्ट है और विधायी, नीतिगत तथा कार्यक्रम स्तर पर वास्तविक कार्रवाई नहीं हो पाती है। स्त्री हत्याओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने या महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्त्री-हत्या के लिए प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सहयोग देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

स्त्री-हत्या पर रोक लगाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण

खासकर महिलाओं के साथ भेदभाव को देखते हुए स्त्री-हत्या को रोकना बेहद मुश्किल है। वास्तव में महिलाओं के प्रति हिंसा भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में अंतर्निहित है। स्त्री-हत्या के प्रति प्रतिक्रिया व्यापक होनी चाहिए और मजबूत कानून, लिंग-संवेदनशील कानून प्रवर्तन नीतियों तथा प्रोटोकॉल का विकास और कार्यान्वयन, जमीनी स्तर पर जागरूकता, हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और परिवारों की सहायता और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य 5:
महिला-पुरुष समानता हासिल करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाना।

घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि

30 प्रतिशत तक

कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से महिलाओं और लड़कियों के लिए जोखिम बढ़ा

आईए, हम सब मिलकर महिलाओं और लड़कियों के प्रति हर प्रकार की घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए काम करें।

स्रोत : यूएन

सीएसआर

एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत महिलाओं और लड़कियों ने किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन परेशान करने वाली हरकतों का सामना किया

इसकी वजह से हर 5 महिलाओं में से 1 ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करना या तो बंद कर दिया या कम कर दिया।

यह सर्वेक्षण, प्लान इंटरनेशनल द्वारा किया गया

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून और कानूनी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है और हिंसा के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए मजबूत कानून का होना भी अहम है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैधता और उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कानून आवश्यक है। हालांकि, केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में कुछ प्रयास किए गए हैं कि महिलाओं के हित में कानून प्रतीकात्मकता से आगे बढ़ें और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। हिंसा को समाप्त करने के लिए धन और बुनियादी ढांचे की कमी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है क्योंकि महिलाओं के प्रति हिंसा को कम करने और उनके अधिकारों के लिए बजटीय आवंटन कम होता है। इससे कानून प्रवर्तन निकाय महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम और कानून लागू करने के लिए आवश्यक गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं को धन आवंटित करने में सरकारी एजेंसियों की विफलता का मतलब है कि कानून के बारे में जागरूकता और समझ की कमी आम जनता के साथ-साथ कानून प्रवर्तन निकायों में भी है। इस कानून के कार्यान्वयन की निगरानी भी महत्वपूर्ण है।

पुलिस कर्मियों का संवेदीकरण

महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक ऐसे अपराधों के लिए कानून लागू करने वाले कर्मियों की कार्रवाई है। कई मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण की कमी के कारण पुलिस को महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित कानूनों की बहुत कम समझ होती है, वे हिंसा के मामलों में अपने कर्तव्यों से अनजान होते हैं और कार्रवाई में पूर्वाग्रह तथा भेदभाव की सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होते हैं।

घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न या दहेज हत्या के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करने सहित इन पर कार्रवाई में पुलिस की विफलता आम है। इस प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने से यह समस्या और जटिल हो जाती है। इन कारकों के साथ-साथ महिलाओं में हिंसा के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया से महिलाओं में आत्मविश्वास कम हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप हिंसा बढ़ती है और स्त्री-हत्या का खतरा बढ़ जाता है। हिंसा के मामलों से निपटने से संबंधित पुलिस नीतियों और प्रक्रियाओं को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस बारे में प्रोटोकॉल बनाए जाने चाहिएं ताकि पुलिस अधिकारियों को जानकारी हो कि जब महिलाएं अपराधों की शिकायत करती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। इन प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके अलावा, महिलाओं के साथ भेदभाव के ढांचे को तोड़ने, पुलिस में महिला-अनुकूल संस्कृति विकसित करने और महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं को हिंसा से बचाने वाले कानूनों के बारे में पुलिस को महिलाओं के प्रति संवेदीकरण प्रशिक्षण देना अनिवार्य होना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून और कानूनी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है और हिंसा के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए मजबूत कानून का होना भी अहम है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सामाजिक तथा सांस्कृतिक वैधता और उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कानून आवश्यक है।

सीएसआर

क्या कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है या आपके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है

तो चिंतित न हों!

इसकी सूचना गृह मंत्रालय के - ''नेशलन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दें''

महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं में वृद्धि

हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था नहीं है और कई मामलों में, संसाधनों की कमी का मतलब है कि महिलाएं हिंसा सहने के लिए मजबूर हैं। सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत आश्रय गृहों की संख्या बढ़ाकर और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करके बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जो महिलाएं हिंसक परिस्थितियों से बचकर बाहर आना चाहती हैं उनके लिए सुरक्षित वैकल्पिक आवास, चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक-सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। सहायता सेवाएं महिलाओं को उनके अधिकारों और उन्हें हिंसा से बचाने वाले कानूनों के बारे में भी शिक्षित कर सकती हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में उनकी सहायता कर सकती हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता-निर्माण कार्यक्रम आवश्यक हैं। वर्तमान में, केवल लगभग 1 प्रतिशत महिलाएं ही दुर्व्यवहार के मामले की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और कई को उन्हें हिंसा और उत्पीड़न से बचाने वाले उनके अधिकारों या कानूनों की जानकारी नहीं है।

पितृसत्ता से छुटकारा

भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्ता और कुप्रथाओं के निवारण के बिना स्त्री-हत्या को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने, समुदाय के नेताओं के साथ संबंध बनाने और महिलाओं के अधिकारों पर शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों से महिलाओं को हिंसा की स्थिति में उनके अधिकारों और उन्हें उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इनसे पुरुषों को भी हिंसा करने के परिणामों के बारे में आगाह किया जा सकेगा और उन्हें यह बताया जा सकेगा कि उनका अमुक व्यवहार सामाजिक रूप से अस्वीकार्य और कानून का उल्लंघन दोनों है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यक्रम बनाते समय पितृसत्ता की संस्कृति को ध्यान में रखा जाए ताकि शिक्षा अभियान, समाज में बालिकाओं और महिलाओं के महत्व को उजागर करें और महिलाओं के प्रति पुराने दृष्टिकोण को महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता से बदला जा सके। भारत तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है और पारंपरिक संस्कृतियों तथा प्रथाओं को नया आर्थिक तथा सामाजिक जामा पहनाया जा रहा है। अधिक से अधिक भारतीय महिलाएं शिक्षित, स्वतंत्र नागरिक के रूप में उभर रही हैं और अपने अनुकूल नए भारत का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा और स्त्री-हत्या में वृद्धि को आंशिक रूप से इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में और पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को फिर से स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, महिलाओं के अधिकारों के महत्व और फायदों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं और गैर-सरकारी संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों से सहायता लेने के लिए महिलाएं अधिक सशक्त बन रही हैं। आशा की जा सकती है कि सरकार तथा प्रबुद्ध समाज की कार्यवाही और सहयोग के साथ, भारतीय महिलाएं इस बढ़ती हिंसा से उबरेंगी और भारतीय समाज का एक प्रभावशाली हिस्सा बनेंगी। ■

स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने, समुदाय के नेताओं के साथ संबंध बनाने और महिलाओं के अधिकारों पर शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों से महिलाओं को हिंसा की स्थिति में उनके अधिकारों और उन्हें उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इनसे पुरुषों को भी हिंसा करने के परिणामों के बारे में आगाह किया जा सकेगा और उन्हें यह बताया जा सकेगा कि उनका अमुक व्यवहार सामाजिक रूप से अस्वीकार्य और कानून का उल्लंघन दोनों है।

सभी देशवासियों को
75 वें स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएँ
जय हिंद
आज़ादी का अमृत महोत्सव
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
"देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव कोटि-कोटि भारतवासियों का पर्व है, जिसमें पूरे भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आज़ाद भारत की गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। यह आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के विकास की रूपरेखा और संकल्प के लिए प्रेरणा लेने का अवसर है।"
- नरेन्द्र मोदी
davp 22201/13/0010/2122
कण-कण में, हर धड़कन में... पहले देश
#AmritMahotsav
क्यूआर कोड स्कैन करें और आज़ादी के अमृत महोत्सव में भाग लें

YH-1636/2021

मासिक धर्म–एक मानवीय मुद्दा

अंशु गुप्ता

महिलाएं हमारे समाज में कई तरह की 'सुदृढ़ रचनात्मक' भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे परिवार की देख-भाल, खेती-किसानी, उद्यमी, कार्यकर्ता, और शिक्षाप्रदाता। हालांकि, उन्हें पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। क्या मासिक धर्म महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है या मानवीय मुद्दा? महिलाओं की गरिमा को उनके मासिक धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है? महिलाओं की पोषण ज़रूरतों और अंतर्वस्त्रों की अनुपलब्धता का उनकी मासिक धर्म संबंधी ज़रूरतों से क्या रिश्ता है? इस महामारी ने मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ी दिक्कतों को समझने और उन्हें दूर करने का मौका मुहैया कराया है।

कोरोना ने जहां दुनिया भर में पहले से हाशिए पर मौजूद करोड़ों महिलाओं की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुश्वारियों को उजागर किया है, वहीं यह भी तय है कि इन महिलाओं को अपने अस्तित्व और गरिमा के लिए अब और कठिन संघर्ष करना होगा। झुग्गियों, दूर-दराज़ के गांवों, जनजातीय इलाकों, युद्ध वाले क्षेत्रों में रहने को मजबूर इन महिलाओं पर कोरोना लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चोट पहुंची है। इनमें यौनकर्मी, जनजातीय समुदाय की महिलाएं, प्रवासी कामकाजी महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं और अन्य महिलाएं शामिल हैं। हमारी संस्था गूंज दो दशक से भी ज्यादा से मासिक धर्म और महिलाओं से जुड़ी अन्य चुनौतियों को लेकर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के इस दौर में यह चुनौती और विकराल रूप में नज़र आ रही है।

मानवाधिकार से जुड़ा है मासिक धर्म का मुद्दा

महिलाएं हमारे समाज में कई तरह की 'सुदृढ़ रचनात्मक' भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे परिवार की देख-भाल, खेती-किसानी, उद्यमी, कार्यकर्ता और शिक्षाप्रदाता। हालांकि, उन्हें पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। क्या मासिक धर्म महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है या मानवीय मुद्दा? महिलाओं की गरिमा को उनके मासिक धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है? महिलाओं की पोषण ज़रूरतों और अंतर्वस्त्रों की अनुपलब्धता का उनकी मासिक धर्म संबंधी ज़रूरतों से क्या रिश्ता है? इस तरह के कई सवाल भारत में मानसिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य प्रबंधन (एमएचएम) और इससे संबंधित विमर्श का हिस्सा नहीं हैं। क्या मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य प्रबंधन महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के मोर्चे पर मौजूद चुनौतियों को व्यापक रूप से दूर करने का बेहतर साधन है? इस महामारी ने मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ी दिक्कतों को समझने और उन्हें दूर करने का मौका मुहैया कराया है। भारत में मासिक धर्म को लेकर ठीक तरीके से नीति पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है और कोविड-19 महामारी ने इससे जुड़ी गड़बड़ियों की तरफ भी इशारा किया है। इससे यह भी पता चला है कि इस मोर्चे पर कहां ध्यान देने की ज़रूरत है? कहां बदलाव के लिए पहल की जानी चाहिए। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस

लेखक दिल्ली स्थित संस्था गूंज के संस्थापक, सामाजिक उद्यमी और मैगसेसे पुरस्कार विजेता हैं। ईमेल: mail@goonj.org, Twitter: @anshugoonj

मामले में महात्मा गांधी के जंतर का सहारा ले सकते हैं : आप उस सबसे गरीब और कमज़ोर महिला/पुरुष का चेहरा याद कीजिए जिसे आपने देखा है, इसके बाद खुद से पूछिए कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या वह उसके के लिए किसी तरह से उपयोगी है। क्या उसे इस कदम से किसी तरह का लाभ होगा? क्या इस कदम से उसके जीवन और किस्मत को बेहतर बनाया जा सकेगा? मासिक धर्म से जुड़ी नीति के मामले में भी इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की जा सकती है। इस मसले पर काम कर रहे संगठनों को महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी जरूरतों से परे जाकर इस बारे में व्यापक ढंग से समझने, उनकी ताकत, योगदान आदि की कहानियां सुनने और नीति निर्माताओं को तमाम पहलुओं से अवगत कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

गूंज में हमारा फोकस कपड़े पर रहा है जो मासिक धर्म संबंधी ज़रूरतों के लिहाज़ से भी बेहद अहम है। ज़ाहिर तौर पर यह महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। हमें अब मासिक धर्म को एक मानवीय मुद्दे के तौर पर समझते हुए इसे भोजन, दवा, पानी आदि की तरह प्राथमिकता सूची में रखना चाहिए।

कपड़े और मासिक धर्म : गूंज की यात्रा

गूंज ने इस मसले पर तकरीबन दो दशक पहले काम करना शुरू किया था। उस वक्त हमने महसूस किया कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण महिलाओं के बीच सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद आसानी से उपलब्ध नहीं है। गूंज ने सबसे पहले चेन्नई में सूनामी आपदा के दौरान इस पर काम करना शुरू किया। उस वक्त संस्था ने चेन्नई में सूनामी आपदा की वजह से इकट्ठा हुए कचरे पर काम करना शुरू किया था। वहां के आसपास की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं ने कचरे में मौजूद कपड़ों को छांट कर पैड बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन महिलाओं ने सबसे पहले खुद ही पैड को आज़माया। इस छोटे से 'व्यावहारिक प्रयोगशाला' से कपड़ा वाला पहला मोटा पैड 'माई पैड' तैयार हुआ। शहरों में मौजूद लोगों के लिए पैड का मतलब सिर्फ बाज़ार के पैड से था, लेकिन इन महिलाओं ने नए तरह का पैड तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। इस सिलसिले में हम पिछले दशक से अभियान चला रहे हैं, जिसे हमने 'नॉट जस्ट पीस ऑफ क्लोथ–सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं' नाम दिया है। इस पहल के तहत हमने 'माई पैड' बनाने के लिए शहरों में मौजूद अतिरिक्त कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस कपड़े का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल पैड बनाया जाता है। मासिक धर्म और इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर हमने महिलाओं की बातचीत सुनी और इसके आधार पर हमें रणनीति तैयार करने में मदद मिली। इसके तहत हमने जागरूकता फैलाने के साथ सस्ते में इस तरह के पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हम वंचित समुदायों के बीच 'माई पैड' का इस्तेमाल मानसिकता और व्यवहार स्तर पर बदलाव करने वाले साधन के तौर पर करते हैं। इन समुदायों में आपदा

प्रभावित महिलाएं, यौनकर्मी, प्रवासी मजदूर आदि शामिल हैं। हमारी 'चुप्पी तोड़ो बैठकें' समस्याओं को सुनने, खुले संवाद और कार्रवाई के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गईं। पिछले कई सालों में ऐसी हज़ारों बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में हम अस्वास्थ्यकर गतिविधियों के बारे में जानकारी और जागरूकता मुहैया कराते हैं। साथ ही, महिलाओं को यह भी बताया जाता है कि घर में कपड़े का पैड किस तरह बनाया जा सकता है। साल 2005 से अब तक 18 लाख वर्गमीटर से भी ज्यादा सरप्लस सूती कपड़े को 'माई पैड' में बदला जा चुका है, जबकि मासिक धर्म के दायरे में आने वाली 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं, लड़कियों को 'माई पैड' उपलब्ध कराया जा चुका है। इस पैड को 2-3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाज़ा यह आंकड़ा बढ़कर 3.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। साल 2015 से अब तक, इन बैठकों के ज़रिये हम 2 लाख 26 हज़ार लोगों तक पहुंच चुके हैं। साथ ही, 3 लाख अंतर्वस्त्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह पैड सस्ता और आसानी से उपलब्ध है और दूर-दराज़ के इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोगों को यह उपलब्ध हो पाता है। दूर-दराज़ के इलाकों में इस पैड की उपलब्धता नहीं होने पर गोबर, बालू, राख आदि विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। दरिंगाबाड़ी (ओडिशा) की रहने वाली 'कोई' जनजाति की एक महिला ने हमें 'चुप्पी तोड़ो बैठक' में बताया, ''हम आज भी खेतों में काम करने के दौरान या

इस मसले पर काम कर रहे संगठनों को महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी जरूरतों से परे जाकर इस बारे में व्यापक ढंग से समझने, उनकी ताकत, योगदान आदि की कहानियां सुनने और नीति निर्माताओं को तमाम पहलुओं से अवगत कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कपड़ा नहीं मिलने पर शाल के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। औसतन हर औरत के पास इस्तेमाल के लिए दो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं। हम उनका इस्तेमाल महीनों तक करते हैं। कभी-कभी यह सिलसिला साल भर तब तक चलता है, जब तक कपड़ा फट नहीं जाता।'' कई महिलाएं साल में एक बार कपड़ा खरीदती हैं और कई परिवारों को कपड़ा खरीदने के लिए अब भी स्थानीय महाजन से कर्ज़ लेना पड़ता है। गूंज का मॉडल मासिक धर्म के दायरे में आने वाली महिलाओं को इस तरह से प्रेरित करता है, ताकि वे अपनी आधारभूत समस्याओं का खुद से समाधान कर सकें। समुदाय की अगुवाई में स्थानीय आधारभूत परियोजनाओं पर भी काम हुआ है, जैसे कि बाथरूम का निर्माण, पैड के निपटारे के लिए डस्टबिन की सुविधा आदि। ऐसी गतिविधियां व्यवहार और मानसिकता बदलने में बेहद कारगर हैं।

दरिंगाबाड़ी (ओडिशा) की रहने वाली 'कोई' जनजाति की एक महिला ने हमें 'चुप्पी तोड़ो बैठक' में बताया, ''हम आज भी खेतों में काम करने के दौरान या कपड़ा नहीं मिलने पर शाल के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। औसतन हर औरत के पास इस्तेमाल के लिए दो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं। हम उनका इस्तेमाल महीनों तक करते हैं। कभी-कभी यह सिलसिला साल भर तब तक चलता है, जब तक कपड़ा फट नहीं जाता।'' कई महिलाएं साल में एक बार कपड़ा खरीदती हैं और कई परिवारों को कपड़ा खरीदने के लिए अब भी स्थानीय महाजन से कर्ज़ लेना पड़ता है।

मासिक धर्म और आपदा राहत कार्य

पिछले दो दशकों में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात आदि आपदाओं के दौरान काम करते हुए हम देशभर में लगातार कपड़े से जुड़ा अभियान चला रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर लोगों की ज़रूरत है। हमारे आपदा राहत कार्य के बाद यह भी पता चलता है बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों के साथ खड़े होने के लिए हम प्राकृतिक आपदाओं का इंतजार नहीं कर सकते।

दुर्भाग्य से, आपदा के वक्त में ही बड़े पैमाने पर कपड़ों का संग्रह और वितरण हो पाता है, जबकि कई लोगों को पूरे साल कपड़े की ज़रूरत होती है। आपदा के वक्त यह ज़रूरत कई गुना बढ़ जाती है। पहनने के लिए और कपड़ों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के साथ-साथ महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साफ कपड़ा मिलना मुश्किल होता है। मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को लेकर जागरूकता की कमी से यह समस्या और जटिल हो जाती है। हमने इस समस्या को अपने काम के शुरुआती दौर में भांप लिया था और एमएचएम को अपने राहत अभियान का ज़रूरी हिस्सा बनाया। साथ ही, इसे पुनर्वास संबंधी प्रयासों का भी हिस्सा बनाया गया। हमारे तमाम आपदा राहत किट में पैड, ज़रूरी राहत का अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के मुताबिक, शहरी इलाकों के 15-24 साल के आयु वर्ग में 42 प्रतिशत लड़कियां हर महीने कपड़े के पैड पर निर्भर हैं। कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान आपूर्ति शृंखला खत्म हो गई और हमने देखा कि किस तरह से कपड़े का टुकड़ा मासिक धर्म की ज़रूरतों से निपटने में प्रभावी रहा। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक तकरीबन 70 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी महिलाएं हैं, लेकिन पीपीई किट से उनकी मासिक धर्म संबंधी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों मसलन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अन्य केंद्रों में मरीज़ों और उनकी देखभाल करने वाली स्वास्थ्यकर्मियों को मासिक धर्म संबंधी उत्पादों की उपलब्धता नहीं है। इस महामारी में मासिक धर्म संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति को स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों का हिस्सा बनाए जाने की ज़रूरत है।

मासिक धर्म-अनसुनी आवाज़ें और छूटे हुए मुद्दे

जब हम मासिक धर्म की बात करते हैं, तो इससे जुड़ी कई चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। इन चुनौतियों को मासिक धर्म संबंधी

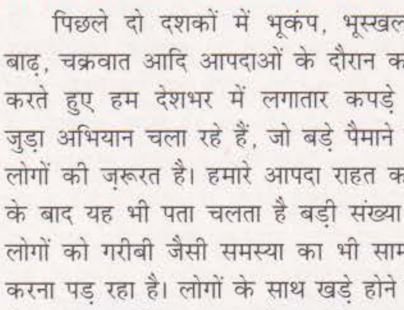
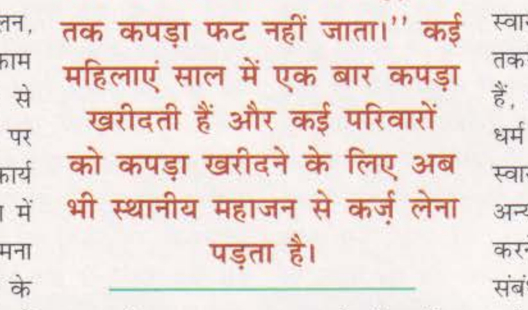
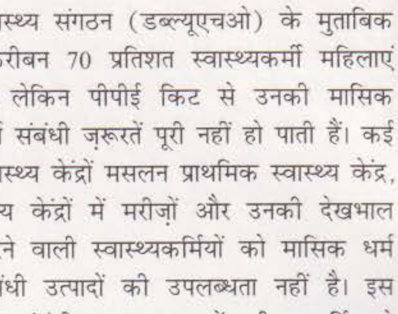

स्वास्थ्य प्रबंधन के दायरे में लाकर निपटाने की ज़रूरत है। देश की तकरीबन 1.8 करोड़ दिव्यांग महिलाओं, अनुसूचित जाति की 50 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं, 6.5 करोड़ प्रवासी महिलाओं, 20 लाख यौनकर्मियों और कई अन्य के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराकर मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और वित्तीय चुनौतियों से निपटा जा सकता है। ज़ाहिर तौर पर वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है। इन उपायों के ज़रिये मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

इस उदाहरण पर गौर करें। दिव्यांग लड़कियों के माता-पिता डॉक्टर की सलाह पर अपनी बेटी के गर्भाशय को हटाने के बारे में सोचते हैं, ताकि मासिक धर्म शुरू होने पर स्वच्छता संबंधी समस्याओं और यौन उत्पीड़न का शिकार होने पर उसे गर्भाधान से बचाया जा सके। किसी आपदा के बाद, पैड, एकांत जगह, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि के अभाव में मासिक धर्म की समस्या दूसरी आपदा बन जाती है। दूसरी ओर, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अपने पूरे जीवन में पोषण की कमी, शिक्षा, कम उम्र में बच्चा पैदा होने आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रवासी और भूमिहीन महिला श्रमिकों (खेतों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिलाएं) को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्हें गंदे और अस्वास्थ्यकर माहौल में रहना पड़ता है। वे सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करती हैं। मासिक धर्म की चुनौतियों से निपटने को लेकर किया जा रहा काम व्यापक और समावेशी होना चाहिए। साथ ही, इस सिलसिले में हमारे समाज के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद महिलाओं की दिक्कतों को ध्यान में रखना ज़रूरी है।

मासिक धर्म-पर्यावरण पर प्रभाव और निरंतरता

गूंज ने मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य प्रबंधन पर समग्र तरीके से काम किया है- इससे जुड़ी शर्म और चुप्पी की संस्कृति से निपटने से लेकर सफाई से जुड़ा आधारभूत ढांचा तैयार करने के साथ-साथ पोषण की समस्या को दूर करने, कपड़े का इस्तेमाल समेत कई मोर्चों पर हमने काम किया है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों की रिपोर्ट के मुताबिक, एक जोड़ी जीन्स पहनने के लिए 2,000 गैलन पानी की ज़रूरत होती है। दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कपड़े और जूते-चप्पलों के उत्पादन की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2000-2014 के दौरान, कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया है और हर सेकेंड में तकरीबन एक ट्रक कपड़े का कचरा जलाया या इकट्ठा किया जाता है। कपड़ा उद्योग में अतिरिक्त उत्पादन प्रदूषण की बड़ी वजह है। हालांकि, बड़े स्तर पर कपड़े के पैड का निर्माण कर इसे अवसर में बदला जा सकता है। बोस्ट कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और ग्लोबल फैशन एजेंडा द्वारा 2017 में तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, छोड़े गए सभी कपड़ों में सिर्फ़ 10 प्रतिशत को रीसाइकल किया जाता है और 8 प्रतिशत का फिर से इस्तेमाल होता है। ऐसे 57 प्रतिशत कपड़ों को कचरे में भेजा जाता है। दूसरी ओर, इस्तेमाल कर फेंके जाने वाले पैड को खत्म होने में 400 से 800 साल लगते हैं। मैंचेस्टर विश्वविद्यालय, ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद पर प्राथमिकता के स्तर पर काम नहीं किया गया, तो अगले 50 साल से भी कम में भारत के पास एक और कचरे की बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। मासिक धर्म की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावसायिक बाज़ारों ने अपने उत्पाद पेश किए, लेकिन इसमें कपड़े को दरकिनार कर दिया गया, जो मासिक धर्म संबंधी चुनौतियों से निपटने का पुराना तरीका है। इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश में मासिक धर्म से जुड़े उत्पाद के कचरे का ढेर पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। कपड़े या फिर से इस्तेमाल करने लायक पैड के उपयोग को बढ़ावा देना एक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है।

निष्कर्ष

पिछले दो दशकों में भारत में मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य प्रबंधन (एमएचएम) को लेकर काफ़ी काम हुआ है और नीतिगत मोर्चों और बॉलीवुड की थीम के माध्यम से इस पर बात हुई है। दूसरी ओर, एक सामान्य शख्स के लिए यह जैविक प्रक्रिया और व्यक्तिगत समस्या है। मासिक धर्म को लेकर शीर्ष नीतिगत स्तर और जमीनी स्तर पर स्थितियों में अंतर होने की वजह से इस मुद्दे को ज़्यादा व्यापक तरीके से देखने की ज़रूरत है। यह केवल मासिक धर्म की ज़रूरतों से जुड़े उत्पाद की पहुंच और उपलब्धता का मुद्दा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मासिक धर्म पर बातचीत में लोग सहज नहीं हैं। इसको लेकर महिलाओं और लड़कियों के बीच शर्म और चुप्पी की संस्कृति है, इसलिए वे निःसंकोच और स्वास्थ्यकर तरीके से इसका प्रबंधन नहीं कर पाती हैं। इस व्यापक और जटिल मुद्दे के समाधान के लिए हमें इसे महिलाओं का मुद्दा मानने के बजाय मानवीय मुद्दे के तौर पर स्वीकार करना होगा। साथ ही, यह भी समझना होगा कि इसका संबंध गरीबी, लैंगिक असमानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपदा, जलवायु परिवर्तन, विकास और आधारभूत ढांचा से भी है। एक मानवीय मुद्दे तौर पर हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इसका संबंध मानवीय गरिमा और मासिक धर्म के दायरे में आने वाली वंचित महिलाओं और उनकी समस्याओं से है। ■

आपदा के दौर के अनुभव

अंजलि ठाकुर

"मैं नहीं चाहती की महिलाओं का पुरुषों पर अधिकार हो, मैं चाहती हूं कि उनका स्वयं पर अधिकार हो।" – मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ए विंडीकेशन ऑफ दि राइट्स ऑफ विमन (1792)। **शताब्दियों के बाद भी यह कथन एकदम सत्य प्रतीत होता है। अपनी पसंदों, अधिकारों, शरीरों और निर्णयों के प्रति महिलाओं का सशक्तीकरण और स्वायत्तता उनकी अपनी प्रगति के साथ-साथ देश-समाज के टिकाऊ विकास के लिए भी ज़रूरी है। दुनिया की आधी आबादी होने के बावजूद, महिलाएं अपने मूल अधिकारों से भी वंचित हैं।**

स्त्री-पुरुष समानता एक मूलभूत मानव अधिकार है और यह एक शांतिपूर्ण, समृद्ध तथा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए भी बुनियादी महत्व की धारणा है। लैंगिक/यौनिक हिंसा के उग्रतम रूपों की जड़ें रोज़मर्रा के जीवन में पितृसत्ता से जुड़े भेदभाव और उन विमर्शों में होती हैं जो हमारे व्यावसायिक, शैक्षणिक, सरकारी और सामाजिक संस्थानों में पनपते हैं। स्त्रियां अपने परिवारों, समुदायों और पितृसत्ता-मूलक समाजों में अनेक दिक्कतें और पराधीनताएं झेलती हैं। ये पितृसत्तात्मक मूल्य स्त्रियों की गतिशीलता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओं- यहां तक कि गरिमामय तथा समतापूर्ण जीवन तक उनकी पहुंच से भी उन्हें वंचित करते हैं।

महिलाओं अथवा लड़कियों के लिए सही स्थान पाना और सशक्त महसूस करना तो दूर की बात है, उनके लिए तो हिंसा अथवा विषम सामाजिक स्थितियों का शिकार होने पर मदद का कोई स्रोत अथवा शरण-स्थल पाना भी दूभर हो जाता है। भारतीय कानूनी प्रणालियों की कथनी और करनी के अंतर महिलाओं के लिए दूसरी चुनौतियां हैं। देश के क़ानूनों में महिलाओं/बालिकाओं को संरक्षण देने के प्रावधान हैं पर जमीनी स्तर पर इनके पालन और लागू किए जाने की स्थितियां बहुत खराब हैं। लेकिन, अनेक सामाजिक संस्थाओं ने सरकारी नीतियों की मदद से इन बेज़ुबान महिलाओं की आवाज़ को उठाना और उनकी मदद करना शुरू किया है।

महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा उन ढर्रों और सामाजिक मॉडलों के कुचक्र में निहित है जो हिंसा को स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थितियों को रोकने की व्यवस्थाएं हिंसा को समाप्त करने तथा महिलाओं/बालिकाओं को सजग तथा आत्म-निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ताकि वे अपनी मददगार सेवाओं का सहयोग पा सकें और अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय ले सकें।

शक्ति शालिनी तथा दिल्ली के सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर समुदायों के बीच कार्यरत ऐसी ही संस्थाएं महिलाओं को कौशल-संपन्न बनाने और उनमें स्त्री होने के सम्मान की चेतना जगाने का प्रयास कर रही हैं ताकि वे हिंसा को बिलकुल बर्दाश्त न करें और उनका सशक्त, संवेदनशील तथा अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने वाला व्यक्तित्व उभर सके।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न समुदायों में सीखने और आगे बढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि महिलाओं का मजबूत व्यक्तित्व बने और वे अपने जीवन की स्वयं ज़िम्मेदारी ले सकें। यह कार्यक्रम सम्बद्ध महिलाओं की मनोव्यथाओं के जख्म भरने, उन्हें मजबूत बनाने, उनका आत्मविश्वास और स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित करने में भी मदद करता है।

शक्ति शालिनी संस्था 1987 से जमीनी स्तर पर स्त्री-पुरुष समानता कायम करने के

लेखिका शक्ति शालिनी में ऑपरेशन्स लीड हैं। ईमेल: anjali.thakur@shaktishalini.org

प्रयास कर रही अग्रणी संस्था है। 1970 और 1980 के दशक के नारीवाद (फेमिनिज्म) ने इसके कामकाज को प्रेरित किया। 30 वर्ष से अधिक की इस यात्रा में, शक्ति शालिनी ने लंबी यात्रा तय की है और लैंगिक/यौनिक हिंसा झेल चुकी महिलाओं की मदद करके उन्हें अपने निर्णय लेने में समर्थ बनाती है, उन्हें स्वतंत्र तथा आत्म-निर्भर बनाती है।

इस संगठन का विजन ऐसे सिद्धांतों पर आधारित विश्व बनाना है जहां व्यक्ति को इतनी गरिमा मिले कि वह हिंसा को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करने के लिए खड़ी हो सके। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए अब तक 15 हज़ार से अधिक महिलाओं की मदद की गई है। संगठन का उद्देश्य ऐसे विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान करना है, जिस विश्व में राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक और शैक्षिक ढांचों तथा सामाजिक-आर्थिक स्वरूप की हदों को समेटते हुए समता, सुरक्षा, निजता, गरिमा, स्वास्थ्य तथा देखभाल और करुणा के मूल्यों के आधार पर समाज अपने सभी कार्य करे।

पिछले डेढ़ वर्ष में ऐसे संगठनों ने कोविड-19 महामारी की बड़ी चुनौती को झेला है। इस महामारी ने हम सब के जीवन पर असर डाला है और जिन महिलाओं की हमने मदद की है, उनके जीवन तथा हमारी परियोजनाओं को भी प्रभावित किया है। जिन महिलाओं को हम संकटों से बाहर लाए हैं, उनकी आगे मदद जारी रखने के लिए हमें चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाली नई हेल्पलाइन चलाने की ज़रूरत महसूस की। ऐसी महिलाएं घरों में फंसी थीं और कभी-कभी तो वे या तो रात में सबके सो जाने के बाद, या तड़के सबके जागने से पहले ही संपर्क कर सकती थीं। देश भर में ऐसी महिलाओं तक पहुंच पाने के लिए हमारे संगठन ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रयास किए। मदद के हमारे प्रयास इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए क्योंकि कोविड नियमों के चलते पुलिस अधिकारी अब हमारी पहले जैसी मदद नहीं कर पा रहे थे। आने-जाने की रुकावटों की वजह से हमारी काउंसिलरों और पीड़ित महिलाओं तक पहुंच भी मुश्किल हो रही थी। इन समस्याओं से पार पाने के लिए हमें अपनी सभी सेवाएं ऑन-लाइन करनी पड़ीं तथा अपनी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना पड़ा। सब कुछ फोन और वीडियोसेशनों के जरिए करना पड़ा।

इसके साथ ही एक बड़ी दिक्कत यह थी कि कोविड के फैलने के दर से अब हम हिंसा की शिकार किसी नई महिला को अपने पास आसरा नहीं दे सकते थे। पहले से ही हमारे आश्रय-स्थलों में रह रही महिलाओं को महामारी के खतरे से बचाने के लिए पूरी चौकसी के साथ परीक्षणों की व्यवस्था ज़रूरी थी। इन स्थितियों को देखते हुए हमने सामुदायिक जरूरतों के अनुरूप अपनी नीतियों को नया स्वरूप दिया। कोविड के इस दौर में लोगों को राशन और बुनियादी घरेलू जरूरतों की चीजें मुहैया करना ज्यादा ज़रूरी था। इसलिए हमने अपने नियमित कार्यों को रोक कर, समाज की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन हमारी साथियों ने इस बुरे वक्त में जरूरतमंदों के फोन आने पर उनकी मदद करने के हरसंभव प्रयास किए। इस महामारी ने हमें विपत्ति के समय अपने कौशल को ढलने की दिशा में बहुत कुछ सिखाया। पिछले कई वर्षों से किए जा रहे नियमित कार्यों को रोक कर, हिंसा के दौर से उबरी महिलाओं और समाज के अन्य लोगों की तात्कालिक जरूरतें पूरी करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया।

महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा उन ढर्रों और सामाजिक मॉडलों के कुचक्र में निहित है जो हिंसा को स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थितियों को रोकने की व्यवस्थाएं हिंसा को समाप्त करने तथा महिलाओं/बालिकाओं को सजग तथा आत्म-निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ताकि वे अपनी मददगार सेवाओं का सहयोग पा सकें और अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय ले सकें।

शिक्षा, कौशल-निर्माण, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवाएं और निर्णय लेने की क्षमता महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रमुख कारक हैं। यह देखा गया है कि ऐसी शिक्षित महिलाएं/लड़कियां जिन्हें पर्याप्त समर्थन और सार्थक काम मिला हो, आगे चल कर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर पाती हैं। महिलाओं का सशक्तीकरण ही राजनैतिक स्थायित्व, आर्थिक प्रगति, स्त्री-पुरुष समानता और सामाजिक बदलाव का आधार है। जब लड़कियों और महिलाओं को कौशल विकसित करने, अपने सपने साकार करने और अपने जीवन पर खुद नियंत्रण करने में सहयोग दिया जाता है तो उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का हौसला आ जाता है और वे अपने समाजों के लिए बड़ी सफलताएं

हासिल करती हैं। राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी महिलाओं के द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से, ये महिलाएं अपने सरोकारों और चुनौतियों को बेहतर तरीके से रख पाएंगी जिससे सभी महिलाओं का भला होगा। महिलाओं के सशक्तीकरण में एक बड़ी बाधा पितृसत्तात्मक संस्कृतियों और परम्पराओं में गहराई से जमे हुए दृष्टिकोण हैं जिन्हें बदलना एक बड़ी चुनौती है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, हमारी महिलाएं दूसरी भयावह 'महामारी के सायों' से जूझ रही थीं क्योंकि इस दौर में उनके खिलाफ हिंसा भी बढ़ गई थी। महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों को देखते हुए, इन मामलों को रोकने पर कम ध्यान देते हुए हिंसा से उबर चुकी महिलाओं की ज़रूरतें पूरी करना ज्यादा ज़रूरी हो गया।

इस समय ज़रूरी है कि हम अपने हस्तक्षेपों के लिए नई रणनीति बनाएं जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग प्रयासों के साथ-साथ, सबके लिए साझा प्रयास भी हों; और ये प्रयास लोकतान्त्रिक और भागीदारी वाले, समग्र तथा भेद-भाव से रहित हों। इन प्रयासों के पीछे आधारभूत शोध तथा वैज्ञानिकता हो; ये रचनात्मक और कलात्मक हों; संवेदनशील तथा महिलाओं की बुनियादी स्थिति के अनुरूप हों। पुरुषों, युवाओं तथा किशोर-किशोरियों को साथ लिए बगैर महिला सशक्तीकरण अधूरा रहेगा; तभी समानता की दिशा में उनका सफर पूरा हो सकेगा। महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के हर हस्तक्षेप के पीछे ऐसे इरादों और सिद्धांतों का होना ज़रूरी है। इन सारे हस्तक्षेपों को समग्र रूप से कर न होगा तभी महिलाओं की गरिमा तथा स्त्री-पुरुष के बीच अनिवार्य समानता वाला संसार बन सकेगा।

शक्ति शालिनी की सहायता सेवाएं और नियमित परामर्श आवश्यकता के अनुसार पुरुषों, महिलाओं तथा विभिन्न यौन प्राथमिकताओं वाले सभी समुदायों के लिए उपलब्ध है। चूंकि स्त्रियां ही हिंसा की ज्यादा शिकार होती हैं, इसलिए इस लेख को महिलाओं के सशक्तीकरण पर केन्द्रित किया गया है। शक्ति शालिनी के आश्रय-स्थल परेशान और हिंसा-ग्रस्त महिलाओं को संरक्षण, सलाह और सहारा देते हैं। हिंसा से बचने और सुरक्षित तथा सुकूनदेह आसरा पाने के लिए हिंसा झेल रही महिलाएं यहां आती हैं। यहां हर महिला की विशिष्ट जरूरतों, विकल्पों और परिस्थितियों के अनुरूप उसे परामर्श और सहायता दी जाती है। पीड़ित महिलाओं की तकलीफ़ें कम करने में परामर्श की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

स्वयं सहायता समूह

डॉ के के त्रिपाठी
डॉ एस के वाडकर

भारत की आर्थिक नीतियों में हमेशा से ही खास तौर से महिलाओं समेत गरीबों, हाशिये के लोगों और वंचित तबकों के विकास पर जोर दिया गया है। सरकार की योजनाओं में सामाजिक लामबंदी और पूंजी निर्माण, सामुदायिक उद्यमिता तथा समुदाय के नेतृत्व में उत्पाद और उत्पादकता विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है। भारत में नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिये आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है।

भारत सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिये अनेक नीतिगत उपाय किये हैं। स्वयं सहायता समूहों- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) को बढ़ावा देना और आर्थिक तौर पर सक्रिय बनाना इनमें से एक है। एसएचजी निर्धन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है। इसमें शामिल लोग आम तौर पर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। वे स्वयं सहायता और सामुदायिक प्रयासों के जरिये अपने मसलों और समस्याओं का समाधान करने के साझा मकसद से एकजुट होते हैं।

एसएचजी के जरिये महिला सशक्तीकरण का अभियान

1984 में पहली दफा प्रो यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल पर एसएचजी के गठन के जरिये सामाजिक लामबंदी और व्यावसायिक विकास के सिद्धांत को अपनाया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने गैरसरकारी संगठनों के साथ मिल कर एसएचजी और बैंक के बीच संपर्क का कार्यक्रम चलाया। उसने एसएचजी के लिये प्रोत्साहन के परिवेश को बनाया और विकसित किया। भारतीय रिजर्व बैंक-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 1990 में एसएचजी को वैकल्पिक ऋण प्रवाह मॉडल के रूप में मंजूरी दी। इस तरह भारत में विकास बैंकिंग का रूपांतरण हुआ। एसएचजी को जमा और ऋण संपर्क के लिये बैंकों के समूह आधारित ग्राहक के तौर पर मंजूर किया गया। इससे एसएचजी के सदस्यों के लिये रेहन मुक्त कर्ज तथा कार्य या परियोजना के विवरण के बिना समूहों को ऋण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रो एसआर हाशिम समिति (1997) ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन और रोज़गार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस समिति ने व्यक्तिगत लाभार्थी के बजाय समूह आधारित व्यवसाय विकास के दृष्टिकोण की ओर ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की। इसके बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम- इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईआरडीपी) और इससे संबंधित योजनाओं का विलय कर दिया गया। इनकी जगह स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई) की शुरुआत की गयी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एसएचजी के गठन के जरिये स्वरोज़गार मुहैया कराना था ताकि उन्हें 1999 और 2011 के बीच निर्धनता के जाल से निकाला जा सके।

प्रो आर राधाकृष्ण समिति (2009) ने एसजीएसवाई के कामकाज की समीक्षा की। उसने योजना की डिजाइन में परिवर्तन कर 'टॉप-डाउन' गरीबी उन्मूलन के बजाय 'समुदाय प्रबंधित आजीविका' का दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। इसके लिये राष्ट्र और राज्य से लेकर उप-जिला या प्रखंड स्तर तक संवेदनशील सहायक संरचना की जरूरत है जो सामाजिक लामबंदी के अलावा छह से आठ साल तक लगातार समर्थन देकर निचले स्तर पर मजबूत संस्थाओं का निर्माण कर सके। यह भी महसूस किया गया कि गरीब अपनी आजीविका का

डॉ त्रिपाठी उर्वरक विभाग में आर्थिक सलाहकार हैं। ईमेल: tripathy123@rediffmail.com
डॉ वाडकर पुणे स्थित वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (वैमनिकॉम) में सहायक प्रोफेसर हैं।

प्रबंध अनेक आर्थिक गतिविधियों के मिश्रण के जरिये करते हैं। इन गतिविधियों के लिये नकदी के प्रवाह, मौसम और सहायता की जरूरतें भी अलग-अलग होती हैं। एसएचजी के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी ध्यान दिया गया। एसएचजी आंदोलन को संस्थागत रूप देना जरूरी समझा गया। लिहाजा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रो राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के अनुरूप एसजीएसवाई में बदलाव कर तीन जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) आरंभ किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा शिद्दत से ध्यान देकर इस काम में तेजी लाना था। एसजीएसवाई का एनआरएलएम में पूर्ण रूपांतरण एक अप्रैल 2013 को हो गया। अब एनआरएलएम के नाम के आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) जोड़ दिया गया है। इस तरह इस योजना को मौजूदा समय में डीएवाई-एनआरएलएम के नाम से जाना जाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम और महिला सशक्तीकरण

डीएवाई-एनआरएलएम को 2011 से ही मिशन के अंदाज में लागू किया जा रहा है। इसका मकसद ग्रामीण गरीब महिलाओं को एसएचजी में संगठित करने के साथ ही उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिये लगातार प्रेरित करना और सहायता देना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मौजूदा डीएवाई-एनआरएलएम योजना में विभिन्न राज्यों में एसएचजी को संस्थागत रूप प्रदान करने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य निचले स्तर पर गरीबों की मजबूत संस्थाएं बना कर निर्धन परिवारों को लाभकारी स्वरोज़गार और कुशलता वाली नौकरी अपनाने में सक्षम बनाना है। इससे उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार होगा और गरीबी में कमी आयेगी। इस योजना के जरिये यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर ग्रामीण गरीब परिवार की कम-से-कम एक महिला सदस्य को एक निर्धारित अवधि के अंदर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और एसएचजी के महासंघों में शामिल किया जाये। स्वयं सहायता समूहों ने आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों के लिये 2013-14 से कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये के ऋण बैंकों से हासिल किये हैं।

सभी लक्षित परिवारों को एसएचजी से जोड़ने के लिये सामाजिक लामबंदी और संस्था निर्माण के तहत तीन स्तरीय ढांचे की स्थापना पर खास जोर दिया जा रहा है। इस ढांचे में वार्ड स्तर पर एसएचजी, गांव के स्तर पर ग्राम संगठन- विलेज ऑर्गनाइजेशंस (वीओ) और प्रखंड स्तर पर समूह स्तरीय महासंघ- क्लस्टर लेवल फेडरेशंस (सीएलएफ) शामिल हैं। सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन के अलावा एसएचजी सदस्यों के आजीविका के मौजूदा विकल्पों के उन्नयन और विस्तार तथा उन्हें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाने के लिये उनमें उद्यमिता की भावना पैदा करने पर ध्यान दिया जा रहा है (रेखाचित्र 1)।

एसएचजी आंदोलन पांच सिद्धांतों या पंचसूत्र का पालन करता है। ये पांच सिद्धांत हैं- नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण, कर्ज की समय पर वापसी और अद्यतन खाते। एसएचजी इसके अलावा पांच अन्य सिद्धांतों का भी पालन करते हैं- स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, शिक्षा, पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी, लाभों और योजनाओं तक पहुंच तथा

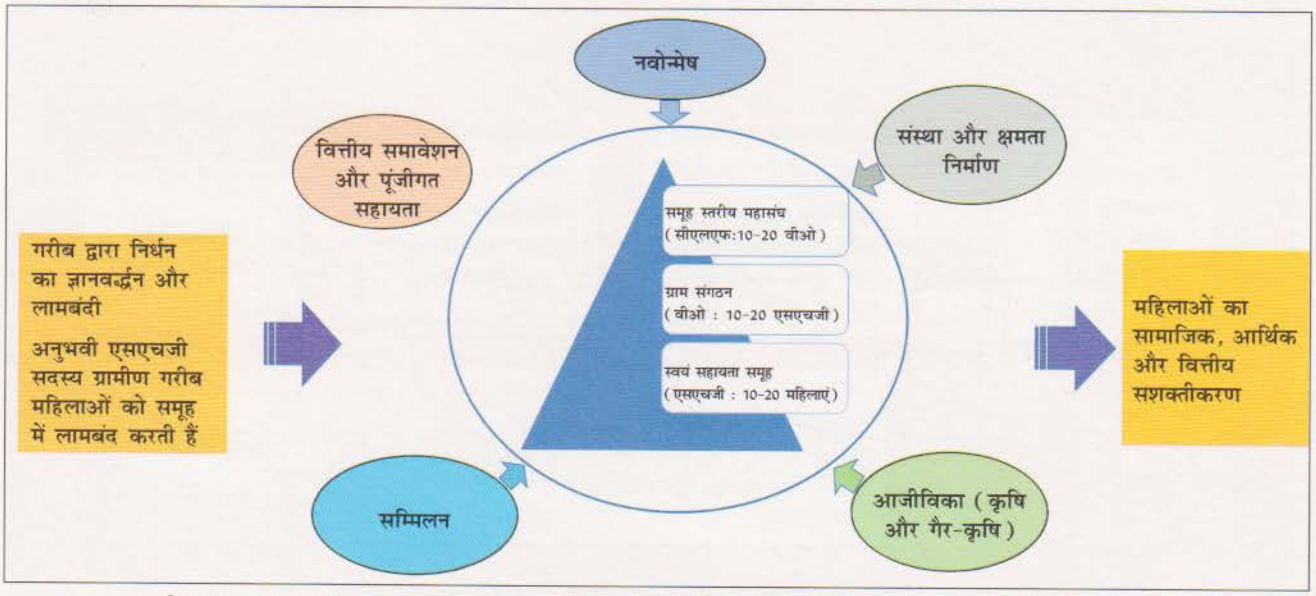

रेखाचित्र 1 : डीएवाई-एनआरएलएम की प्रमुख विशेषताएं और एसएचजी का सांस्थानिक ढांचा

संवहनीय आजीविका के अवसरों का सृजन। ये सभी मिल कर डीएवाई-एनआरएलएम के 'दशसूत्र' कहलाते हैं।

महिला उद्यमिता और आर्थिक प्रगति

उद्यमिता की समुचित संस्कृति का अभाव तथा सामुदायिक व्यावसायिक इकाइयों में ऋण प्रबंध से संबंधित अड़चनें अनेक आर्थिक और अन्य समस्याओं को जन्म देती हैं। लोग संगठित हों और उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जायें तो वे आर्थिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने में सक्षम होंगे तथा अपने और समूचे समाज के कल्याण में सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। किसी नये आर्थिक उद्यम में लाभ अर्जन के लिये अवसर का सही चुनाव या परियोजना की व्यावहारिकता महत्वपूर्ण मानी जाती है। सक्षम प्रणालियों के जरिये ही अवसरों तथा भौतिक और मानव संसाधनों का सफलतापूर्वक दोहन किया जा सकता है। एसएचजी आपस में ऋण के लेन-देन और बैंक कर्ज संपर्क गतिविधियों के जरिये अपनी आर्थिक इकाइयों के संचालन के लिये संसाधन पैदा करते हैं। लेकिन पेशे का उनका चुनाव अक्सर अपनी गतिविधियों के प्रबंधन, संचालन और संवहन की उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं होता। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने उद्यमिता के मुख्यतः तीन केन्द्रीय पहलुओं की पहचान की है। अनिश्चितता और जोखिम, प्रबंधन की दक्षता तथा सकारात्मक अवसरवाद या नवोन्मेष। ये तीनों पहलू लाखों एसएचजी के सशक्तीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हैं। यदि महिला एसएचजी के स्वामित्व और संचालन वाले सामुदायिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सशक्तीकरण किया जाये तो वे स्थानीय संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए इन्हें अपने क्षेत्र की जरूरतों और उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता के अनुरूप लाभकारी उत्पादों में परिवर्तित कर सकेंगे। इससे रोज़गार के अवसर सुनिश्चित होंगे। प्रदर्श 1 में एसएचजी इकाइयों के समुचित पेशागत चुनावों और समुदाय आधारित कार्रवाइयों के जरिये दुर्लभ संसाधनों के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिये रोज़गार और आय सृजन की गतिविधियों में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। जरूरत इस बात की है कि प्रस्तावित आर्थिक उपक्रमों का समुचित मूल्यांकन हो तथा नवोन्मेषी और इच्छित व्यावसायिक मार्गों के दोहन के साथ ही पेशे की वित्तीय और भौतिक व्यावहारिकता का कठोर विश्लेषण किया जाये।

इस योजना के जरिये यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हर ग्रामीण गरीब परिवार की कम-से-कम एक महिला सदस्य को एक निर्धारित अवधि के अंदर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और एसएचजी के महासंघों में शामिल किया जाये। स्वयं सहायता समूहों ने आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों के लिये 2013-14 से कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये के ऋण बैंकों से हासिल किये हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम और सशक्तीकरण की प्रक्रिया

डीएवाई-एनआरएलएम दरअसल अपनी सहायता खुद करने की महत्वपूर्ण मानवीय प्रकृति पर आधारित है। इससे उन वंचितों को मदद मिल रही है जो सामाजिक तौर पर लामबंद छोटे मगर सुसंबद्ध अनौपचारिक एसएचजी में भागीदार हैं। इस योजना ने आर्थिक तौर पर

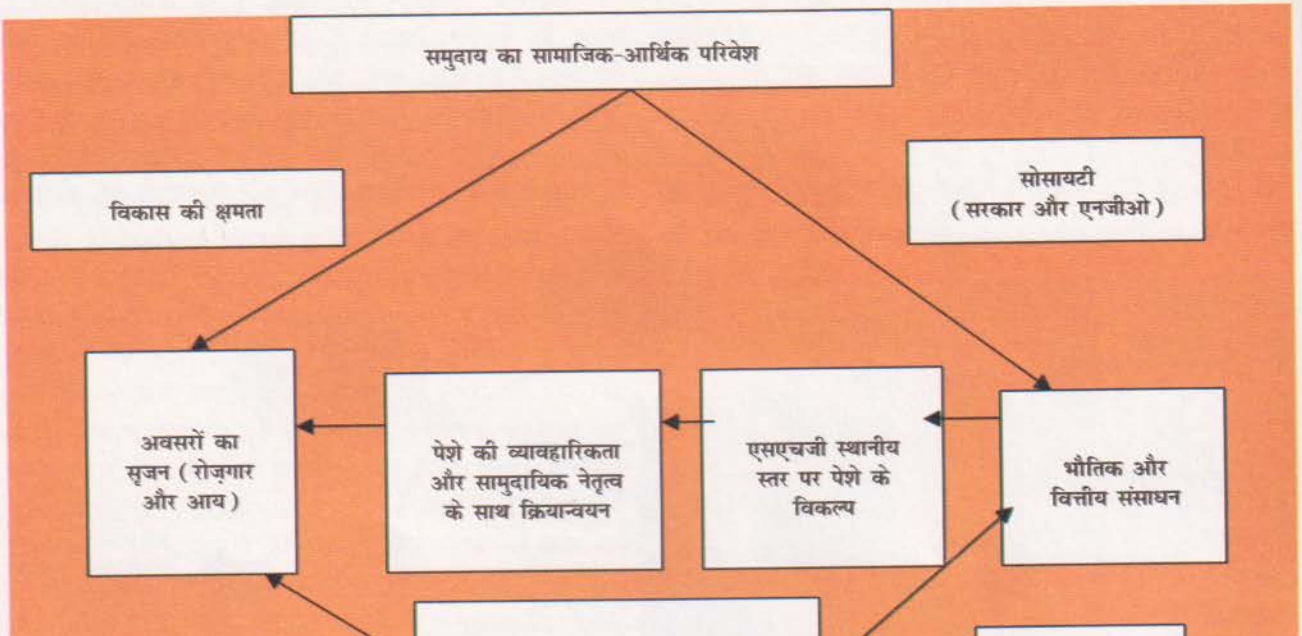

प्रदर्श 1 : एसएचजी के जरिये आर्थिक प्रगति

तालिका 1 : डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सशक्तीकरण के मापदंड, बाधाएं और समाधान

क्र. सं.	सशक्तीकरण के मापदंड	बाधाएं और समाधान
1.	सर्वव्यापी सामाजिक लामबंदी	योजनाओं का लाभ उठाने के लिये गरीबों की पहचान और समावेशन एक चुनौती रहा है। समावेशी सामुदायिक उद्यमिता सुनिश्चित करने के मकसद से ग्रामीण गरीबों की पहचान के लिये समुदाय विशेषज्ञों के विकास और उनकी सेवाएं लेने की कोशिश की जानी चाहिये। समुदाय विशेषज्ञ ही गांव और समूह की गतिकी को सबसे अच्छे ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। वे पंचायती राज संस्थाओं और अन्य प्रमुख हितधारकों को एसएचजी नेटवर्क की सहायता के लिये राजी कर सकते हैं। इससे सेवाओं तक पहुंच और उनमें सुधार लाने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक प्रगति के लिये सामाजिक एकजुटता भी बढ़ेगी।
2.	गरीबों की संस्थाओं को प्रोत्साहन	महासंघों के विधिक ढांचे को लेकर सैद्धांतिक स्पष्टता का अभाव, सीएलएफ की तय भूमिका और स्वरूप में विचलन तथा व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन में इन समूह स्तरीय महासंघों की कम दक्षता कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। इन्हें दूर करने के लिये वीओ और सीएलएफ स्तर पर कुशल और प्रशिक्षित प्रबंधन कर्मियों और मानव संसाधन को आकर्षित करने और जोड़े रखने के लिये जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। वार्ड स्तर पर एसएचजी, ग्राम स्तर पर वीओ और उप-प्रखंड स्तर पर सीएलएफ के तीन स्तरीय ढांचे के जरिये उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से आजीविका समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिला एसएचजी के प्रतिबद्ध कैडर का निर्माण होगा, शराब सेवन, जाति/वर्ग टकराव, बाल श्रम और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां घटेंगी तथा ग्राम सभाओं में भागीदारी बढ़ेगी।
3.	प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन	समुचित प्रशिक्षण योजना, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सामग्री और विशेषज्ञ प्रशिक्षण संस्थानों के अभाव से एसएचजी की क्षमता निर्माण की पहलकदमियां प्रभावित होती हैं। विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण की जरूरत के आकलन, वक्त पर प्रशिक्षण तथा एसएचजी, उनके नेताओं, समुदाय विशेषज्ञों और सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। इससे पंचायती राज संस्थाओं समेत सभी हितधारक व्यावसायिक विकास के साथ ही सामुदायिक सशक्तीकरण में एसएचजी की संभावनाओं के बारे में जागरूक बनेंगे।
4.	सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन	एसएचजी के सभी स्तरों पर समान वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के अभाव से बैंक खातों में वृद्धि, वित्तीय साक्षरता में सुधार तथा सामुदायिक सदस्यों की समावेशन क्षमता प्रभावित होती है। वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति- दोनों ही पक्षों पर ध्यान देना, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन, पूंजीगत सहायता मुहैया कराना तथा वित्तीय संस्थानों से संपर्क वक्त की जरूरत है। सूक्ष्म बीमा सेवाओं का सर्वव्यापी कवरेज सुनिश्चित करने के लिये व्यावसायिक पत्रचार तथा सामुदायिक सहायकों और बैंक मित्रों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
5.	बहुविध और विविध आजीविकाएं	संघीय स्तर पर छोटे उद्यमों के समावेशन के लिये प्रगतिशील नेतृत्व के अभाव ने मौजूदा आजीविकाओं के विस्तार, प्रसार और पहुंच पर विपरीत प्रभाव डाला है। आजीविका की गतिविधियां ज्यादातर उपभोग के लिये हैं। उनका वाणिज्यिक उद्देश्य आम तौर पर नहीं है। इस समस्या से उबरने के लिये उन आजीविकाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है जो जोखिमों और कमियों से निपट सकें। आजीविका के मौजूदा विकल्पों को गहराई देने और विस्तार करने तथा नये अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। अवसंरचना निर्माण और विपणन सहायता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि सेवाओं तक सही समय पर पहुंच, सुरक्षा और लाभों को सुनिश्चित किया जा सके।
6.	सामुदायिक स्तर पर सहायक ढांचा	सामूहिक आजीविका गतिविधियों के समग्र विकास के लिये व्यवसाय के परिवेश का सृजन, कौशल विकास और मूल्य शृंखला की पहचान की जानी चाहिये। इसके साथ ही समूचे राज्य में समुचित समूह निर्माण और एसएचजी पारिस्थितिकी में सक्षम मानव संसाधन की तैनाती की आवश्यकता है। इसके अलावा कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में महिलाओं की क्षमता में सुधार से सार्वजनिक और बाजार संस्थाओं तथा योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। सम्मिलन के फ्रेमवर्क की स्थापना के जरिये ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गारशुदा उद्यमियों में तब्दील किया जा सकता है। सरकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ समुचित संपर्क तथा बाहरी संवेदनशील और तकनीकी सहायता ढांचे के प्रावधान से सामुदायिक संगठनों को बनाये रखने में मदद मिलेगी।
7.	योजनाओं का सम्मिलन	गरीबों की संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तालमेल लाने के लिये जमीनी स्तर पर योजनाओं का सम्मिलन वक्त की जरूरत है। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ ही राज्यों की योजनाओं के सम्मिलन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। गैर-सरकारी और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के संग जुड़ाव से आपसी लाभ के कामकाजी रिश्ते कायम होंगे। इससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा।

वंचितों और औपचारिक वित्तीय प्रतिष्ठानों के मजबूत और संवहनीय संबंध को पहचाना और रेखांकित किया है। योजना के चार स्तंभ घनिष्ठ समूहों की महिला सदस्यों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को अपने में समेटे हैं।

इनमें से पहला स्तंभ गरीबों की संवहनीय संस्थाओं के लिये सामाजिक लामबंदी तथा उनका गठन और संवर्द्धन है। अब तक 5.6 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 68 लाख एसएचजी में लामबंद किया गया है। एनआरएलएम के तहत 2.93 लाख प्राथमिक और 25467 माध्यमिक स्तरीय महासंघों का गठन किया गया है। ये समुदाय आधारित संगठन लोकतांत्रिक शासन और वित्तीय जवाबदेही की मूल भावना का पालन करते हैं। वे स्थानीय शासन और विकास में प्रभावी हिस्सेदारी निभाने के अलावा गरीब सदस्यों को प्रभावित करने वाली आजीविका संबंधी चिंताओं और सामाजिक मसलों पर चौबीसों घंटे गौर करते हैं। इसके साथ ही वे लाभों और सार्वजनिक सेवाओं तक गरीबों की पहुंच की व्यवस्था करते हैं।

ये समुदाय आधारित संगठन लोकतांत्रिक शासन और वित्तीय जवाबदेही की मूल भावना का पालन करते हैं। वे स्थानीय शासन और विकास में प्रभावी हिस्सेदारी निभाने के अलावा गरीब सदस्यों को प्रभावित करने वाली आजीविका संबंधी चिंताओं और सामाजिक मसलों पर चौबीसों घंटे गौर करते हैं। इसके साथ ही वे लाभों और सार्वजनिक सेवाओं तक गरीबों की पहुंच की व्यवस्था करते हैं।

दूसरा स्तंभ वित्तीय समावेशन का है। इसमें मांग और आपूर्ति- दोनों ही पक्षों में हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाता है। मांग पक्ष में हस्तक्षेप प्रभावी बही-खाता लेखन को प्रोत्साहित करता है। यह एसएचजी के लिये पूंजी की व्यवस्था, ऋण की समय पर वापसी की संस्कृति का निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सलाह, आवृत्ति वित्त के लिये सूक्ष्म निवेश योजना को समर्थन, समुदाय आधारित उगाही प्रणाली का संस्थानीकरण इत्यादि भी सुनिश्चित करता है (रेखाचित्र 2)। दूसरी ओर आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप सभी राज्यों में प्रांत स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की उपसमितियों के गठन की पुष्टि करता है। संपर्क यात्राओं, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के जरिये बैंकरों को एसएचजी के सिद्धांत, कामकाज और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी जाती है। बैंकों की सभी शाखाओं में बैंक सखियों की तैनाती, दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी के लिये वैकल्पिक मॉडलों को प्रोत्साहन, प्रखंड से राज्य स्तर तक ऋण समिति की बैठकों का नियमित आयोजन, बीमा के जरिये जोखिम निवारण इत्यादि भी आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप के दायरे में आते हैं।

महिला सशक्तीकरण का तीसरा स्तंभ 'आजीविका' है। इसके तहत गरीब परिवारों को कर्ज के जाल, खाद्य असुरक्षा, अचानक आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं तथा पलायन जैसे संकटों से निपटने में सक्षम बनाने के प्रयास किये जाते हैं। इसके तहत वैसे उपाय किये जाते हैं जिनसे कृषि और गैर-कृषि उद्यमों से उन्हें संवहनीय आय हासिल हो। आय के मौजूदा और नये स्रोतों को मजबूत करने, सूक्ष्म उद्यम, स्वरोज़गार और कौशल आधारित कामकाज को बढ़ावा देने इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके तहत गतिविधियों के दायरे में संवहनीय कृषि से लेकर ऑर्गेनिक खेती, गैर-काष्ठ वन उपज, मजबूत क्षमता निर्माण ढांचा, मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप, परंपरागत भर्ती केन्द्र इत्यादि आते हैं। एनआरएलएम के अंतर्गत ही महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) शुरू की गयी है। इसमें लगभग 35.88 लाख महिला किसानों को गैर-रसायन आधारित कृषि, गैर-काष्ठ वन उपज, मक्का, आम और फूलों की खेती, डेयरी और बकरी पालन इत्यादि के लिये विभिन्न राज्यों में मूल्य श्रृंखला ढांचे की स्थापना के तहत सहायता दी गयी है। इन कोशिशों को जारी रखने और लगातार सहायता मुहैया कराने के लिये एनआरएलएम ने लगभग 31889 समुदाय संसाधनजनों- कम्युनिटी रिसोर्स पर्सस (सीआरपी) की मदद से सामुदायिक नेतृत्व वाली आजीविका विस्तार सेवाओं का सृजन किया है। यह योजना महिला एसएचजी को आजीविका की गैर-कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिये भी सक्षम बनाती है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम- स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) गैर-कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। इस पहलकदमी के जरिये 2015 से अब तक 125 प्रखंडों में 1.82 लाख उद्यमियों को सहायता दी जा चुकी है। एसवीईपी के तहत अब तक 30352 उद्यमों की स्थापना की गयी है।

रेखाचित्र 2 : कदम-दर-कदम प्रक्रियाएं जिनसे एसएचजी का वित्तीय समावेशन हुआ

सशक्तीकरण का चौथा और आखिरी स्तंभ सामाजिक समावेशन और सम्मिलन है। विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये एसएचजी द्वारा स्थापित मंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन डीएवाई-एनआरएलएम की स्वरोज़गार गतिविधियों का पंचायत संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास और अन्य कार्यों से संबंधित जिला या प्रखंड स्तरीय विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं के संसाधनों के साथ सम्मिलन कर सकता है। ऐसे कदमों से सार्वजनिक निवेश का बेहतर उपयोग कर टिकाऊ, उत्पादक और संवहनीय संपत्ति के सृजन तथा ग्रामीण परिवारों के लिये आजीविका को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुद्दे और चुनौतियां

1980 के दशक में एसएचजी आंदोलन 'किफायत और बचत' पर आधारित था। लेकिन 2000 के दशक से यह डीएवाई-एनआरएलएम के तहत आजीविका आधारित आर्थिक सशक्तीकरण के तरीके में परिवर्तित हो चुका है। इसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक संगठनों के तौर पर भारत में स्थापित 70 लाख एसएचजी को 3.27 लाख वीओ और 28000 सीएलएफ में संगठित किया गया है। लेकिन इस आंदोलन को चलाये रखने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये सभी राज्यों में ऐसे ठोस और स्थिर सामुदायिक ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है जो मापनीय हो। इसके लिये ठोस संस्था निर्माण और मौजूदा सीएलएफ को कानूनी पहचान देने की जरूरत है। इसके लिये भी सावधानी से योजना बनाने और सोच-विचार की दरकार है। ज्यादातर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन- स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (एसआरएलएम) बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। वे एसएचजी महासंघों के तीन स्तरीय ढांचे को समर्थन देने के लिये विशेष कानूनों की अनुकूलता पर विचार कर रहे हैं। अधिकतर राज्य सीएलएफ के लिये एक उचित कानूनी फ्रेमवर्क की तलाश में हैं। तालिका 1 में अलग-अलग मापदंडों पर बाधाओं और उनके प्रभावी समाधान का जिक्र किया गया है।

समुदाय स्तरीय महिला उद्यमिता विकास इस बात पर निर्भर करता है कि महिलाएं सामाजिक-आर्थिक रूप से कितनी सशक्त हैं। एसएचजी जैसी सामूहिक संस्थाओं में महिलाओं का सशक्तीकरण चार मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ सामाजिक लामबंदी तथा गरीबों के लिये संवहनीय संस्थाओं का गठन और संवर्द्धन है। दूसरा स्तंभ सबके वित्तीय समावेशन का है। इसके बाद कर्ज के चक्रव्यूह, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सदमों और पलायन जैसी परेशानियों का सामना करने में सक्षम आजीविका का नंबर आता है। चौथा और आखिरी स्तंभ सामाजिक समावेशन और विभिन्न विकास योजनाओं के संसाधनों का सम्मिलन है।

डीएवाई-एनआरएलएम के ग्राम उद्यमिता विकास के दृष्टिकोण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्यमशीलता के लिये एक उत्प्रेरक परिवेश बनाना है। यह ग्रामीण बेरोज़गार युवाओं को खुद स्थानीय उद्यम अपनाने के लिये प्रेरित करता है। एसएचजी की लामबंदी तथा ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि अवसंरचना के निर्माण और संचालन के लिये उनकी सेवाओं के उपयोग से ग्रामीण विकास के प्रयासों के सम्मिलन के जरिये ग्राम आजीविका में सुधार लाने में मदद मिलेगी। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत नये और नवोन्मेषी ग्रामीण उद्यमों की स्थापना की जा रही है। इन उद्यमों के जरिये एसएचजी और किसानों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, परिवारों की आय बढ़ाना, लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी मुहैया कराना तथा सामुदायिक स्तर पर कृषि और गैर-कृषि लॉजिस्टिक्स का निर्माण संभव है। सामाजिक लामबंदी, गरीबों की संस्थाओं को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, विविध और विकेन्द्रित आजीविकाओं, संवेदनशील सहायता संरचना और योजनाबद्ध सम्मिलन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों और बाधाओं को डीएवाई-एनआरएलएम के हितधारकों के साथ विचार विमर्श से साझा रूप से सुलझाया जाये तो यह संभावना वास्तविकता में बदल जायेगी। ■

विशेष आलेख

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती महिलाएं : मनोवैज्ञानिक पक्ष

प्रो आर सुब्रमण्यन
डॉ सी कुबेंद्रन
डॉ ए जयचित्र

यह लेख बताता है कि महिला खिलाड़ी का मानसिक एवं भावनात्मक आरोग्य किस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में उसकी मदद करता है। मानसिक दृढ़ता वह सर्वश्रेष्ठ मानसिक तकनीक है, जो महिला खिलाड़ियों को कठिन प्रतिस्पर्धी स्थितियों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता प्रदान करती है। मानसिक दृढ़ता किसी भी खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा एवं कौशल का उच्च स्तर का प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान करती है चाहे प्रतिस्पर्धी परिस्थितियां कैसे भी हों।

खेल मनोविज्ञान खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाता है और बताता है कि अलग-अलग मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं एवं गुण किस प्रकार खेल प्रदर्शन पर प्रभाव डालते हैं। इसकी भूमिका इस लिहाज़ से महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ियों की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिए वे कितना मानसिक एवं शारीरिक प्रयास करने को तैयार हैं। महिला खिलाड़ी का संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य उसके मनोविज्ञान का केंद्रीय पहलू है। आम जनता में बेचैनी तथा अवसाद को देखें तो महिलाओं में इन विकारों की दर पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। खेलों के क्षेत्र में विशेषज्ञों ने माना है कि खिलाड़ी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक कौशल सीख सकते हैं एवं उनमें सुधार कर सकते हैं।

"खेलों में सफलता शारीरिक अनुकूलन, कौशल एवं तैयारी पर निर्भर करती है। किंतु यह मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे आत्मविश्वास, प्रेरणा, एकाग्रता एवं भावनात्मक नियंत्रण से भी प्रभावित होती है।" – डैमन बर्टन एवं अन्य, 2008

खेलों में प्रदर्शन पर मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव

"सकारात्मक रूप से केंद्रित लक्ष्य विशेष रूप से नए अथवा अलग कौशलों के लिए आम तौर पर अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि वे खिलाड़ियों को सही क्रियान्वयन पर ध्यान लगाने में मदद करते हैं। साथ ही सकारात्मक लक्ष्य अधिक आत्मविश्वास देते हैं तथा भीतर से प्रेरणा को बढ़ाते हैं।" – डैमन बर्टन एवं अन्य, 2008

आजकल कई खेल विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षक इमेजरी या काल्पनिक चित्र की ताकत को मानते हैं। इमेजरी का अर्थ है अपने मन में ही कोई अनुभव रचना और दोबारा रचना। खेल के कौशल की कल्पना करना उस कौशल को आज़माने जैसा ही होता है; बस उसमें खिलाड़ी वह काम अपने दिमाग में कर रहा होता है।

सफल एवं श्रेष्ठ खिलाड़ियों का एक बड़ा कौशल उनका विश्वास होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने विश्वास को मानसिक दृढ़ता का परिचय देने वाला सबसे आवश्यक मानसिक कौशल माना है।

मीराबाई को रजत : मीराबाई चानू ने 49 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत का खाता खोला।

प्रो आर. सुब्रमण्यन राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इंफाल में डीन (अकादमिक) एवं प्रमुख हैं; डॉ सी कुबेंद्रन गवर्नमेंट हायर सेकंडरी स्कूल, चेन्नई में ग्रेड-1 शारीरिक निदेशक हैं और डॉ ए जयचित्र जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, चेन्नई हैं। ईमेल: profrsnsu@gmail.com

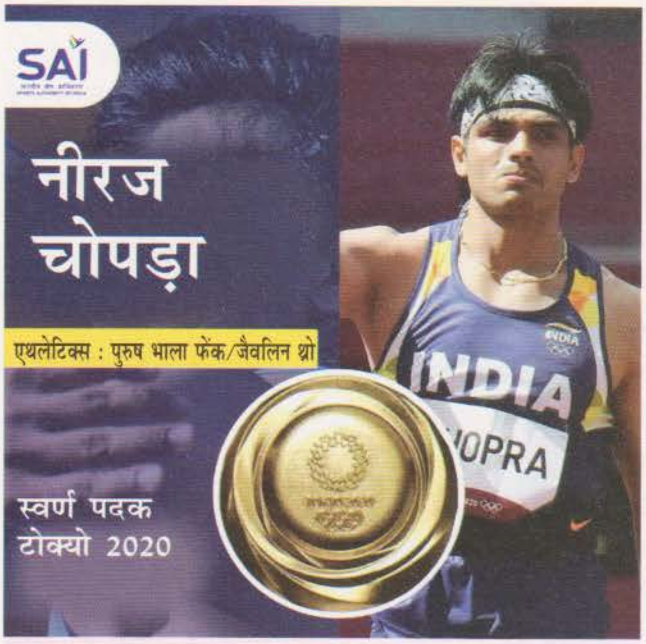

नीरज चोपड़ा : नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाला पहला भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया।

"एकाग्रता अथवा व्यवधानों को अनदेखा कर हाथ में मौजूद कार्य पर ही ध्यान लगाने की क्षमता खेल में सफल प्रदर्शन का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होती है। लंबे समय से यह पता है कि कुशल खिलाड़ी अपने मन को बहकने देते हैं और प्रतियोगी वातावरण में वर्तमान में रहना उनके लिए कठिन होता है। शोध दिखाता है कि लोगों की एकाग्रता की प्रणाली उनके विकास तथा मनोविज्ञान से जुड़े कारकों के परिणामस्वरूप नाज़ुक ही होती है।" – ब्रिटन डब्ल्यू. ब्रूअर, 2009

बजरंग पुनिया-कुश्ती : बजरंग पुनिया ने रोमांचक मैच में दौलत नियाजबेकोव को 8-0 से पटखनी देकर कांस्य पदक जीता।

कुश्ती : रवि को रजत। भारत के रवि दहिया को 57 किग्रा पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में उगुएव जवूर के हाथों 4-7 से शिकस्त मिली किंतु उन्होंने टोक्यो 2020 में भारत को दूसरा रजत पदक और कुल पांचवां पदक दिलाया।

खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण प्रकार के विश्वास की पहचान की है, जिनमें शारीरिक कौशल दिखाने की अपनी क्षमताओं में विश्वास करने की आवश्यकता, उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करना, सही निर्णय लेना, एकाग्रता के साथ ध्यान लगाने एवं घबराहट से बचने जैसे मानसिक कौशलों का प्रयोग करना, गलतियां भूलकर दोबारा आरंभ करना, बाधाओं तथा विफलताओं से उबरना, महारत एवं निजी प्रदर्शन के मानक हासिल करना और जीतना एवं प्रतिद्वंद्वियों पर श्रेष्ठता प्रदर्शित करना शामिल हैं।

मुक्केबाजी : लवलीना बोरगोहें ने महिलाओं की 69 किग्रा मुक्केबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

मानसिक दृढ़ता किसी व्यक्ति की क्षमता अथवा व्यक्तित्व का वह गुण है, जो मनोवैज्ञानिक मजबूती, मनोवैज्ञानिक दृढ़ता, नकारात्मक परिणामों अथवा विफलताओं से उबरने की क्षमता तथा उस नकारात्मक पहलू का अपने प्रदर्शन अथवा कार्य पर असर नहीं पड़ने देने की क्षमता दिखाता है। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति कठिन तथा दुष्कर स्थितियों में भी निरंतरता एवं दृढ़ता दिखा सकता है।

खिलाड़ी के भीतर मानसिक दृढ़ता का अटूट बोध होना चाहिए क्योंकि मानसिक दृढ़ता खेल मनोविज्ञान का ऐसा घटक है, जो न केवल खिलाड़ी को अधिकतम क्षमता एवं अधिकतम प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए प्रभावित करता है बल्कि खिलाड़ी को खेल एवं व्यक्तिगत जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में भी मदद करता है; मानसिक दृढ़ता खिलाड़ी को उनकी उपलब्धियों तथा स्वयं निर्धारित किए गए लक्ष्यों का अच्छी तरह बोध कराती है और उन्हें लक्ष्य के प्रति केंद्रित तथा लक्ष्य की दिशा में कार्य एवं व्यवहार करने के लिए भी प्रभावित करती है; उच्च मानसिक दृढ़ता वाले खिलाड़ी में प्रेरणा, निरंतर प्रयास, पूर्ण समर्पण तथा अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत इच्छा शक्ति जैसे गुण दिखते हैं।

खिलाड़ी के भीतर मानसिक दृढ़ता का अटूट बोध होना चाहिए क्योंकि मानसिक दृढ़ता खेल मनोविज्ञान का ऐसा घटक है, जो न केवल खिलाड़ी को अधिकतम क्षमता एवं अधिकतम प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए प्रभावित करता है बल्कि खिलाड़ी को खेल एवं व्यक्तिगत जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में भी मदद करता है; मानसिक दृढ़ता खिलाड़ी को उनकी उपलब्धियों तथा स्वयं निर्धारित किए गए लक्ष्यों का अच्छी तरह बोध कराती है।

"खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए खुद को शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए सैकड़ों घंटे बिताते हैं। कुछ खिलाड़ी स्वयं को प्रतियोगिता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं करने के कारण कठिन शारीरिक तैयारी को बरबाद कर लेते हैं। किंतु अन्य खिलाड़ी अपने शारीरिक प्रशिक्षण के साथ मानसिक प्रशिक्षण भी लेते हैं, जो उन्हें प्रतियोगिता के पहले तथा उसके दौरान उत्पन्न हो सकने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के लिए अधिक से अधिक तैयार करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक खिलाड़ियों को स्पर्धा के दिन होने वाली अपेक्षित एवं अनपेक्षित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने तथा ऐसी घटनाओं से निपटने की योजनाएं एवं दिनचर्या तैयार करने में मदद कर उनकी मानसिक तैयारी करा सकते हैं।" – ब्रिटेन डब्ल्यू. ब्रूअर, 2009

खिलाड़ी जैसे-जैसे अधिक अभ्यास करते जाते हैं, मानसिक दृढ़ता उनके भीतर रचनात्मकता एवं नवाचार का भाव भी उत्पन्न करती जाती है क्योंकि मानसिक रूप से दृढ़ खिलाड़ी नई चीजें आज़माने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग करने से नहीं डरेगा। मानसिक रूप से दृढ़ खिलाड़ी शारीरिक एवं भावनात्मक बढ़त हासिल करने के अलावा चोट की स्थिति में तथा चोट एवं पुनर्वास के समय सकारात्मक भावनाएं एवं व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है; मानसिक दृढ़ता खिलाड़ी को किसी भी समय एवं किसी भी स्थिति में सामने आने वाली विभिन्न विफलताओं का सकारात्मक पक्ष देखने के योग्य बनाती है, खिलाड़ी नकारात्मक परिणामों के बारे में नहीं सोचते तथा आराम के समय अथवा पुनर्वास से गुजरते समय जो भी मानसिक तैयारी की जा

बैडमिंटन : भारत की पीवी सिंधु ने लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने टोक्यो 2020 में चीन की हे बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य जीता।

हॉकी : पुरुष हॉकी टीम के लिए 41 वर्ष बाद ऐतिहासिक पदक। दृढ़ता एवं साहस दिखाने तथा कांस्य पदक लाने के लिए हमें 'मेन इन ब्लू' पर गर्व है।

अदिति अशोक - गोल्फ : अदिति अशोक ने लगातार दो ओलंपिक खेलों में गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया

सकती है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

खेलों में मानसिक दृढ़ता के पीछे संपूर्ण विचार यह है कि खिलाड़ियों को उस समय भी सकारात्मकता का मजबूत बोध कराया जाए, जिस समय वे अपने खेल अथवा जीवन में नाकामी से जूझ रहे हों; बेहद प्रतिभाशाली तथा अपने खेल में स्थापित अधिकतर खिलाड़ियों का भी जब हार, चोट जैसी प्रतिकूल स्थितियों एवं नकारात्मक भावनाओं से सामना होता है तो वे टूट जाते हैं, जो कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से भी दिखता है। इन स्थापित खिलाड़ियों में केवल मानसिक दृढ़ता की मजबूत भावना की कमी होती है।

यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि मानसिक दृढ़ता ऐसा मनोवैज्ञानिक घटक है, जिसका प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता और अभ्यास नहीं किया जा सकता; यह घटना होती है, जो उस समय घटती एवं बढ़ती है, जब व्यक्ति अपने जीवन और खेल में कठिन स्थितियों का सामना करता है। यद्यपि कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक उपाय किसी व्यक्ति को स्वाभाविक मानसिक दृढ़ता वाले खिलाड़ी की तुलना में अधिक दृढ़ नहीं बना सकते किंतु पहले से ही मानसिक दृढ़ता वाले अथवा कम मानसिक दृढ़ता वाले खिलाड़ियों की मदद कर सकते हैं। ऐसे उपाय खिलाड़ियों को कम से कम उनके खेल के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता का स्तर प्राप्त करने में सहायक होते हैं।

निष्कर्ष

महिला खिलाड़ियों का सफल कॅरिअर शारीरिक क्षमता एवं मानसिक स्थिरता दोनों पर निर्भर करता है, जो उनके सफल खेल प्रदर्शन के आवश्यक अंग हैं। सकारात्मक लक्ष्य, विश्वास एवं एकाग्रता का महिला खिलाड़ी के बेहतर से बेहतर खेल प्रदर्शन और अच्छी से अच्छी नेतृत्व क्षमता के साथ घनिष्ठ संबंध है और उसे सफल निजी जीवन भी प्रदान करते हैं। मानसिक दृढ़ता महिला खिलाड़ियों को उनके खेल कॅरिअर में नाजुक स्थितियों से उबारने में बहुत योगदान करती है। चूंकि क्षमता एवं स्पर्धा के प्रत्येक स्तर पर अधिक से अधिक महिलाएं खेलों में उतर रही हैं इसलिए खेलों में सफलता, समग्र स्वास्थ्य एवं निरोग में महिला खिलाड़ियों की मदद करने वाले मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझना महत्वपूर्ण है। ■

संदर्भ

1. ब्रुअर, (2009), हैंडबुक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड साइंस स्पोर्ट साइकोलॉजी, जॉन विली एंड संस लिमिटेड, वेस्ट ससेक्स, ब्रिटेन, पृष्ठ 3-18
2. डैमन बर्टन, थॉमस डी. रायडीके, (2008), स्पोर्ट साइकोलॉजी फॉर कोचेज, ह्यूमन काइनेटिक्स, अमेरिका, पृष्ठ 36-59
3. जे हॉफमैन, (2002), साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड परफॉरमेंस, ह्यूमन काइनेटिक्स पब्लिशर्स, अमेरिका, पृष्ठ 69
4. क्रिस्टीना पी. हेरेरो, नेहा जेजुरिकर, कॉर्डेलिया डब्ल्यू. कार्टर, (2020), द साइकोलॉजी ऑफ द फीमेल एथलीट : हाउ मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस मीडिएट स्पोर्ट परफॉरमेंस, इंजरी एंड रिकवरी, आन जॉइंट 2020, http://dx.doi.org/10.21037/aoj-20-53

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

- *आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत **फिट इंडिया फ्रीडम रन** का आयोजन किया जा रहा है*
- *श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने की शपथ दिलाई*
- *'फिट इंडिया' से बनेगा 'हिट इंडिया' : श्री अनुराग ठाकुर*
- *प्रत्येक सप्ताह फिट इंडिया फ्रीडम रन का **75 जिलों** में और प्रत्येक जिले के **75 गांवों** में 2 अक्टूबर 2021 तक आयोजन*

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक ने 13 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में *फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0* के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने जहां दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्टेडियम में फ्रीडम रन में हिस्सा लिया, वहीं पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल, लाहौल स्पीति में काजा चौकी, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और पंजाब में अटारी बॉर्डर सहित कई अन्य प्रसिद्ध स्थलों सहित देश भर में 75 अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, फिट इंडिया फ्रीडम रन में हिस्सा लेकर न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के लिए फिटनेस की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता का उत्सव मनाते हुए एक मार्शल नृत्य प्रदर्शन के आयोजन के माध्यम से की और इसके बाद मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों व देश भर के नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत की और न केवल देश की रक्षा करने के लिए बल्कि युवाओं को उनके जीवन के नियमित हिस्से के रूप में फिटनेस को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी उनकी सराहना की।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फ्रीडम रन कार्यक्रम देश को उनके राष्ट्रीय नायकों से भी जोड़ेगा जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और कहा कि अगले 25 वर्षों में हमारा राष्ट्र क्या आकार और दिशा लेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितने फिट हैं। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस आंदोलन का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि, "एक युवा मन, शरीर और आत्मा, स्वस्थ और फिट इंडिया के प्रमुख तत्व हैं।" श्री ठाकुर ने कहा कि केवल 'फिट इंडिया' ही 'हिट इंडिया' बनाएगा।

प्रत्येक सप्ताह फिट इंडिया फ्रीडम रन 75 जिलों में और प्रत्येक जिले के 75 गांवों में 2 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लोगों को फिटनेस गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है, जैसे दौड़ने और खेलने को दिनचर्या में शामिल करना।

फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की प्रमुख गतिविधियों में शपथ लेना, राष्ट्रगान प्रस्तुत करना, फ्रीडम रन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा स्वयंसेवकों में भाग लेने और अपने गांवों में इसी तरह के फ्रीडम रन आयोजित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना शामिल हैं। विभिन्न व्यक्ति फिट इंडिया पोर्टल https://fitindia.gov.in पर अपना फ्रीडम रन रजिस्टर और अपलोड कर सकते हैं और #Run4India तथा #AzadikaAmritMahotsav के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों पर फ्रीडम रन को बढ़ावा दे सकते हैं।

प्रमुख लोगों, जनप्रतिनिधियों, पीआरआई प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, मीडिया हस्तियों, डॉक्टरों, किसानों और सेना के जवानों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे विभिन्न स्तरों पर इन आयोजनों में भाग लेकर लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित करें। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे देश में भौतिक तथा वर्चुअल रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ■

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

देश का नाम रोशन करतीं महिला खिलाड़ी

संजय श्रीवास्तव

खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ रही है और उनकी सफलता भी। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडलीय खेलों में महिला खिलाड़ियों ने 37 पदक जीते जबकि इससे ठीक दस साल पहले महिलाओं की झोली में कोई पदक नहीं था। वर्ष 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में महज छह महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया तो बीस साल बाद वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में ये संख्या 23 हो गई। इसके बाद वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक्स में ये संख्या 54 थी। साफ जाहिर है कि खेल महिलाओं के सशक्तीकरण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं।

टोक्यो ओलंपिक के बाद ये बात फिर साबित हो गई कि खेलों में भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं। चैंपियन होने और देश का सिर गर्व से उठाने की क्षमता उनमें कूट-कूटकर भरी है। टोक्यो में भारतीय महिलाओं ने 3 ओलंपिक मेडल जीते। अगर बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू ने दोबारा ओलंपिक मेडल जीतने की खास उपलब्धि हासिल की तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीत पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी। तीसरा पदक असम की लवलीना बोरगोहैन ने बॉक्सिंग में जीता। ओलंपिक में भारतीय महिलाएं अब तक दो सिल्वर समेत 8 पदक जीत चुकी हैं। पहली बार वर्ष 2000 में करनम मल्लेश्वरी वो भारतीय महिला थीं, जिन्होंने वेटलिफ्टिंग में कांस्य हासिल करके ये दिखाया था भारतीय महिलाएं क्या कर सकती हैं।

मल्लेश्वरी दरअसल भारतीय खेलों में पहली महिला खिलाड़ी थीं, जिन्होंने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में 69 वर्ग भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। वर्ष 2012 में एक बार फिर लंदन ओलंपिक से महिलाओं ने दिखाया कि उनमें कितना दमखम है। लंदन ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने दो कांस्य जीते। फिर 4 साल बाद एक सिल्वर समेत 2 पदक। अबकी बार 3 पदक और ... हालांकि ये बात भी है कि कुछ भारतीय महिला खिलाड़ी पुख्ता तौर पर पदक की दावेदार लग रही थीं और वो पदक के एकदम करीब आकर दूर हो गईं।

पहले टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। इस बार भारतीय दल में 56 महिलाएं थीं। वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में 54 महिलाओं ने शिरकत की थी। पिछले कुछ सालों में ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल में महिला खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ी है। जो जाहिर कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिलाओं की उपस्थिति मौजूद कराने की ताकत भी बढ़ रही है। 1996 से अब तक भारत ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत तौर पर 19 पदक जीते हैं, जिसमें 8 पदक महिलाओं ने जीते हैं। पिछले 9 सालों भारत को ओलंपिक खेलों में 13 पदक मिले, जिसमें 7 महिलाओं के थे। इसी से समझा जा सकता है कि महिलाएं कितनी मजबूती से अपनी जगह बना रही हैं।

पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम की मजबूती और जूझने की भरपूर क्षमता भी टोक्यो ओलंपिक में ही नज़र आई। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। एशियाई स्तर पर भारतीय महिला हॉकी टीम लगातार दमखम दिखाती रही है लेकिन ओलंपिक में वो

उड़न परी पीटी ऊषा

लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। ईमेल : sanjayratan@gmail.com

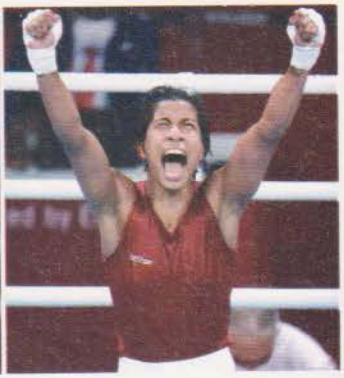

आमतौर पर आगे नहीं बढ़ पाई। 1980 के मास्को ओलंपिक में टीम तब चौथी पोजिशन पर आई थी, जब दुनिया के शीर्ष देशों ने इन खेलों का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद तो भारतीय महिलाओं के ओलंपिक क्वालिफाई करने तक के लाले पड़ गए। चार साल पहले रियो ओलंपिक में महिलाओं ने क्वालिफाई जरूर किया लेकिन 12वीं पायदान पर रहीं। उस लिहाज से इस बार टीम ने जो जूझारू क्षमता और खेल दिखाया। उसने हर किसी को प्रभावित किया। जब भारतीय महिलाओं ने हैवीवेट टीम आस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया तो ये वाकई वो क्षण थे, जो बता रहे थे कि भारतीय महिला हॉकी अब बदल चुकी है। रानी रामपाल की अगुवाई में खेलने उतरी भारतीय महिला हॉकी टीम ने खेल के हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ये तो जता दिया है कि अब वो दुनिया की टॉप टीमों में शामिल ही नहीं हुई है बल्कि तयशुदा तरीके से आगे बढ़ती हुई भी लग रही है। वैसे हॉकी में भारतीय हॉकी टीम की ज्यादातर सदस्य बहुत गरीब या साधारण पृष्ठभूमि से हैं।

टोक्यो ओलंपिक शुरू होने के दूसरे दिन ही मणिपुर की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर जाहिर किया कि पिछले चार सालों की उनकी मेहनत रंग लाई। मणिपुर के बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मीराबाई पिछले ओलंपिक में भी गईं थीं लेकिन खाली हाथ लौटी थीं लेकिन उनके प्रदर्शन ने तब भी ये दिखाया था कि अगर उन्हें सही ट्रेनिंग और कोच मिल गया तो वो कमाल करेंगी। उन्होंने स्नैच में 87 किलो वजन उठाया तो क्लीन एंड जर्क में 115 किलो भार उठाकर कुल 202 किलोग्राम ओवरऑल स्कोर बनाया। आमतौर पर उन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग की। वेटलिफ्टिंग में भारतीय महिलाओं ने पहला पदक वर्ष 2000 में मल्लेश्वरी के जरिए हासिल किया था। अब ये दूसरा है।

फिर एक अगस्त को हैदराबाद की पीवी सिंधू ने जब अपने जबरदस्त खेल के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया तो ये आस जता दी थी कि वो ओलंपिक में दूसरी बार बैडमिंटन का मेडल जीतने वाली हैं। 4 साल पहले रियो में उन्होंने वीमन सिंगल्स में सिल्वर जीता था। इस बार वो पक्के तौर पर मेडल की दावेदार थी। जिस अंदाज में वो खेल रही थीं, उसे देखते हुए कई लोगों को लगा कि वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर फॉर्म में हैं। 26 साल की इस खिलाड़ी को बड़े मैचों में ना केवल दबाव झेलना आ चुका है बल्कि वो जानती हैं कि कब क्या करना है। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें ताई त्जु यिंग से हार का सामना करना पड़ा लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने तीसरे स्थान के लिए मुकाबले में चीन की बिंगजाओ को 21-13, 21-15 से परास्त करके कांस्य जीत लिया। ये वाकई भारतीय खेलों में किसी महिला की बड़ी उपलब्धि है। बैडमिंटन में भारत ने वर्ल्ड स्तर पर खास पहचान बना ली है। पहले सायना नेहवाल बड़ी ताकत बनकर उभरीं थीं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था तो उसके बाद सिंधू कमाल कर रही हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर सिंधू से पहले पुरुष वर्ग में कुश्ती में सुशील कुमार ही दो बार पदक जीतने का कारनामा दिखा चुके हैं।

बॉक्सिंग में मेरी कॉम ऐसी दिग्गज हैं, जो वूमन बॉक्सिंग में दुनियाभर में एक प्रतीक बन चुकी हैं। भारत में महिला बॉक्सिंग को उन्होंने बड़ी पहचान दी। वो इस ओलंपिक में फिर बड़ी दावेदार थीं लेकिन 09 मिनट तक चले कड़े मुकाबले के बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मेरी कोम ने 2012 के ओलंपिक खेलों में फ्लाईवेट बाक्सिंग ब्रांज हासिल किया था। मेरी अपने विलपॉवर से इन खेलों में प्रवेश करने वाली महिला थीं। वो 05 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं।

ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला

ओलंपिक में पहली बार जिस भारतीय महिला ने शिरकत की थी, उनका नाम नीलिमा घोष था। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में 100 मीटर फर्राट दौड़ और 80 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लिया था। इसी ओलंपिक में भारत के पहलवान केडी जाधव ने पहली बार कुश्ती में व्यक्तिगत स्तर पर कांस्य पदक जीता था। इस ओलंपिक में पहली बार 04 महिलाओं को 60 पुरुषों के साथ हिस्सेदारी के लिए भेजा गया था। नीलिमा का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा लेकिन आधिकारिक तौर पर 21 जुलाई 1952 को वो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं।

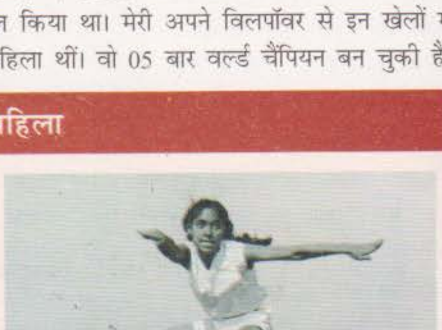

उनके साथ जो अन्य महिलाओं ने इसमें शिरकत की थी, उसमें मेरी डिसूजा 100 मीटर और 200 मीटर में दौड़ीं। इस ओलंपिक में डॉली नजीर और आरती साहा नाम की दो तैराक भी गईं थीं।

क्रिकेट में भी कम नहीं

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 'वीमन इन ब्लू' के नाम से भी जाना जाता है। महिला टीम का भी संचालन बीसीसीआई ही करता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट क्रिकेट मैच 31 अक्टूबर 1976 को बेंगलुरु में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था जबकि पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच एक जनवरी 1978 को कोलकाता में में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला। पहला टी20 मैच 5 अगस्त 2006 को डर्बी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दो बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसा 2005 और 2017 में हुआ। दोनों बार वो उपविजेता रही। तीन बार ये टीम 1997, 2000 और 2009 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची। भारतीय महिलाएं वर्ल्ड टी20 के फाइनल में 2020 पहुंची थीं लेकिन यहां भी उन्हें उपविजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा। लेकिन महिला क्रिकेट टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

उनकी ताकत की दाद हर कोई देता है। जब मेरी कोम बाहर हुई तो महिला बॉक्सिंग में भारत की एक और महिला मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आई, उसका नाम है लवलीना बोरगोहैन। जब मेरी कॉम हारीं तो सारी उम्मीद उन पर आकर टिक गई।

लवलीना असम की हैं। ओलंपिक से पहले उनके नाम की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी लेकिन जिस तरह उन्होंने अपना आत्मविश्वास और दृढ़इच्छाशक्ति दिखाई वो तो गजब ही कही जाएगी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चेन नेन चिन को 4-1 से पीट दिया। सेमीफाइनल में वो हालांकि नहीं जीत पाईं लेकिन भारत का कांस्य पदक तो पक्का कर ही दिया। ये नज़र आ रहा है कि चाहे जो हो लेकिन भारतीय महिलाओं में संघर्ष करने और लड़ने की क्षमता है, वो आखिरी समय तक हार नहीं मानतीं।

उत्तर पूर्व की अन्य खिलाड़ियों की ही तरह लवलीना भी गरीब घर से आती हैं। उनके पिता असम के चाय बागान में काम करते थे। उनकी जीत ने ओलंपिक के महिला बॉक्सिंग में देश को अब तक का दूसरा पदक दिलाया। भारतीय खेलों में महिलाओं का आना सामाजिक सिस्टम को देखते हुए कतई आसान नहीं। उन्हें ज्यादा प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ता है।

टोक्यो ओलंपिक से पहले जिन महिला खिलाड़ियों में खेलों के इस महाउत्सव में देश की नाक ऊंची की, उसके लिए आइए पिछले ओलंपिक खेलों पर नज़र दौड़ाते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधू ने अगर बैडमिंटन में इस प्लेटफॉर्म पर अपने खेल से मुग्ध कर दिया था तो कुश्ती में साक्षी मलिक ने कमाल कर दिया था। हरियाणा की रहने वाली साक्षी ने महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पाया। उनसे पहले भारत की कोई भी महिला पहलवान यहां तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि उसके बाद हरियाणा की साक्षी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में नज़र तो नहीं आई लेकिन कुश्ती में उन्होंने उन तमाम महिला खिलाड़ियों का हौसला जरूर बुलंद किया, जो कुश्ती के दांवपेंच आजमा रही हैं। हालांकि महिला कुश्ती में फोगाट बहनों ने भी काफी नाम कमाया है। साथ ही एशियाई स्तर से लेकर इंटरनेशनल इवेंट्स में कई पदक हासिल किए हैं।

हालांकि कहना चाहिए खेलों में अब भी आने वाली लड़कियों का कुल प्रतिशत बहुत कम है। हमारी कुल आबादी का एक या दो फीसदी लड़कियां ही खेलों के मैदान तक पहुंचती हैं। लेकिन वो बड़ा अंतर पैदा कर रही हैं। निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं खेलों में ग्रामीण स्तर से भी प्रतिभाओं को ढूंढकर सामने ला रही हैं और उन्हें तराश भी रही हैं। केवल यही नहीं ये महिलाएं सशक्तीकरण के मामले में नई अलख भी जगा रही हैं।

कुछ सालों पहले महावीर फोगाट ने हरियाणा के अपने गांव में अपनी लड़कियों को कुश्ती की कोचिंग देनी शुरू की तो गांव में उनका बहुत विरोध हुआ। लेकिन अब उनकी बेटियां और भतीजियां पूरे देश में ना केवल कुश्ती में शोहरत हासिल कर चुकी हैं बल्कि कामनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पदक हासिल कर चुकी हैं। हाल ही में विनेश फोगाट ने जकार्ता एशियाई खेलों में 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, इससे पहले वो वर्ष 2014 में एंचियान एशियाड में कांस्य पदक हासिल किया था। फोगाट बहनों में गीता, बबीता, रितु और संगीता सभी ने कुश्ती को लोकप्रिय बनाने में खास भूमिका निभाई है। उन्होंने ऐसे खेलकर को चुनकर दिखाया कि क्या कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने मुकाबलों में कई पुरुषों तक को हराया है।

वर्ष 2012 यानी लंदन ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने 2 पदक जीते थे। दोनों पदक कांस्य थे। इन्हें जीतने वाली थीं मेरी कोम (बाक्सिंग) और सायना नेहवाल (बैडमिंटन)। सायना का नाम भला कौन नहीं जानता होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये वही थीं, जिन्होंने भारतीय बैडमिंटन को महिलाओं के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। आक्रमक बैडमिंटन खेलने वाली सायना अपने करियर के दौरान कई बड़े इंटरनेशनल इवेंट जीते। ओलंपिक में वो दूसरी बार हिस्सा लेने आईं थीं हालांकि इससे पहले वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में भी उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर जबरदस्त खेल दिखाया था। महिला बॉक्सिंग को तब पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। मेरी कोम हालांकि सेमीफाइनल में हार गईं थी लेकिन तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में उन्होंने जीत हासिल करके नया इतिहास लिखा।

मणिपुर के एक छोटे से गांव में मामूली खेतिहर मजदूर के घर में जन्म लेने वाली मेरी कोम नारी शक्ति का नई प्रतीक हैं। ढेरों

मुश्किलों, सामाजिक असमानताओं, आर्थिक दिक्कतों और तमाम बाधाओं के बावजूद वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से आगे बढ़ती रहीं। उन्हें खुद पर भरोसा था। जिसके दम पर उन्होंने उस छोटे से गांव से लेकर भारत की खेल आयकन बनने का लंबा सफर तय किया।

यहां ये कहना भी जरूरी है कि वर्ष 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने कुल 69 पदक जीते, इसमें करीब 30 पदक महिलाओं के थे। भारतीय महिलाओं ने पिछले कुछ बरसों में खेलों में ना केवल देश को गर्व दिया बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो किसी से पीछे नहीं। अच्छी बात ये है भारतीय खेल जगत में नाम ऊंचा करने वाली ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां ग्रामीण और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऊपर तक पहुंच रही हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जमकर देश का नाम रोशन कर रही हैं।

80 के दशक के पहले भारतीय खेलों में महिलाएं कम ही खेलों में आती थीं। लेकिन तब पीटी ऊषा और शाइनी अब्राहम जैसी जोरदार एथलीटों ने सारी तस्वीर ही बदल दी। 1984 के लासएंजिल्स ओलंपिक में पीटी ऊषा गजब की फॉर्म में थीं। उन्हें तब एशियाई ट्रैक-फील्ड की रानी कहा जाता था। 83 से 89 के बीच उन्होंने एशियाई खेलों से लेकर इंटरनेशनल इवेंट्स में 13 गोल्ड मेडल जीते थे।

हालांकि कहना चाहिए खेलों में अब भी आने वाली लड़कियों का कुल प्रतिशत बहुत कम है। हमारी कुल आबादी का एक या दो फीसदी लड़कियां ही खेलों के मैदान तक पहुंचती हैं। लेकिन वो बड़ा अंतर पैदा कर रही हैं। निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं खेलों में ग्रामीण स्तर से भी प्रतिभाओं को ढूंढकर सामने ला रही हैं और उन्हें तराश भी रही हैं। केवल यही नहीं ये महिलाएं सशक्तीकरण के मामले में नई अलख भी जगा रही हैं। खेलों से जुड़ी बहुत सी संस्थाएं और एनजीओ मान रहे हैं कि खेल महिला सशक्तीकरण का सबसे असरदार हथियार बन रहा है।

फिलहाल हमारे देश में महिला खिलाड़ियों का नाम लेते ही कई नाम खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाते हैं - मेरी कोम, पीवी सिंधू, सायना नेहवाल, सानिया मिर्जा, साक्षी मलिक, फोगाट बहनें करनम मल्लेश्वरी, स्वप्ना बर्मन, दुती चंद, दीपा करमाकर, हिमा दास, रानी सरनोबल, दीपिका पल्लीकल, अंजु बॉबी जार्ज और भी ना जाने कितने। इनमें मेरी कोम, सायना नेहवाल और फोगाट बहनों पर फिल्म भी बन चुकी है।

80 के दशक के पहले भारतीय खेलों में महिलाएं कम ही खेलों में आती थीं। लेकिन तब पीटी ऊषा और शाइनी अब्राहम जैसी जोरदार एथलीटों ने सारी तस्वीर ही बदल दी। 1984 के लासएंजिल्स ओलंपिक में पीटी ऊषा गजब की फॉर्म में थीं। उन्हें तब एशियाई ट्रैक-फील्ड की रानी कहा जाता था। 83 से 89 के बीच उन्होंने एशियाई खेलों से लेकर इंटरनेशनल इवेंट्स में 13 गोल्ड मेडल जीते थे। लास एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में वह सेकेंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक से वंचित रह गईं। इसी ओलंपिक में शाइनी विल्सन 800 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल तक पहुंचीं। उन्होंने भी एशियाई स्तर ट्रैक-फील्ड में बड़ी छाप छोड़ी। तीसरी महिला खिलाड़ी, जिसने लांग जंप में बड़ी लकीर खींची, वो अंजु बॉबी जार्ज थीं। वह पहली ऐसी एथलीट थीं जिन्होंने वर्ष 2003 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में बहुत करीब से कांस्य पदक से वंचित हुईं। साथ लांग जंप की वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया की पहली तीन खिलाड़ियों में भी रहीं।

अंतरराष्ट्रीय टेनिस जगत के लिए हैदराबाद की सानिया मिर्जा अब एक जानी मानी खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ सालों में वो दुनिया की शीर्ष डबल्स टेनिस प्लेयर बन कर उभरीं। उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम समेत एक दर्जन से ज्यादा बड़े खिताब जीते। हैदराबाद जैसे मुस्लिम रूढ़ीवादी समाज से निकलकर जब उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया तो विरोधों की बाढ़ आ गई। उनके कपड़ों पर फतवे दिए गए। अब सानिया खुद बदलाव के लिए बेचैन मुस्लिम समाज और लड़कियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। नि:संदेह वह बदलते जमाने में बदलाव की वाहक हैं। देश में नारी सशक्तीकरण की बड़ी उदाहरण।

इन सभी खिलाड़ियों ने पहली बार ये भ्रम तोड़ा कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं और दमखम में अभी काफी पीछे हैं। उन्होंने जो लकीर बनाई वो हर बीतते बरस के साथ बड़ी ही हो रही है। हालांकि कहना चाहिए कि जब एक महिला खेलों में आती है तो उसका संघर्ष पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा और घर से लेकर मैदान तक कई स्तरों पर होता है। उसके बाद अगर वो अपने हौसलों के बलबूते पर तमाम बाधाओं और समस्याओं को लांघ रही हैं तो उन्हें सलाम करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन को देखें तो महसूस होता है कि हमारी लड़कियों और महिलाओं में अपार ऊर्जा और क्षमता है, बस कसर है तो आगे बढ़ने के लिए मौका देने और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने की। निश्चित रूप में खेलों में लड़कियां जो कुछ कर रही हैं, उससे उन्हें लेकर वर्जनाएं और धारणाएं दोनों टूट रही हैं।

खेलों के माध्यम से आगे बढने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ रही है और उनकी सफलता भी। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडलीय खेलों में महिला खिलाड़ियों ने 37 पदक जीते जबकि इससे ठीक दस साल पहले महिलाओं की झोली में कोई पदक नहीं था। वर्ष 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में महज छह महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया तो बीस साल बाद वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में ये संख्या 23 हो गई। इसके बाद वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक्स में ये संख्या 54 थी। साफ जाहिर है कि खेल महिलाओं के सशक्तीकरण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। ■

नारीवादी वैचारिकी और साहित्य

आलोक श्रीवास्तव

इक्कीसवीं सदी के दो दशक गुजर जाने के बाद समाज और मनुष्य के अस्तित्व में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, पर विश्व-राजनीति, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति के ऊपरी संस्तरों में गहरे परिवर्तन हो गए हैं। पुराने आंदोलन व प्रश्न अप्रासंगिक हो चुके हैं। समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं। आगत युग नई वैचारिकी, अधिक सुसंगत व समग्र दृष्टि और नए समाधानों की मांग कर रहा है। नारीवादी-चेतना का समग्र सार-संकलन तथा बीती एक सदी का अनुभव उसे संभवतः एक नई शक्ति और नया मोड़ दे। नारीवादी-आंदोलन, नारीवादी बौद्धिक-विमर्श और नारीवादी-सृजन में एक नए तारतम्य की जरूरत है, साथ ही इस आंदोलन के पूरब और पश्चिम में बंटे स्थानीय स्वरूपों की जगह एक ऐसे स्वरूप की भी जो संसार भर की स्त्रियों के साझे दु:ख और साझे स्वप्न का महाप्रवाह बन सके।

साहित्य में स्त्रीवाद आज एक प्रबल और स्थापित विचार है। इसका संबंध जहां एक ओर साहित्य से है, वहीं दूसरी ओर मानव-समाज के विकास के इतिहास से भी। जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं, तो उसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य के इतिहास के आधुनिक काल में उत्पन्न आधुनिक-मूल्यों पर आधारित साहित्य। आधुनिक-मूल्य उस आधुनिक दुनिया का सृजन है, जो अनेक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई। सबसे पहले 13वीं-14वीं सदी में उत्पन्न हुई यूरोपीय-नवजागरण, प्रबोधन तथा ज्ञानोदय की परंपराओं ने विज्ञान, कला और विचार की दुनिया में मूलगामी परिवर्तन कर दिया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति ने वे परिस्थितियां पैदा कर दीं, जिनसे एक नया मानव-जीवन प्रकट हो सके। 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने समता-समानता-स्वतंत्रता के मूल्यों की घोषणा की। 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में यूरोप में जिस दुनिया ने आकार लिया, वह आधुनिक दुनिया थी। दूसरी तरह से यह भी कहा जा सकता है कि पुरानी दुनिया सामंतवादी-संबंधों और मूल्यों से बनी थी, नई दुनिया पूंजीवादी-संबंधों और मूल्यों से निर्मित हुई। आधुनिकता इस नई दुनिया का एक मूल्य थी।

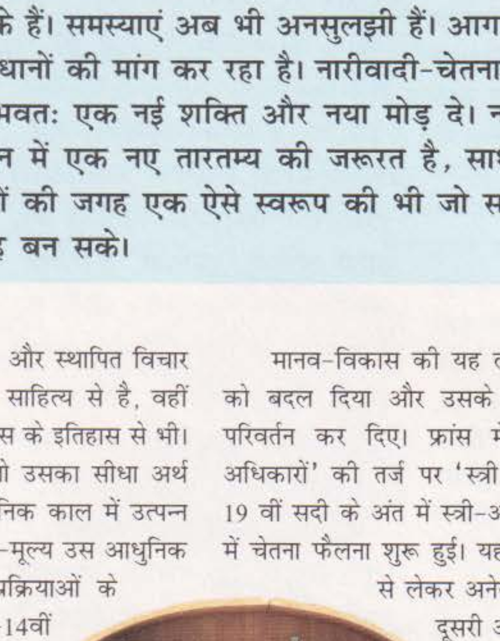

मानव-विकास की यह लंबी कहानी है। आधुनिकता ने साहित्य को बदल दिया और उसके स्वरूप और प्रभाव में भी बुनियादी परिवर्तन कर दिए। फ्रांस में मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने 'मनुष्य के अधिकारों' की तर्ज पर 'स्त्री के अधिकारों का घोषणापत्र' लिखा। 19 वीं सदी के अंत में स्त्री-अधिकारों को लेकर यूरोप और अमेरिका में चेतना फैलना शुरू हुई। यह चेतना एक ओर मतदान के अधिकार से लेकर अनेक स्त्रीवादी-आंदोलनों में विकसित हुई, दूसरी ओर स्त्रियों की समाजिक-मुक्ति की वह प्रक्रिया भी आरंभ हुई, जहां से उनका घर से बाहर के कार्यक्षेत्र में पदार्पण हुआ, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उनकी यात्रा आरंभ हुई। साहित्य में भी स्त्रीवादी चेतना ने विकास किया। सबसे पहले अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में इसकी प्रभावी दस्तक सुनी गई। ब्रोंटी सिस्टर्स, एमिली ब्रोंटी और शार्लोट ब्रोंटी के उपन्यासों – *जेन ऑयर, वुदरिंग हाइट्स और एग्नेस ग्रे* ने स्त्री-अभिव्यक्ति के नए झरोखे खोल दिए। फिर तो उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में कहानी, कविता, उपन्यास के क्षेत्र में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पानी, रूसी आदि भाषाओं में एक के बाद एक स्त्रियों की रचनाएं आने लगीं। बीसवीं सदी में यूरोपीय

लेखक कवि एवं साहित्यकार हैं। दो दशक से भी अधिक 'धर्मयुग' व 'नवभारत टाइम्स, मुंबई' के संपादन से जुड़े रहने के बाद वे 8 वर्ष तक 'अहा! जिंदगी' पत्रिका के प्रधान संपादक रहे। फिलहाल संवाद प्रकाशन की 'विश्व ग्रंथमाला' व 'भारतीय भाषा ग्रंथमाला' के प्रधान संपादक हैं। ईमेल: samvad.in@gmail.com

भाषाओं में स्त्री के रचे साहित्य ने एक नई उछाल ली। 1907 में जन्मी फ्रांसीसी लेखिका सिमोन द बोउवार की प्रसिद्ध पुस्तक *द सेकेंड सेक्स* 1949 में जब छपी तो उसे स्त्रीवादी-साहित्य का घोषणापत्र माना गया। सिमोन ने कहानियां लिखीं, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे। सभी विधाओं में उनकी रचनाओं ने विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की। दुनिया भर की भाषाओं के साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका था। स्त्रियों द्वारा लिखित साहित्य ने विषय और अभिव्यक्ति की दृष्टि से नए आयाम प्राप्त करने शुरू किए। यही नहीं नारीवादी विचारों ने पुरुषों द्वारा रचित साहित्य और आलोचनात्मक मानदंडों में भी परिवर्तन किए। कैथरीन मैंसफील्ड की कहानियों, एलिजाबेथ टेलर की कविताओं ने दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया दिया। 1869 में आई जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक *द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन* ने स्त्री की पराधीन स्थिति के उसके व्यक्तित्व-विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की गहराई से विवेचना की और यह प्रतिपादित किया कि स्त्री की जो भी सीमाएं सदियों से स्थापित हैं, वे सामाजिक मूल्यों और जीवनगत ढांचे का परिणाम हैं, न कि स्त्री के नैसर्गिक गुण। उन्होंने अपनी इस किताब में सूक्ष्मता से यह भी बताया कि धरती पर नए जीवन के लिए यह आवश्यक है कि उन सामाजिक दशाओं को समाप्त किया जाए, जो स्त्री का पराधीन मानस और परनिर्भर अस्तित्व गढ़ती हैं। इस किताब ने यूरोपीय मानस को एक नई प्रेरणा और स्त्री को देखने का आधुनिक दृष्टिकोण दिया। 1927 में जब वर्जीनिया वुल्फ को कॉलेज में भाषण देने के लिए निमंत्रित किया गया तो उन्होंने लिखा कि मुझसे कहा गया है कि मैं इस बारे में प्रकाश डालूं कि स्त्री-लेखन में इतनी कमी क्यों रही। इस प्रश्न का विवेचन करते हुए उन्होंने एक पूरी किताब ही लिख दी *ए रूम ऑफ वंस ओन*। इस पुस्तक में उन्होंने स्त्री की रचनाशीलता का उसके सामाजिक अस्तित्व से संबंध व्याख्यायित किया और यह बताया कि वह स्त्री की प्रतिभा या रचनात्मक क्षमता नहीं है, जो उसे उत्कृष्ट लेखन से रोकती है, बल्कि वह उसके अस्तित्व की सामाजिक दशाएं हैं, युगीन परिवेश और उससे निर्मित साहित्यिक मूल्य-परंपराएं-मानदंड हैं जो स्त्री लेखन के मार्ग की बाधाएं हैं। इतनी बाधाओं और प्रतिकूलताओं के बाद भी स्त्री रचनाकारों ने उल्लेखनीय लेखन किया है। यही नहीं उनकी रचनाशीलता एक यात्रा पर है। उसका भविष्य समाज की उन दशाओं पर निर्भर करेगा, जो उसकी आर्थिक-स्वतंत्रता और मानसिक-स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेंगी।

इन आरंभिक चिंगारियों ने भविष्य में मशाल का रूप लिया। अब स्त्रीवादी-साहित्य का विकास सिर्फ यूरोप और अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से हुआ। बीसवीं सदी में जिस साहित्य ने प्रमुखता से अपनी उपस्थिति विश्व साहित्य के फलक पर दर्ज की वह रूसी-साहित्य, अफ्रीकी-साहित्य, लातिन-अमेरिकी साहित्य और विश्व भर में विभिन्न भाषाओं में रचा गया नारीवादी-साहित्य था। आज अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन, जापानी, चीनी के साथ-साथ फारसी, अरबी, उक्रेनी, टर्की, हिब्रू, फिनिश, डेनिश से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं उर्दू, हिंदी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि में स्त्रियों ने सभी विधाओं में प्रचुर लेखन किया है। और हर भाषा में ऐसे उपन्यास, कहानियां, कविताएं, आत्मकथाएं तथा वैचारिक साहित्य प्रभूत मात्र में लिखे गए हैं, जो हमारे आधुनिक विश्व-साहित्य की धरोहर हैं। देशों और भूगोलों के अंतर ने इस साहित्य को जहां एक ओर स्थानीय विशेषताएं दी हैं, वहीं उसे संयोजित करने वाली वैश्विक स्त्री-मुक्ति की चेतना से संपन्न किया है।

बीसवीं सदी में जिस साहित्य ने प्रमुखता से अपनी उपस्थिति विश्व साहित्य के फलक पर दर्ज की वह रूसी-साहित्य, अफ्रीकी-साहित्य, लातिन-अमेरिकी साहित्य और विश्व भर में विभिन्न भाषाओं में रचा गया नारीवादी-साहित्य था। आज अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन, जापानी, चीनी के साथ-साथ फारसी, अरबी, उक्रेनी, टर्की, हिब्रू, फिनिश, डेनिश से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं उर्दू, हिंदी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि में स्त्रियों ने सभी विधाओं में प्रचुर लेखन किया है। और हर भाषा में ऐसे उपन्यास, कहानियां, कविताएं, आत्मकथाएं तथा वैचारिक साहित्य प्रभूत मात्र में लिखे गए हैं, जो हमारे आधुनिक विश्व-साहित्य की धरोहर हैं।

वैश्विक फलक पर नदिमन गोर्डमर, माया एंजेलो, टोनी मॉरिसन, सिल्विया प्लाथ, नओमी वुल्फ, डोरिस लेसिंग, मार्गरेट एटवुड, हार्पर ली, अन्ना आख्मातोवा, मारीना त्वेतायेवा, बेला अख्मादूलिना, जैसी लेखिकाओं की लंबी फेहरिश्त है।

हिंदी की आरंभिक लेखिकाओं में उमा नेहरू, कमला चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, महादेवी वर्मा आदि थीं। इन लेखिकाओं ने अपने आपको नारीवादी आंदोलन से संबद्ध नहीं कहा और न ही अपने लेखन के जरिए सायास रूप से स्त्रीवादी वैचारिकता को पोषित किया। परंतु इन लेखिकाओं के लेखन में भारतीय स्त्री का जीवन-संघर्ष और उसके स्त्री होने के अनुभव का वैशिष्ट्य स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हुआ। उमा नेहरू के निबंधों ने और महादेवी वर्मा के निबंधों, संस्मरणों और यात्रा-विवरणों ने भारतीय स्त्री की संघर्षगाथा को एक ठोस रचनात्मक आधार दिया। स्वतंत्रता के बाद आई स्त्री लेखिकाओं की पीढ़ियों ने दशक दर दशक हिंदी साहित्य में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। हिंदी की नई कविता को स्वरूपित करने वाले अज्ञेय द्वारा संपादित चार सप्तकों में शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे जैसी कवयित्रियां थीं। नई कविता, नई कहानी, प्रगतिशील व प्रयोगवादी आंदोलन वे नाम हैं, जिनके जरिए बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य को वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से प्रत्येक धारा में स्त्रियों का लेखन महत्वपूर्ण तो था ही, उसने हिंदी साहित्य में स्त्री के जीवन-संघर्ष की आधुनिक परिस्थितियों को भली भांति रेखांकित किया। कृष्णा सोबती की कहानियों और उपन्यासों में नारी जीवन के दर्द और विभाजन की पीड़ा से उपजी उसकी जीवन स्थितियों का चित्रण हुआ, वहीं स्त्री की बेबाकी, उसकी स्वतंत्र मन:स्थिति, उसके व्यक्तित्व का जमीन से जुड़ा

और प्रामाणिक अनुभव व्यक्त हुआ। उनकी प्रख्यात रचनाएं *बादलों के घेरे, मित्रो मरजानी, जिंदगीनामा, डार से बिछुड़ी, दिलोदानिश* उनकी रची स्त्रियों का धड़कता हुआ संसार हैं। मन्नू भंडारी की कहानियों ने मध्यवर्गीय शहरी स्त्री के मन का संसार प्रस्तुत किया। उषा प्रियंवद की कहानियों और उपन्यासों ने आधुनिक स्त्री के प्रेम और जीवन-संघर्ष को वाणी दी। ममता कालिया की कहानियों में स्त्री-जीवन का बदलता सत्य सामने आया।

नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग के उपन्यासों व कहानियों में नारीवादी रचनात्मक दृष्टि का विस्तार देखने को मिलता है। नासिरा शर्मा की रचनाओं में भारतीय समाज की विभिन्न परतें तथा मध्य एशियाई स्त्री-पात्रों की जिंदगी है, चित्रा मुदगल की रचनाएं मजदूर आंदोलन से लेकर महानगरीय स्त्री-जीवन को अपना विषय बनाती हैं। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास व कहानियां बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन के परिवेश में स्त्री की कई पीढ़ियों की संघर्षकथा को प्रस्तुत करती हैं, वहीं मृदुला गर्ग के उपन्यासों-कहानियों में सातवें आठवें दशक के भारत की शहरी स्त्री के प्रेम व यौन-कामनाओं के अंतर्द्वंद्व और पारिवारिक स्थितियों का गहन अंकन हुआ है।

नासिरा शर्मा के उपन्यास *शाल्मली, ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयांजान, कागज की नाव* व *पारिजात* तो चर्चित रहे ही। इसके अलावा उन्होंने उर्दू व फ़ारसी के जरिए ईरानी, इराकी स्त्रियों के दु:ख-दर्द को भी लिखा। इराक तथा अफ़गानिस्तान पर लिखी उनकी विस्तृत किताबें इन देशों के सामयिक इतिहास के परिवर्तनों पर जीवंत व महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास *इदन्नमम, चाक, बेतवा बहती रही, अल्मा कबूतरी, कहे ईसुरी फाग* ने बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन के संदर्भ में भारतीय स्त्री के अंतर्मन के द्वंद्वों व जीवन-संघर्षों को बड़े फलक पर रचा। इन सृजनात्मक कृतियों के अलावा उनकी आत्मकथाएं *कस्तूरी कुंडल बसै* तथा *गुड़िया भीतर गुड़िया* भी एक स्त्री के लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण की ज़द्दोज़हद का गहरा अंकन हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यासों *उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, कठगुलाब, चित्तकोबरा, मैं और मैं* तथा कथा-संग्रहों ने महानगरीय आधुनिक स्त्री के देह और मन के द्वंद्वों को शब्द दिए। चित्रा मुद्गल के उपन्यास *आंवां* ने मुंबई के मजदूर आंदोलन की पृष्ठभूमि पर जीवन के चित्र रचे। प्रभा खेतान की आत्मकथा *अन्या से अनन्या* तथा उनके उपन्यासों *आओ पेपे घर चलें* तथा *छिन्नमस्ता* में स्त्री के द्वितीयक अस्तित्व को निर्मित करने वाली सामाजिक शक्तियों की मार्मिक चीरफाड़ हुई। आज़ादी के बाद की जिन दो-तीन पीढ़ियों ने हिंदी साहित्य में स्त्री-अनुभव व संवेदना को गहराई से दर्ज किया, उसकी अन्य प्रमुख रचनाकार रहीं चंद्रकिरण सौनरेक्सा, मेहरुनिशा परवेज, श्रीमती विजय चौहान, मालती जोशी, राजी सेठ, चंद्रकांता, कुसुम अंसल, सिम्मी हर्षिता, मधु कांकरिया, सुषम बेदी, रजनी पनिक्कर, शशिप्रभा शास्त्री, उषा महाजन, रमणिका गुप्ता, कमल कुमार आदि।

बीसवीं सदी के आखिरी दशकों में हिंदी के स्त्री लेखन का दायरा सहसा अधिक विस्तृत हो गया। अलका सरावगी के उपन्यास *कलिकथा वाया बायपास* और गीतांजलि श्री के उपन्यास, *हमारा शहर उस बरस* ने स्त्री के जीवन के प्रश्नों को समाज और इतिहास की व्यापक प्रक्रियाओं के संदर्भ में रखा। राजनीति और जीवन का यथार्थ-बोध इन दोनों ही लेखिकाओं की रचनाओं में परिपक्वता के साथ व्यक्त हुआ। सारा राय की कहानियों ने अतीत स्मृति और निर्वैक्तिकता के शिल्प में स्त्री चेतना की अभिव्यक्ति की। जया जादवानी के उपन्यास और कहानियां पारदर्शी काव्यात्मक भाषा में स्त्री मन के अगम्य कोनों अंतरों की कथा कहती हैं।

हां, यह बात जरूर नोटिस किए जाने लायक है कि समूची बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में हिंदी में साहित्यालोचना तथा वैचारिक-लेखन के क्षेत्र में लगभग सन्नाटे की स्थिति रही है। हिंदी-क्षेत्र की अनेक स्त्रियों ने अंग्रेजी भाषा में लिखकर इतिहास, दर्शन, राजनीति आदि विधाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेखन-कार्य किया है। परंतु हिंदी भाषा स्त्रियों के सृजनात्मक साहित्य तक ही सीमित रही। बीसवीं सदी के अंत में हिंदी में स्त्री कवयित्रियों की पूरी एक नई पीढ़ी आ गई है, जो तेजी से अपना संख्यात्मक विस्तार कर रही है। इस पीढ़ी की उपलब्धियां आना अभी बाकी है। इस काल की प्रमुख कवयित्रियां, कात्यायनी, अनामिका, सविता सिंह, सविता भार्गव, नीलेश रघुवंशी, तेज़ी ग्रोवर, शुभा, अर्चना वर्मा आदि हैं।

हिंदी से इतर यदि हम भारतीय भाषाओं के साहित्य की ओर नज़र दौड़ाएं तो हमें एक बड़ा परिदृश्य दिखाई देता है। बांग्ला, मराठी, मलयालम, तमिल, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, ओडिया आदि भाषाओं में समूची बीसवीं सदी में स्त्रियों ने महान साहित्य की रचना की है। साहित्य की सभी विधाओं में स्त्री-चेतना को नए आयाम देने वाले इस साहित्य के व्यापक रूप से हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की जरूरत है। यदि हम हिंदी तथा भारतीय अंग्रेजी समेत समस्त भारतीय भाषाओं के नारीवादी दृष्टि या स्त्री-चेतना की अंतर्धारा वाले साहित्य का एक सम्मिलित चित्र की ओर देखें तो यह सचमुच गर्व की बात है कि बीसवीं सदी के आखिरी पांच-छह दशकों में ही इतना विविध और चेतना संपन्न विश्वस्तरीय साहित्य रचा गया है। वस्तुत: भारत के स्त्री-साहित्य का यही संपूर्ण चित्र है। इसे भाषाओं में खंडित नहीं किया जा सकता। इसकी समग्रता ही इसका सौंदर्य है। कुर्रतुल ऐन हैदर के उपन्यास *आग का दरिया, चांदनी बेगम, निशांत के सहयात्री, अगले जनम मोहे बिटिया न कीजो, कारे दराज,* भारतीय समाज की उथल-पुथल, उसके सांस्कृतिक इतिहास और सामूहिक पीड़ा का विराट दृश्य रचते हैं। महाश्वेता देवी की बांग्ला रचनाएं *1084 वें की मां, जंगल के दावेदार, चेटिट् मुंडा का तीर* आदि उपन्यास तथा सैकड़ों कहानियां विकासशील भारत की उस सच्चाई को उजागर करती हैं, जो आदिवासियों को उत्पीड़ित और विस्थापित करते हुए अपनी अंध गति से भाग रही है। आशापूर्णा देवी के उपन्यास *प्रथम प्रतिश्रुति* और *बकुलकथा* बांग्ला स्त्री के अंतर्मन का दर्पण होकर समस्त भारतीय स्त्री मन की कथा बन गए हैं। बांग्ला में नवनीता देवसेन से लेकर मंदाक्रांता सेन तक

स्त्री कवियों की एक लंबी और अत्यंत समृद्ध परंपरा है। मराठी भाषा में इरावती कर्वे, दुर्गा भागवत जैसी लेखिकाओं ने महाभारत के पात्रों की जो आधुनिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं कीं, वे भारतीय साहित्य की निधि हैं। मराठी स्त्री लेखिकाओं की आत्मकथा का एक विशद भंडार है। मराठी कविता, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में विगत पांच-छह दशकों में स्त्री-लेखन समस्त भारतीय भाषाओं में संभवतः सर्वाधिक चेतनासंपन्न और प्रगल्भ रहा है। गुजराती साहित्य में कुंदनिका कपाड़िया के उपन्यास सात दीवारों के पार आकाश ने एक नए वातावरण का निर्माण किया था। गुजराती स्त्री-कथा स्त्री के प्रेमल मन के अंतर्द्वंद्वों को आधुनिक बोध के साथ वर्णित करती है। ओडिया में प्रतिभा राय के मिथक चरित्रों पर आधारित उपन्यासों ने अतीत के नारी चरित्रों के हृदय और मस्तिष्क की गहराइयां थाही हैं। पंजाबी में दिलीप कौर टिवाणा, मनजीत टिवाणा, अमृता प्रीतम की पीढ़ी के सशक्त रचनात्मक युग के बाद लेखिकाओं की कई पीढ़ियां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी हैं। उर्दू और बांग्ला में पाकिस्तान और बांग्लादेश में पिछली आधी सदी में काफी समृद्ध साहित्य रचा गया है। पाकिस्तानी स्त्रियों ने कविता के क्षेत्र में और बांग्लादेशी स्त्रियों ने उपन्यास के क्षेत्र में मुस्लिम समाज के परिप्रेक्ष्य में स्त्री के सामाजिक और निजी अनुभवों को संवेगात्मक भाषा में रचा है। किश्वर नाहीद, जाहिदा जैदी, अदा जाफरी, परवीन शाकिर, फहमीदा रियाज, जहरा निगाह, सारा शगुफ्ता, अजरा अब्बास, जैसी दर्जनों कवयित्रियां मानो भारतीय उपमहाद्वीप में स्त्री के दुःखों और अस्तित्वगत प्रश्नों का प्रातिनिधिक स्वर हैं। यह सूची काफी विस्तृत है। बांग्लादेश के उपन्यासकारों में तहमीना अनम, तसलीमा नसरीन ने विभाजन, सांप्रदायिक तनाव और स्त्री की यौन-स्वतंत्रता को सशक्त स्वर दिया है।

आज भारतीय भाषाओं में स्त्री-चेतना से संपन्न साहित्य का लेखन विपुल है। पर यह यात्रा आसान नहीं थी। भारतीय नवजागरण व स्वतंत्रता-संग्राम में निहित नए समाज के गठन के स्वप्न ने इस चेतना को पैदा किया था। मराठी, बांग्ला, उर्दू, मलयालम अनेक भाषाओं की लेखिकाओं ने अनाम रह कर उस समय की पत्र-पत्रिकाओं में स्त्री-प्रश्न से जुड़े लेख आदि लिखे। मराठी में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना जैसी बहुचर्चित पुस्तक लिखी। ताराबाई ने पुरुष-प्रभुत्व और पुरुष-श्रेष्ठता को सीधे चुनौती दी। उन्होंने व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों तथा तर्कों द्वारा स्त्री-पुरुष की तुलना कर इस आधार को वैचारिक रूप से निरस्त किया कि स्त्री का जीवन परंपरागत भूमिकाओं में बंधा रहने व पुरुष की गुलामी के लिए ही बना है। इसी प्रकार पंडिता रमा बाई ने अपनी प्रख्यात मराठी पुस्तक हिंदू स्त्री का जीवन में उच्च-वर्ण की हिंदू स्त्री के विडंबनात्मक जीवन और पितृसत्ता के आधारों को ही चुनौती दी और स्त्री-शिक्षा व स्त्री-सशक्तीकरण का पाठ प्रस्तुत किया। 19 वीं सदी के अंत तक स्त्री संबंधी उन समस्त सवालों को जो भारतीय सामाजिक-जीवन में मौजूद थे, साहित्य में प्रमुखता से जगह मिलने लगी। स्त्री-लेखिकाओं की पूरी पीढ़ी तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में वैचारिक व रचनात्मक लेखन के माध्यम से इन प्रश्नों पर गंभीर अनुभवजन्य लेखन प्रस्तुत करने लगीं। इस प्रक्रिया ने पुरुष-लेखन को भी काफी हद तक बदला। अब साहित्य में नई तरह के स्त्री चरित्र आने लगे। शरतचंद्र, रवींद्रनाथ, प्रेमचंद, प्रसाद, तकषि पिल्लै जैसे दर्जनों भारतीय लेखकों ने भारत की नई स्त्री का स्वप्न गढ़ा।

आज भारतीय भाषाओं में स्त्री-चेतना से संपन्न साहित्य का लेखन विपुल है। पर यह यात्रा आसान नहीं थी। भारतीय नवजागरण व स्वतंत्रता-संग्राम में निहित नए समाज के गठन के स्वप्न ने इस चेतना को पैदा किया था। मराठी, बांग्ला, उर्दू, मलयालम अनेक भाषाओं की लेखिकाओं ने अनाम रह कर उस समय की पत्र-पत्रिकाओं में स्त्री-प्रश्न से जुड़े लेख आदि लिखे। मराठी में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना जैसी बहुचर्चित पुस्तक लिखी। ताराबाई ने पुरुष-प्रभुत्व और पुरुष-श्रेष्ठता को सीधे चुनौती दी। उन्होंने व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों तथा तर्कों द्वारा स्त्री-पुरुष की तुलना कर इस आधार को वैचारिक रूप से निरस्त किया कि स्त्री का जीवन परंपरागत भूमिकाओं में बंधा रहने व पुरुष की गुलामी के लिए ही बना है। इसी प्रकार पंडिता रमा बाई ने अपनी प्रख्यात मराठी पुस्तक हिंदू स्त्री का जीवन में उच्च-वर्ण की हिंदू स्त्री के विडंबनात्मक जीवन और पितृसत्ता के आधारों को ही चुनौती दी और स्त्री-शिक्षा व स्त्री-सशक्तीकरण का पाठ प्रस्तुत किया।

अब 19 वीं सदी और 20 वीं सदी के आरंभिक स्त्री-लेखन पर काफी कुछ अनुसंधान कार्य हो चुका है। समय में खोई हुई अनेक कृतियां खोज निकाली गई हैं। इस क्षेत्र में उमा चक्रवर्ती की पुस्तक *रीराइटिंग हिस्ट्री* एक उल्लेखनीय उदाहरण है। परंतु इस बात की आवश्यकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं में समूची उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी के आरंभिक तीन-चार दशकों में हुए समस्त नारीवादी-लेखन को समग्रता में प्रस्तुत किया जाए।

आज नारीवाद भारतीय भाषाओं में एक लंबी यात्रा तय कर चुका है। बहुत बार यह शब्द साइबर माध्यम की फौरी और चलताऊ बहसों, उच्चवर्गीय प्रतीकात्मक स्त्री-संगठनों तथा कई तरह के अवसरवादी एनजीओ आदि के कारण व्यंग्य और लांछन का विषय बनता रहा है। परंतु नारीवाद एक व्यापक विचारधारा है। सतही संगठनों, व्यक्तियों, बहसों, समूहों आदि के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यह आंदोलन भारत में राजनीतिक रूप से उस तरह जड़ें नहीं पकड़ सका, जिस तरह इसने यूरोप और अमेरिका में बीसवीं सदी में साठ-सत्तर के दशक में अपनी जगह बनाई थी। भारत में यह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुए गंभीर बौद्धिक कार्यों तथा भारतीय भाषाओं में विभिन्न विधाओं में हुए रचनात्मक लेखन में अपना विस्तार करता रहा है। तात्पर्य यह कि नारीवादी-चेतना का प्रसार तो हुआ है, पर इसने किसी व्यापक नारीवादी-आंदोलन का रूप ग्रहण नहीं किया।

नारीवाद की देश-काल की भिन्नता के अनुसार अनेक व्यख्याएं होती रही हैं। पश्चिमी देशों और अमेरिका में नारीवाद के प्रश्न अलग रहे, उसी के अनुसार उनका स्वरूप भी भिन्न हुआ। एशियाई देशों में स्त्रियों की समस्याओं का रूप अत्यंत जटिल और सांस्कृतिक-सामाजिक ढांचे से गहनता से बद्ध रहा है। एशिया के मुस्लिम देशों में स्त्री के अस्तित्व की समस्याएं अलग स्तर की रही हैं। भारत जैसे देशों में उनका एक अन्य स्तर रहा है। नारीवाद के संबंध में दो मान्यताएं मुख्य रूप से विकसित हुईं। पहली यह कि नारी जैविक रूप से भिन्न संरचना है। दूसरी मान्यता के अनुसार उसकी पराधीनता का कारण सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचे में है। सिमोन द बोउवार ने इसीलिए कहा था कि "स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है।" नारीवाद की सैद्धांतिकी के विकास ने पिछली पूरी एक सदी में कई चरण पार किए हैं, जिसे प्रायः नारीवाद की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बैट्टी फ्रीडन, एम्मा गोल्डमान, हेलेन फिशर, केट मिलेट, जर्मन ग्रीर, एवलीन रीड, ग्लोरिया स्टीनम आदि प्रखर नारीवादी विचारक हैं, जिन्होंने इतिहास, समाज, संस्कृति, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, दर्शन आदि के संदर्भों में नारी से जुड़े प्रश्नों और पितृसत्ता के स्वरूप पर अत्यंत गंभीर व शोधपूर्ण वैचारिकी का निर्माण किया है। यूरोप और अमेरिका में ज्ञान के क्षेत्र में हुए इस ऐतिहासिक महत्व के कार्य ने समूची दुनिया में नारीवादी-चिंतन को प्रभावित और स्वरूपित किया है। इन पुस्तकों के अनुवाद हालांकि छुटपुट ही हुए हैं, पर आलेखों आदि के जरिए हमारे देश की भाषाओं तक इनके विचार पहुंचे हैं।

नारीवाद एक वैश्विक विचारधारा है। इस विचारधारा का द्वंद्व दो शक्तियों या दो विचारों से निरंतर रहा है। यथास्थितिवादी पितृसत्तात्मक समाज के विरोध में यह पैदा हुई। उससे इसका सतत टकराव रहा। परंतु समाज-परिवर्तन की सर्वप्रमुख विचारधारा साम्यवाद से भी इसका तीखा विरोध रहा। साम्यवाद और नारीवाद के बीच का यह विरोध लक्ष्य को लेकर नहीं, उसकी प्रक्रिया को लेकर था। साम्यवाद की परंपरागत विचारधारा की व्याख्या प्रायः इस प्रकार की जाती रही कि वर्ग-विभेद ही प्रमुख समस्या है। सारा संघर्ष उसे ही केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। वर्ग-मुक्त समाज में नारी भी मुक्त होगी ही। पर नारीवादी विचारकों ने इससे असहमति जाहिर की। नारी-प्रश्नों को अलग से रेखांकित करने तथा उस पर संघर्ष करना आवश्यक बताया।

ये सारे द्वंद्व बीती सदी के थे। इक्कीसवीं सदी के दो दशक गुजर जाने के बाद समाज और मनुष्य के अस्तित्व में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, पर विश्व-राजनीति, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति के ऊपरी संस्तरों में गहरे परिवर्तन हो गए हैं। पुराने आंदोलन व प्रश्न अप्रासंगिक हो चुके हैं। समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं। आगत युग नई वैचारिकी, अधिक सुसंगत व समग्र दृष्टि और नए समाधानों की मांग कर रहा है। नारीवादी-चेतना का समग्र सार-संकलन तथा बीती एक सदी का अनुभव उसे संभवतः एक नई शक्ति और नया मोड़ दे। नारीवादी-आंदोलन, नारीवादी बौद्धिक-विमर्श और नारीवादी-सृजन में एक नए तारतम्य की जरूरत है, साथ ही इस आंदोलन के पूरब और पश्चिम में बंटे स्थानीय स्वरूपों की जगह एक ऐसे स्वरूप की भी जो संसार भर की स्त्रियों के साझे दुःख और साझे स्वप्न का महाप्रवाह बन सके। ■

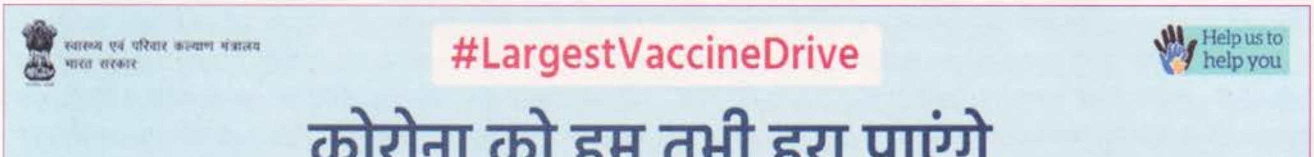

लैंगिक न्याय

डॉ सुभाष शर्मा

बीसवीं सदी के मध्य में जब फ्रांस की सामाजिक दार्शनिक सिमोन द बउआ (1908-1986) ने अपनी महान रचना 'सेकंड सेक्स' (1949) लिखी तो उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से कमोबेश पूरी दुनिया में महिला के दोयम दर्ज़े के विषय में विस्तार से लिखा : "महिला जन्म नहीं लेती बल्कि गढ़ी जाती है।" इस प्रकार सामाजिक रीतियों, मान्यताओं, संस्थागत व्यवहार के कानूनों, प्रतिबंधों आदि के कारण समय के साथ 'सेक्स' (गुणसूत्रों, यौनांगों आदि के लिहाज़ से पुरुष एवं महिला के बीच जैविक भेद) प्राथमिक (परिवार, साथी, समुदाय) एवं द्वितीयक (स्कूल, कॉलेज, क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, कार्यालय, खेल आदि) समाजीकरण के कारण 'जेंडर' अर्थात 'लिंग' (सामाजिक-सांस्कृतिक धारणा) में बदल गया।

भारत में महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में अपने लेखों में यह मुद्दा उठाया और बाद में अपनी पुस्तक 'शृंखला की कड़ियां' (1942) में प्रकाशित किया। उन्होंने भारतीय परंपराओं में व्याप्त विरोधाभासों की बात की, जहां एक ओर स्त्री की पूजा की जाती है और दूसरी ओर वह घर में बंदी के समान (शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, स्वच्छता एवं सफाई, खेल आदि के अधिकारों के बगैर सभी मामलों में पुरुष से नीचे) जीवन बिताती है। उन्हें भारतीय समाज में दो प्रकार की स्त्रियां दिखीं - पहली वे, जिन्हें यह बोध ही नहीं है कि वे स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली मनुष्य हैं; दूसरी वे, जो पुरुष की बराबरी करने के लिए संसार को उनके ही दृष्टिकोण से देखती हैं। इस प्रकार महिलाओं ने अपना व्यक्तित्व एवं अपना सामाजिक अस्तित्व स्वयं ही घटा लिया। महात्मा गांधी महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा में लाए और पुरुषों को उनकी शोषक रीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

हालिया न्यायिक आदेश

अ. एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्ज़ा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एयर इंडिया ने महिला कर्मचारियों (विमान परिचारिकाओं) पर भेदभाव करने वाले तीन प्रतिबंध लगा दिए : (1) उन्हें नौकरी आरंभ करने के चार वर्ष के भीतर विवाह करने की अनुमति नहीं थी; (2) पहली बार गर्भधारण करते ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था; और (3) विमान परिचारिका के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र केवल 35 वर्ष थी, जिसे उनके प्रबंध निदेशक की इच्छा पर 45 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 55 या 58 वर्ष थी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों की कठिनाइयों को देखते हुए पहली शर्त बरकरार रखी किंतु बाकी दोनों को अनुचित और भेदभावपूर्ण बताते हुए ख़त्म कर दिया।

ब. भारतीय विदेश सेवा के नियमों के अनुसार महिला अधिकारी को विवाह से पूर्व सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था और विवाहित महिलाओं को भारतीय विदेश सेवा में नहीं आने दिया जाता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सीधे ख़ारिज कर दिया।

स. जोसेफ शाइन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय (दीपक मिश्र, एएम खानविलकर, आरएफ नरीमन, डीवाई चंद्रचूड़ एवं इंदु मल्होत्रा) ने 2018 में फ़ैसला दिया कि "महिलाओं के अधिकारों की वास्तविक जगह व्यक्तिगत गरिमा भरे घर के भीतर है किसी मुख्य इमारत के गलियारे या कोने में नहीं... महिलाओं के साथ अपमानजनक, अन्यायपूर्ण और असमानता अथवा भेदभाव करना संविधान के कोप को न्योता देना है... और यह कहने का समय आ गया है कि पति मालिक नहीं होता है।" न्यायालय ने सरकार को अपराधों के अपराधीकरण में न्यूनतम हस्तक्षेप का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया क्योंकि व्यक्तियों की निजी पसंद होती हैं : "गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के अधिकार की सामाजिक निंदा नहीं होनी चाहिए और न ही राज्य द्वारा उसे दंडित किया जाना चाहिए।" इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार के लिए दंड) को अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि धारा 497 महिलाओं की भूमिका को घिसी-पिटी लैंगिक छवि के चश्मे से देखती थी।

द. शायरा बानो बनाम भारत सरकार एवं अन्य, मुस्लिम विमेन्स क्वेस्ट फॉर इक्वैलिटी बनाम जमीअत उलेमा-इ-हिंद, आरफ़ीन रहमान बनाम भारत सरकार एवं अन्य, गुलशन परवीन बनाम भारत सरकार एवं अन्य, इशरत जहां बनाम भारत सरकार एवं अन्य और अतिया साबरी बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय (जे. एस. खेहर की अध्यक्षता में) ने बहुमत के साथ तलाक़-ए-बिद्दत

लेखक 1984 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और अंग्रेजी एवं हिंदी में समान अधिकार के साथ लिखते हैं। ईमेल: sush84br@yahoo.com

(तीन तलाक) को असंवैधानिक एवं पक्षपातपूर्ण (समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला) घोषित किया और मुस्लिम पतियों को तीन बार तलाक बोलने से रोक दिया तथा सरकार को छह महीने के भीतर इस विषय पर कानून बनाने का निर्देश दिया। यह भारत की उन मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय था, जो सदियों से इस कुप्रथा से पीड़ित थीं, जबकि अधिकतर मुस्लिम देश पहले ही तीन तलाक खत्म कर चुके थे।

पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-20) में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए निम्न कारकों की बात की गई है:

1. भौतिक संपत्तियों - मोबाइल फोन, बैंक खाते, जमीन एवं मकान का स्वामित्व;
2. माहवारी के दौरान स्वच्छता वाले उत्पादों (सैनिटरी नैपकिन आदि) की उपलब्धता;
3. घर के फैसलों (अपनी सेहत की बात, घर के लिए सामान की खरीदारी, परिवार या रिश्तेदारों के पास जाना) में हिस्सेदारी;
4. रोज़गार की स्थिति;
5. पुरुष के द्वारा हिंसा;
6. 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह; और
7. 10 वर्ष से अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त करना

किंतु सतत विकास के लक्ष्यों में (अ) घर के काम या अवैतनिक काम में खर्च किए गए समय; (ब) प्रजनन स्वास्थ्य पर निर्णय; और (स) लड़कियों की सुन्नत को भी ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-20) के अनुसार उपरोक्त क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की प्रगति इस प्रकार है:

1. दस वर्ष से अधिक समय तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 2015 से 2020 के बीच 5.5 प्रतिशत बढ़ गई और इस मामले में पुरुषों के साथ अंतर 2015-2020 के 11.5 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गया।
2. जन्म के समय लिंगानुपात 2020 में बढ़कर 942 हो गया, हालांकि सतत विकास के लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक 1000 लड़कों पर 954 लड़कियों का अनुपात हासिल करना है किंतु लिंग निर्धारण परीक्षणों के कारण शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 928 (ग्रामीण क्षेत्रों में 947) है।
3. स्वच्छता भरे तौर-तरीके इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत (2015-2020) हो गई।
4. प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण महिलाओं के बैंक खातों की संख्या 28 प्रतिशत (2015-2020) बढ़ गई।
5. महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने का आंकड़ा 10 प्रतिशत (2015-2020) बढ़ गया।
6. नौकरी करने वाली तथा पारिश्रमिक पाने वाली विवाहित महिलाओं की हिस्सेदारी 2015 से 2020 के दौरान 2 प्रतिशत बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई।
7. घर के लिए निर्णय लेने में हिस्सेदारी मामूली बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई।
8. 22 में से 11 राज्यों में महिलाओं के स्वामित्व वाली ढकी हुई भूमि अथवा मकानों की हिस्सेदारी 2020 में घट गई।
9. 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत (2015 और 2020 दोनों में) रही।
10. घरेलू हिंसा - तीन में से एक महिला के साथ उसके पति ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा की मगर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आंकड़ा बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया।
11. परिवार नियोजन के तरीके इस्तेमाल करने में बढ़ोतरी हुई मगर इसका जिम्मा अब भी मोटे तौर पर महिलाओं के ऊपर ही है - गर्भ निरोधक के कुल प्रयोग में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी अब भी महिला नसबंदी की है। हिमाचल प्रदेश में गर्भ निरोध का सबसे अधिक प्रयोग हुआ। गर्भधारण की इच्छा नहीं होने के बाद भी गर्भनिरोधकों का प्रयोग न करने की घटनाएं मेघालय एवं मिज़ोरम के अलावा अधिकतर राज्यों में 10 प्रतिशत से भी कम रह गईं।
12. नीतिगत, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों के जटिल घालमेल के कारण रुझान पहले से बिगड़ गए।
13. महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट का हिस्सा 2009 से ही लगभग 5.5 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है और उसमें से 30 प्रतिशत से भी कम को 100 प्रतिशत महिला केंद्रित योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।
14. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट से महिला सशक्तीकरण पर खर्च 2018-19 के 640 करोड़ रुपये से घटकर 2019-20 में 310 करोड़ रुपये ही रह गया।
15. नाबालिग विवाह में सज़ा की कम दर - 2018 में यह दर केवल 23.8 प्रतिशत थी और 84 प्रतिशत मामले अदालतों में लंबित थे। त्रिपुरा में बाल विवाह के मामले 2015 से 2020 के बीच 33 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गए, मणिपुर में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर 16.3 प्रतिशत और असम में 30.8 प्रतिशत से बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गए।
16. उम्र के हिसाब से बच्चों का कद कम बढ़ने यानी बौनेपन की घटनाएं 11 राज्यों में बढ़ गईं; 14 राज्यों में कद के हिसाब से बच्चों का वज़न कम रहने की घटनाएं बढ़ीं; त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में जन्म के चार सप्ताह के भीतर मृत्यु की दर (एनएमआर), नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) और 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर बढ़ गई; सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार में एनएमआर (34ऋ, आईएमआर (47) तथा 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर (56) सबसे अधिक रही। केरल में सामाजिक क्षेत्र का आवंटन बेहतर होने के कारण ये दरें सबसे कम रहीं और कई विकसित देशों के समान रहीं।
17. सतत विकास के तीसरे लक्ष्यों में नवजातों एवं 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों

सतत विकास के तीसरे लक्ष्यों में नवजातों एवं 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की मौतें 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए कहा गया है, जिन्हें बचाया जा सकता है। साथ ही एनएमआर को 12 प्रति 1000 नवजात एवं 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर को 25 प्रति 1000 पर लाने का लक्ष्य है। भारत में शिशु मृत्यु दर 32 (ग्रामीण क्षेत्र में 36 और शहरों में 23) है, जो विकसित देशों की दरों से अधिक है।

तालिका 1 : क्षमता विस्तार के ज़रिये सर्वांगीण सशक्तीकरण के आयाम

क्रम	आयाम/क्षमता	कम क्षमता	मध्यम क्षमता	उच्च क्षमता
1.	चुप्पी बनाम बोलना	व्यक्तिगत रूप से बोलना	सामूहिक रूप से बोलना	सामूहिक रूप से और बलपूर्वक बोलना
2.	चर्चा एवं काम के लिए आवाजाही	गांव के भीतर	गांव के बाहर जिला स्तर तक	राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर
3.	उद्देश्य	जागरूकता निर्माण	सरकारी कार्यक्रमों के लाभ पाने के लिए	सहभागिता मांगना और करना
4.	बदलाव का विचार	मामूली बदलाव (सूक्ष्म वित्त आदि के ज़रिये) का हल्का विचार	सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों से लाभ लेकर बदलाव आने का हल्का विचार	योजनाओं में संशोधन कर या आवश्यकता के अनुसार नई योजनाएं लाकर कायाकल्प करना
5.	बदलाव की बात	'ऊपर से' बदलाव की बात सुनना	'ऊपर से' बदलाव की बात सुनना और उस पर प्रतिक्रिया देना मगर संशोधन सुझाना	'नीचे से' (नीचे से ऊपर) बदलाव की अपनी बात सक्रियता से कहना
6.	सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग	सूक्ष्म (स्थानीय) सार्वजनिक क्षेत्र	मध्य का सार्वजनिक क्षेत्र	वृहद सार्वजनिक क्षेत्र
7.	विकास-सशक्तीकरण समन्वय	विकास का अधिक, सशक्तीकरण का बहुत कम विचार	विकास के लिए अधिक, सशक्तीकरण के लिए कम	विकास एवं सशक्तीकरण के बीच तालमेल

की मौतें 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए कहा गया है, जिन्हें बचाया जा सकता है। साथ ही एनएमआर को 12 प्रति 1000 नवजात एवं 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर को 25 प्रति 1000 पर लाने का लक्ष्य है। भारत में शिशु मृत्यु दर 32 (ग्रामीण क्षेत्र में 36 और शहरों में 23) है, जो विकसित देशों की दरों से अधिक है।

18. जीवनसाथी द्वारा हिंसा 5 राज्यों - सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम एवं कर्नाटक - में बढ़ गई। कर्नाटक में 2015 से 2020 के बीच ऐसी घटनाएं 20.6 प्रतिशत से बढ़कर 44.4 प्रतिशत पर पहुंच गई।
19. अधिकतर राज्यों में सकल प्रजनन दर घट गई - सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से 18 में यह दर 2.1 के रीप्लेसमेंट लेवल (एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आबादी समान रखने के लिए आवश्यक प्रजनन की मात्रा) के भीतर रही; केवल मणिपुर (2.2), मेघालय (2.9), बिहार (3.2) और उत्तर प्रदेश (2.9) में सकल प्रजनन दर रीप्लेसमेंट लेवल से अधिक थी। फिर भी भारत में औसत सकल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है।
20. मेघालय, नगालैंड और असम के अलावा सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के दो-तिहाई से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो गया है।
21. 19 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं और 14 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 90 प्रतिशत महिलाओं का प्रसव संस्थाओं में हुआ। दुर्भाग्य से निजी अस्पतालों में दो-तिहाई प्रसव सी-सेक्शन (ऑपरेशन) के जरिये हुए, जबकि सरकारी अस्पतालों में केवल 30 प्रतिशत प्रसव ऐसे हुए। चिकित्सा नियमों के अनुसार सी-सेक्शन के जरिये केवल 15 प्रतिशत प्रसव होने चाहिए। सी-सेक्शन का औसत दर्शाता है कि निजी अस्पतालों में व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है, हालांकि कुछ महिलाएं कम पीड़ादायी होने के कारण भी इसे पसंद करती हैं।

आर्थिक विकास कभीकभार स्त्री-पुरुष समानता लाता है मगर अक्सर लैंगिक समानता सशक्तीकरण (विशेषकर फैसले लेने में) से आती है, इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। किंतु नोबेल से सम्मानित अर्थशास्त्री एस्थर डुफलो ठीक ही कहती हैं कि समानता के लिए सतत नीतिगत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसलिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार के ज़रिये सर्वांगीण सशक्तीकरण के विभिन्न आयात तालिका 1 में देखे जा सकते हैं।

किसी देश के लोकतंत्र की प्रगति एवं गुणवत्ता का स्तर महिलाओं के वर्तमान स्तर से पता लगाया जा सकता है क्योंकि संपत्ति पर समान अधिकार एवं प्रतिभागिता भरे प्रशासन में स्त्रियों के साथ न्याय पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिलाओं को लाभ देने के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का बिल्कुल सही निर्णय लिया है - इससे आरंभ के कम से कम छह महीनों तक शिशु को स्तनपान सुनिश्चित होगा और इस दौरान वेतन मिलने से पोषक भोजन भी सुनिश्चित होगा। लोकतंत्र संपूर्ण जीवन शैली है, जो लिंग समेत सभी क्षेत्रों में विविधता एवं बहुलवाद सुनिश्चित करती है। दुनिया भर में 'मी टू' आंदोलन और महिलाओं के साथ अपराध करने वाली कई सार्वजनिक हस्तियां बेनकाब हुईं। पोस्ट फेमिनिस्ट (जो मानते हैं कि नारीवाद के अधिकतर लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं) सही कहते हैं कि महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, इसलिए हम सभी उन्हें वास्तविक विकास के साथ जीवन के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में सशक्त बनाएं। ■

बालिका संरक्षण

दीपशिखा सिंह

बालिका संरक्षण मानवाधिकार मुद्दे से जुड़ी समस्या है और यह विधायी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (द युनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड-यूएनसीआरसी) पारित किया गया था; इसमें 54 अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत 196 देश हर बच्चे के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। यूएनसीआरसी की घोषणा के अनुसार सभी बच्चों को अपहरण, हिंसा, जोखिम वाले और हानिकारक कार्यों, यौन शोषण और बाल तस्करी जैसी बुराइयों के चंगुल से मुक्त कराया जाना चाहिए। भारत ने 11 दिसम्बर, 1992 को यूएनसीआरसी का अनुमोदन कर दिया और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रगतिशील विधेयक (कानून) लाने की दिशा में भारत सरकार की यह ऐतिहासिक पहल थी।

यूएनसीआरसी व्यवस्था से प्रेरित होकर भारत ने जन्म से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के बाल अधिकारों के विभिन्न आयामों को कवर करने वाला व्यापक न्यायसंगत कानून तैयार किया। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम-पोक्सो, 2012 बच्चों को दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के वास्ते अश्लील सामग्री के इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के अंतर्गत ऐसे अपराधों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं। इस कानून में 6 अगस्त, 2019 को संशोधन किया गया और केन्द्र सरकार ने पॉक्सों नियम 2020 निर्धारित किया। इसी दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कानून है किशोर न्याय (बच्चों की सार-संभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000। इस कानून के तहत कानूनी विवाद में फंसे जरूरतमंद बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में 2015 में संशोधन किए गए जिन्हें 15 जनवरी, 2016 से लागू कर दिया गया। इसमें मुख्य प्रावधान यह किया गया है कि बच्चों के प्रति होने वाले नए अपराधों, उन अपराधों के लिए दंड, पीड़ित बच्चों के पुनर्वास, उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने, बच्चों से जुड़े संस्थानों के नियमन, बच्चों को गोद (दत्तक) लेने की प्रक्रियाएं तय करने और सरकार की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। 2009 में सरकार ने बाल संरक्षण योजना-आईसीपीएस शुरू की जिसका उद्देश्य बच्चों को कठिन परिस्थितियों में सरकार और सभ्य समाज की भागीदारी से सुरक्षा और संरक्षण मिल सके। आईसीपीएस के तहत बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने, बुनियादी सुविधाओं और क्षमताओं का विस्तार करने, आवश्यक सेवाओं को संस्थाओं के अंतर्गत लाने और संबद्ध संगठनों को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाता है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लापता और कमज़ोर स्थिति वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय खोज प्रणाली, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटियां, जिला बाल संरक्षण इकाइयां, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष अदालतें और बाल देखभाल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए अन्य प्रमुख कानून और नीतियां हैं- बाल श्रमिक (प्रतिबंध और नियमन) अधिनियम 1986 (संशोधन अधिनियम 2016); बाल विवाह निषेध कानून 2006; किशोर न्याय व्यवस्था 2019; और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक व्यवस्था तकनीक अधिनियम 1994। 22 जनवरी, 2015 को "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य बेटों की जन्म दर के मुकाबले बेटियों की घटती जन्म दर को रोकना और लड़कियों को शिक्षित बनाकर उनका सशक्तीकरण करना है। 2012 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सड़कों और गलियों में जीने को मजबूर बच्चों के संरक्षण और देखभाल की मानक प्रक्रिया निर्धारित कर दी।

लड़कियों के प्रति अपराध

अनेक कानूनी प्रावधानों और व्यवस्थाओं के बावजूद सरेआम बच्चों पर अपराध हो रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में कुल अपराधों (भारतीय दंड संहिता और एसएलएल मिलकर) में से करीब 33.2 प्रतिशत अपराध बच्चों पर हुए थे। विभिन्न श्रेणियों के अपराधों में से सबसे ज्यादा अपराध पॉक्सो कानून के तहत हुए और अपराधों के शिकार हुए बच्चों में 95 प्रतिशत लड़कियां थीं जो यौन दुष्कर्म, यौन शोषण और अश्लीलता की शिकार हुईं। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अपहरण किए गए बच्चों में 78 प्रतिशत लड़कियां थीं। 2019 में ही कुल 15,649 ऐसे मामले दर्ज हुए जिनमें नाबालिग लड़कियों का अपहरण करके उनका जबरन विवाह कर दिया गया; बच्चियों को बेचने के 3117 मामले हुए; बच्चियों से दुष्कर्म के 4977

लेखिका ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड जेंडर के क्षेत्र में काफी कार्य किया है और फिलहाल मोबाइल क्रेशेज़ से संबद्ध हैं।
ईमेल: deepshikha.s@mobilecreches.org, Twitter: @mobile_creches

मामले दर्ज हुए और 1113 बच्चे मानव तस्करी का शिकार बने।

बच्चों पर होने वाले अपराधों की असल संख्या तो इससे भी कहीं ज्यादा है क्योंकि सभी अपराधों की रिपोर्ट तो दर्ज ही नहीं होती है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म की घटनाएं तो लगातार बिना किसी रोकटोक के होती रहती हैं। एसडीजी सूचकांक की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल केरल में सामाजिक विकास विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2021 में ही पहली जनवरी से 31 मई की अवधि में बच्चियों से दुष्कर्म की 627 घटनाएं दर्ज हुई हैं। नाबालिग बच्चियों और खासकर छोटी उम्र वाली मासूम बच्चियों को दुष्कर्म या हवस का शिकार बनाया जाना शर्मनाक और दिल दहलाने वाला जघन्य अपराध है। प्रशासन में इच्छाशक्ति का अभाव, राजनीतिक दबाव, रोकथाम की अपर्याप्त व्यवस्था, मानव संसाधनों की अक्षमता और लोगों में जागरूकता का अभाव कानून लागू करने में ढिलाई के बड़े कारण है।

लड़कियों की कमज़ोर स्थिति का विश्लेषण

लड़कियों के जीवन-अनुभव बहुत भयावह हैं। उनके सामाजिक अनुभव भी भिन्न और जटिल हैं क्योंकि सब कुछ उनकी उम्र, जीवन के चरण, जाति, धर्म, अल्पसंख्यक दर्जे, योग्यता, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर आधारित करता है। इन पहलुओं का लड़कियों पर होने वाली हिंसा में अहम रोल रहता है। कई कारणों से गरीबी भी एक बड़ा खतरा है जिससे एक तरह से लड़कियां सुरक्षा कवच को बचाए नहीं रख पातीं और हालात का शिकार बनने को मजबूर हो जाती हैं; भेदभावपूर्ण बर्ताव, उपेक्षा, स्वास्थ्य की अनदेखी, घरेलू कामकाज का दबाव उन्हें हिंसा झेलने पर विवश कर देते हैं।

लड़कियों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार और घरेलू हिंसा की जाती है; बच्चियों को अक्सर मारपीट सहनी पड़ती है और उनको स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से वंचित रखा जाता है। बेटों को ज्यादा महत्व देने और उन्हें खानदान को आगे बढ़ाने वाला मानकर उनके विकास पर और उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा-सहूलियतें मुहैया कराने पर जोर दिया जाता है और लड़कियों को सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक (पोषण सहित) दृष्टि से उपेक्षित रहना पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि लड़कों की चाह रखने वाले परिवारों में लड़कियों की अनदेखी की जाती है और उन्हें घरेलू कामकाज में लगा दिया जाता है (लिन और एडसेरा 2013) । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार 2018 में 15 से 18 वर्ष की उम्र वाली लगभग 40 प्रतिशत लड़कियां स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी थीं और 65 प्रतिशत लड़कियां केवल घर का कामकाज करने में जुटी रहती थीं। अध्ययन में यह भी सामने आया कि सबसे गरीब तबके वाली लड़कियों का छोटी उम्र में ही विवाह कर देने और उन्हें मानव तस्करी का शिकार बनाने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।

सड़कों और गलियों में रहने वाली, अनाथ, असहाय और बाल मजदूरी में फंसी लड़कियां शोषण, यौन दुराचार और वेश्यावृत्ति का आसानी से शिकार हो जाती हैं। वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं और जेल की सजा काटने वाले अपराधियों की बेटियां और बालिका गृह या नारी निकेतन में रहने वाली लड़कियां भी मजबूरी के कारण शोषण के जाल में फंस जाती हैं। विकलांगता की शिकार और खासकर दृष्टिहीन तथा मानसिक पिछड़ेपन से ग्रसित लड़कियां अक्सर ही यौन शोषण की शिकार बन जाती हैं। फिर, लड़कियों को अपनी स्थिति के मुताबिक भांति-भांति की यातना और शोषण सहन करने पड़ते हैं।

व्यक्ति के विकास की दृष्टि से बचपन अहम और संवेदनशील समय होता है और इसी दौरान देखभाल और संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। कच्ची उम्र में ही जोखिम वाले और खतरनाक हालात होने पर बच्ची के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो लम्बे अर्से तक बना रहता है और उस बच्ची को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। प्रवासी श्रमिकों की जवान लड़कियां तो दुगुने खतरे में रहती हैं और उन्हें उपेक्षा और शोषण की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। अच्छी देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और प्रवासी मजदूरों को समाज में शामिल न करना ऐसे पहलू हैं जिससे बालिकाओं और उनकी देखरेख करने वालों को अनेक दबावों और तनावों का सामना करना पड़ता है।

कोविड-19 और लड़कियां

विश्व भर में बच्चों ने कोविड-19 के विनाशकारी परिणाम झेले हैं और ये प्रभाव लड़कों और लड़कियों में अलग-अलग प्रकार से हुए हैं। कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव शैक्षिक असमानता, यौन हिंसा, बाल विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण और घरेलू कामकाज के बढ़ते बोझ के रूप में साफ देखे जा सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लॉकडाउन, घर में रहें आदेश और कोविड संबंधी अन्य प्रतिबंधों के कारण महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं सामने आईं। (संयुक्त राष्ट्र महिलाएं, 2020)।

लांसेट के अध्ययन के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी तेजी से फैलने के साथ ही समयानुसार और संभावित जीवनरक्षी सेवाओं तथा गर्भावस्था में स्वास्थ्य देखभाल, पुलिस, न्यायिक और सामाजिक समर्थन सेवाओं तक भी महिलाओं और लड़कियों की पहुंच कम हो गई (कजिन्सव, 2020) भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के शुरुआती महीनों के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़कर ढाई गुना हो गई। चाइल्डलाइन इंडिया हैल्पलाइन के अनुसार बच्चों के यौन दुष्कर्म का शिकार बनने की घटनाएं भी काफी बढ़ गई थीं।

कोविड-19 के कारण लड़कियों को यौन शोषण के काम में धकेलने का खतरा और बढ़ गया है। नशीले पदार्थों और अपराध के बारे में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में प्राप्त शोध-सूचना के अनुसार कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभावों के कारण प्रवासियों की तस्करी और सीमा पार तस्करी बहुत बढ़ी है। भारत बाल संरक्षण कोष रिपोर्ट (2020) से पता चला है कि कोविड-19 के दौरान बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री में 95 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई जिससे बाल शोषण, बच्चों से दुष्कर्म और बच्चों की तस्करी की घटनाएं बहुत बढ़ गईं। इसमें अपराधियों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया।

यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा मॉनिटरिंग रिपोर्ट (2021) के अनुसार कोविड संकट के दौरान किशोर लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाए। यूनेस्को का अनुमान है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख लड़कियां पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल जाने की संभावना नहीं है और 12 से 17 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों के तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की खास आशंका है। स्कूल बंद कर दिए जाने की वजह से घरेलू कामकाज संभालने और बच्चों की देखभाल का ज़िम्मा बढ़ गया जिससे गरीब परिवार की लड़कियों को ज्यादा नुकसान होगा। डिजिटल कार्यक्रमों में भी लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण होने के कारण उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षण जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट (2020) के अनुसार एलएमआईसी वर्ग के लड़कों की तुलना में मोबाइल फोन और इंटरनेट सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए लड़कियों को कम ही तरजीह दी जाती है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के बारे में अन्तर-सरकारी पैनल की हाल में

जारी रिपोर्ट– "क्लाइमेट चेंज 2021 : द फिजिकल साइंस" के अनुसार समूचे भारत और दक्षिण एशिया में मॉनसून की अत्यधिक वर्षा का प्रकोप होने और बेहद सूखे की स्थिति उत्पन्न होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन का महिलाओं और लड़कियों पर असामान्य प्रभाव पड़ता है और गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य कल्याण, पानी और साफ–सफाई के क्षेत्रों में स्थायी विकास के लक्ष्य पूरे करने के प्रयासों में बाधाएं आ सकती हैं।

भारत में बेहद ज्यादा वर्षा, भीषण बाढ़, चट्टाने खिसकने और समुद्री तूफान आने की अभूतपूर्व विभिषिकाओं के कारण अनेकानेक लड़कियों और महिलाओं का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है और उनकी आजीविका, खाद्य सुरक्षा, नगरों की ओर पलायन, घरों की हालत बिगड़ने और संकट तथा हिंसा के फैलने से आपात स्वास्थ्य देखरेख और मनोवैज्ञानिक सहायता न मिल पाने के कारण हालत खराब हो गई है।

आगे की राह

संकटकाल में लड़के–लड़की की आवश्यकताओं को देखते हुए उसी हिसाब से बाल संरक्षण व्यवस्था अपनाना नितान्त आवश्यक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रशासन और सामुदायिक कार्यों के क्रियान्वयन में लड़कियों को संरक्षण देने के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- परिवार को समझाना – घरेलू कामकाज का सारा भार जवान लड़कियों पर डाल देने के दुष्प्रभावों के बारे में परिवार को जानकारी देना। उन्हें समझाना कि बच्चियों को शिक्षा दिलाना और उन्हें घर के कामकाज से जुड़े विचार–विमर्श में शामिल करना जरूरी है।
- शिक्षा में लड़कों पर ज्यादा और लड़कियों पर कम ध्यान देने की सोच छोड़ना – स्कूलों के पाठ्यक्रम, शैक्षणिक व्यवस्था और स्कूलों का वातावरण लड़कों और लड़कियों के लिए एक जैसा होना चाहिए। विद्यार्थियों और मौजूदा रोल मॉडलों की लड़के–लड़कियों के बीच अंतर और भेदभाव वाली सोच समाप्त करना। स्कूल दोबारा खुलने पर सबसे निचले स्तर वाली बच्चियों की जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बाल विवाह की कुप्रथा जड़ से समाप्त करने के कड़े से कड़े उपाय लागू करना – (कोविड की स्थिति में बाल विवाहों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए)। लड़कों लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यह समझाना कि वे समाज में बाल–विवाह के विरोध में जोरदार आवाज उठाएं और इस दिशा में काम भी करें।
- सुनिश्चित करें कि लड़कियों की सुरक्षा सभी की मिलीजुली जिम्मेदारी है – समुदाय, पास–पड़ोस, परिवार और स्कूल में बाल सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा दें और बच्चों पर हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करें। अपराधियों की पोल खोलने वाले साहसी लोगों का सामाजिक नेटवर्क तैयार करें।
- बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दें और उन्हें सशक्त बनाएं। युवा लड़कियों को स्वयं अपना ध्यान रखने, बचाव के उपाय करने, यौन–शिक्षा देने और यौन दुराचार के प्रति सजग रहने की शिक्षा दें। लड़कियों को अकारण लड़कों का दबदबा न मानने के प्रति जागरूक बनाएं और सामाजिक आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाने की दिशा में अग्रणी भूमिका अपनाने की ट्रेनिंग और प्रोत्साहन दें।
- बचपन की शुरुआत के दौरान विशेष ध्यान रखें। नवजात शिशु से आठ वर्ष तक की बच्ची के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। इस बात का पक्का ध्यान रखें कि पूरी तरह टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच हो और पर्याप्त स्तनपान और पोषक तत्व दिए जाएं तथा बच्ची की सफाई और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें, बीमारी का समय पर इलाज कराएं तथा ध्यान रखें की बच्ची हर बात का उत्तर दे और सीखने की चेष्टा करे।
- लड़कियों के संरक्षण के पक्ष में आवाज उठाने, अभियान चलाने और सक्रिय सहयोग करने में आगे रहें। नाबालिग बच्चियों के प्रति जघन्य अपराध कतई सहन न करें। (सरकारी संरक्षण तंत्र, त्वरित रेस्पॉन्स, जन–जागरण, व्यापक सुरक्षा प्रोटोकोल और पीड़िता पर दोषारोपण की गंदी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए पूरे जोरों से आवाज बुलंद करें)। कानूनी व्यवस्था के प्रारूप में ऐसे अपराधों के निषेध पर और किसी भी हालत में इनके न होने देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए; केवल राहत और मुआवजा देकर कानूनी दायित्व की पूर्ति नहीं मानी जानी चाहिए।
- कमज़ोर स्थिति वाली बालिकाओं के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र – अनाथ, त्यक्ता या छोड़ी हुई लड़कियों, सड़कों और गलियों में रहने वाली लड़कियों, संस्थानों में रहने वाली लड़कियों, कैद भुगत रही लड़कियों, यौनकर्मियों आदि की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- कोविड संकट के दौरान गोद लेने की सुरक्षित प्रणाली को बढ़ावा दें। गोद लेने के गलत और अवैध तौर–तरीकों से प्रभावी ढंग से निपटना जरूरी है क्योंकि कोविड संक्रमण के दौर में अवैध तरीके बहुत ज्यादा अपनाए जा रहे हैं। इस हालत में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गोद लेने का काम सही तरीके से हो रहा है।
- बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए मानव संसाधनों और प्रणालियों की कार्यक्षमता विकसित करना। निषेध, निवारण, नियमन, पुनर्वास और बहाली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पुलिस और अन्य कर्मियों को लड़कियों के लिए विशेष व्यवस्था अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाए।
- लड़कियों को साइबर सुरक्षा की शिक्षा दी जाए, खासतौर पर किशोर अवस्था वाली लड़कियों के लिए तो यह निहायत जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहने के तरीकों की जानकारी दी जाए और संभावित खतरा दिखने पर तुरन्त रिपोर्ट करने की जरूरत समझाई जाए।
- आपदा जोखिम कम करने की लड़कियों के अनुरूप व्यवस्था। आपदा, इमरजेंसी और मानवीय संकट की घड़ी में लड़कियों को शारीरिक कमजोरियों को समझते हुए स्थिति के अनुरूप नीति अपनाने की शिक्षा दें।
- जवान लड़कियों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल व्यवहार करने का अधिकार दें। युवा लड़कियों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दे बाल पंचायतों और अन्य मंचों पर उठाने का अधिकार देने पर खास ध्यान दें। स्कूल के पाठयक्रम और शिक्षण कार्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता दें ताकि लड़कियां भविष्य में जलवायु कार्यवाही और सामुदायिक लचीलेपन में अग्रणी भूमिका निभाएं और स्थायी विकास लक्ष्यों पर खास जोर दें। (*13 क्लाइमेट एक्शन*)। ■

संदर्भ

- लिन टीसी एंड एडसेरा ए (2013) सन प्रिफेरेंस एंड चिल्ड्रन्स होमवर्क : द केस ऑफ इंडिया एंड पॉलिसी रिव्यू 9, 32 (4), 553-584
- यूएन विमेन (2020ए) द शैडो पैंडेमिक : वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स एण्ड कोविड-19, न्यूयार्क, यूएसए। https : unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2020/4/infographic-covid-19-violence-against-women-and-girls [Accessed 14 September 2020].

स्तन कैंसर की जांच के लिए बेहतर नवाचार

निमिष कपूर

भारत में, महिलाओं में कैंसर की नियमित जांच करने को लेकर झिझक रहती है। इससे जुड़े निजता, दर्द और रेडियो विकिरण के खतरों की आशंका तो है ही, इस बीमारी से जुड़ा लज्जा का भाव और समुचित जानकारी का अभाव भी है। भारत की बहुत अधिक जनसंख्या को देखते हुए, यहां अनेक महिलाओं की एक साथ जांच करने वाले मेमोग्राम जैसे यंत्र बहुत व्यावहारिक और किफ़ायती नहीं हैं। डॉ सीमा का यह नवाचार चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है जिससे स्तन कैंसर की लाखों मरीजों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने स्तन कैंसर की जांच की किफ़ायती, हल्की और इस्तेमाल में आसान तकनीक विकसित की है।

डॉ ए सीमा केरल में त्रिशूर स्थित सेंटर फॉर मेटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (सी-मैट) में वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी तथा कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से पॉलीमर टेक्नोलॉजी में पीएच.डी. किया है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए महिलाओं के लिए उपयोगी उत्कृष्ट योगदान किए हैं जिनमें स्तन कैंसर की जांच के लिए शरीर में पहना जा सकने वाला एक यंत्र भी है। इन उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदय से 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो भारत में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल में बताया गया है कि स्तन कैंसर विकसित और विकासशील–दोनों ही वर्गों के देशों की महिलाओं को रोगग्रस्त करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) से विश्व भर में हर वर्ष 20 लाख 90 हज़ार महिलाओं को स्तन कैंसर होता है और 6 लाख 27 हज़ार महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। भारत में महिलाओं को होने वाला सबसे आम कैंसर है। भारत में कैंसरग्रस्त महिलाओं में से 14 प्रतिशत को स्तन कैंसर होता है। यह किसी भी उम्र की महिलाओं को हो सकता है लेकिन आम तौर पर यह तीस साल के आस-पास शुरू हो सकता है और 50 से 64 वर्ष की उम्र में इसके सबसे ज्यादा मामले होते हैं। भारत में 28 में से एक महिला के अपने जीवन-काल में स्तन कैंसर होने की आशंका होती है। शहरी महिलाओं में (22 में 1) ग्रामीण महिलाओं (60 में 1) की तुलना नें यह आशंका अधिक होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में भारत में किसी विकलांगता के बाद जीवन जी रहे व्यक्तियों में 5 प्रतिशत कैंसर-जन्य विकलांगता के बाद जी रहे लोग थे।

स्तन कैंसर की ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए, चिकित्सा

लेखक विज्ञान प्रसार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठन) में वैज्ञानिक 'ई' हैं। ईमेल: nkapoor@vigyanprasar.gov.in

इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के क्षेत्र में डॉ सीमा का नवाचार एक बड़ी उपलब्धि है जिससे स्तन कैंसर के लाखों रोगियों का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने स्तन कैंसर की जांच के लिए एक किफ़ायती, हल्का, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकने वाला यंत्र विकसित किया। भारत की बहुत अधिक जनसंख्या को देखते हुए, यहां अनेक महिलाओं की एक साथ जांच करने वाले मेमोग्राम जैसे यंत्र बहुत व्यावहारिक और किफ़ायती नहीं हैं। डॉ सीमा ने बताया कि "त्रिशूर में सी-मैट के मलाबार कैंसर सेंटर (एमसीसी) के निदेशक से मुलाकात के दौरान मेरे मन में स्तन कैंसर की जांच के लिए किफ़ायती, हल्का और इस्तेमाल में आसान यंत्र विकसित करने का विचार आया। बातचीत के दौरान, संस्थान के निदेशक ने भारत में कैंसर, खास तौर पर स्तन कैंसर की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की।"

भारत में, महिलाओं में कैंसर की नियमित जांच करने को लेकर झिझक रहती है। इससे जुड़े निजता, दर्द और रेडियो विकिरण के खतरों की आशंका तो है ही, इस बीमारी से जुड़ा लज्जा का भाव और समुचित जानकारी का अभाव भी है। ज्यादा लागत और स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का अभाव भी बड़े पैमाने पर जांच में बाधक हैं। स्तन कैंसर से महिलाओं के जीवन को बचने वाले ऐसे यंत्र को विकसित करने के एमसीसी के निदेशक के अनुरोध को देखते हुए डॉ सीमा ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया।

मेमोग्राफी की तुलना में, यह एक सरल, शरीर में पहने जा सकने वाला यंत्र है जो महिलाओं के लिए पूरी तरह सुविधाजनक, दर्दरहित और हल्का है तथा उनकी निजता बनाए रखता है। इस जांच में करीब 30 मिनट लगते हैं और 'आशा' कार्यकर्ता भी इसे लगा सकती है।

उनको पता चला कि उनके अनुसंधान समूह द्वारा विकसित चिपथर्मीस्टर कैंसर के प्रारम्भिक स्तर में रोगग्रस्त कोशिकाओं के तापमान में बहुत ही कम बदलाव का भी पता लगा लेते हैं। इसके आधार पर वह 'ताप-संवेदी जांच प्रणाली के जरिए स्तन कैंसर का प्रारम्भिक स्तर पर ही पता लगाने और जांच कर पाने' की प्रणाली विकसित करने में सफल रहीं। मेमोग्राफी की तुलना में, यह एक सरल, शरीर में पहने जा सकने वाला यंत्र है जो महिलाओं के लिए पूरी तरह सुविधाजनक, दर्दरहित और हल्का है तथा उनकी निजता बनाए रखता है। इस जांच में करीब 30 मिनट लगते हैं और 'आशा' कार्यकर्ता भी इसे लगा सकती है। इस पहने जा सकने वाले यंत्र के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) के साथ 2-डी और 3-डी सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है। जीयूआई एक ऐसा इंटरफेस है जिसके जरिए उपयोगकर्ता चित्रमय वक्रों (ग्राफिकल आइकोन्स) और प्राइमरी नोटेशन जैसे श्रव्य संकेतकों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के संकेत समझ सकती है। यह लिखित विवरणों और निर्देशों की तुलना में कहीं आसान और समझ में आ सकते हैं।

डॉ सीमा द्वारा विकसित यंत्र की मदद से ग्रामीण और शहरी भारतीय महिलाओं की बड़े पैमाने पर स्तन कैंसर की किफ़ायती जांच

संभव हो सकती है। यह यंत्र अत्यंत संवेदनशील है इसलिए तुरंत प्रारम्भिक जांच के लिए यह बहुत उपयुक्त है। घने स्तन ऊतकों वाली युवा महिलाओं के लिए भी यह उपयोगी है।

गांवों की महिलाएं अस्पताल जाने में झिझकती हैं। इस यंत्र से महिला के घर या मुहल्ले में ही पूरी गोपनीयता के साथ जांच हो सकती है इसलिए ज्यादा महिलाएं इस जांच के लिए तैयार हो सकती हैं। इस यंत्र के जरिए जांच से भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर पर नियंत्रण रखा जा सकता है और बीमारी की प्रारम्भिक अवस्था में ही जांच के बाद ही पूरा उपचार हो जाने से महिलाओं का जीवन बचाया जा सकता है। इस आविष्कार के लिए, डॉ सीमा को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1918 का नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया जो भारत में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के जरिए महिलाओं के विकास के लिए 2019 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री के पुरस्कारों के नवाचार वर्ग में उनके आविष्कारों को 10 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों में चुना गया। उन्हें बॉय्ज़कास्टफ़ेलोशिप से भी नवाजा गया है जिसके अंतर्गत वह अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेन्ट ऑफ मेटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में विजिटिंग साइंटिस्ट रहीं। उन्हें ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ फर्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया द्वारा 'ओपीपीआई रेकोग्निशन' से भी नवाजा गया।

स्तन कैंसर का पता लगाने की यह पहने जा सकने वाले यंत्र और विश्लेषण प्रणाली अंतर-विषयीय (इंटरडिसिप्लिनरी) है और इसके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरी, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान जैसे अनेक विषयों की विशेषज्ञता ज़रूरी है। उत्कृष्टता के प्रति उनकी ललक, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, स्पष्ट दृष्टि, और सीखने के प्रति उदार दृष्टिकोण ने उन्हें इतना सशक्त बनाया जिससे वह बहु-विषयीय गतिविधियों वाली इस उपलब्धि को हासिल कर सकी। इस प्रौद्योगिकी को उत्पादन और वितरण के लिए एक निजी इंजीनियरी कंपनी को दिया गया है। व्यापक स्तर पर इस प्रणाली के परीक्षण, नियामक एजेंसियों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने, और पूरे देश के लिए इस प्रणाली का पहली बार उत्पादन करने की प्रक्रियाओं के लिए डॉ सीमा कंपनी को मदद कर रही हैं। साथ ही, उन्होंने इस प्रौद्योगिकी को अधिक उन्नत करते हुए, 3-डी विश्लेषण प्रणाली विकसित की जिसके जरिए स्तन कैंसर के छह प्रमुख संकेतकों का पता चलता है। ये संकेतक हैं – ट्यूमर की स्थिति, गहराई, आकार, मेटाबोलिक ऊष्मा का पैदा होना और रक्त के फैलाव की दर।

पिछले बीस वर्षों के दौरान, डॉ ए सीमा विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप 15 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं और परामर्श सेवाएं संपन्न कीं जिनका कुल मौद्रिक मूल्य 15 करोड़ रुपये था। 3 प्रौद्योगिकियां व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उद्योगों को सौंपी गईं और 4 अन्य प्रौद्योगिकियां व्यावसायिक हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। उनकी अनुसंधान और विकास गतिविधियां व्यावसायिक अनुसंधान और पायलट प्लांट स्तर पर प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन पर केन्द्रित हैं। औद्योगिक उपयोगिता और सामरिक क्षेत्रों में काम आने वाले महत्वपूर्ण उत्पादों वाली स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने वाली सामाजिक महत्व की परियोजनाएं विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर संपन्न की गईं।

इन परियोजनाओं के अंतर्गत तैयार किए गए कुछ उत्पाद इस प्रकार हैं – ग्राफीन, एयरोजेल और सक्रिय कार्बन-आधारित सुपर कैपेसिटर; चिपथर्मीस्टर, पीएज़ोकंपोजिट-बेस्डएक्चुएटर और बार-बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्रक्षेपण यानों के लिए क्रिस्टोबेलाइट आदि।

विभिन्न ऊर्जा-भंडारण एप्लीकेशनों के लिए उन्होंने 0.1 से 300 फॉरेनहाइट तापमान तक काम कर सकने वाले ग्राफीन-आधारित सुपरकैपेसिटर और साथ ही देश के रक्षा-तंत्र के लिए उपयोगी ग्राफीनकौइन सेल मॉड्यूल भी विकसित किए। 300 फारेनहाइटग्राफीन सुपरकैपेसिटर्स का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा स्टोरेज के लिए किया जाता है। इनके अलावा, वह ईसीआईएल के सहयोग से,इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के लिए मतदाता द्वारा वोट डाले जाने की पुष्टि के लिए वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिटट्रेल (वीवीपीएटी) में काम आने वाले एयरोजेल सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल भी विकसित कर रही हैं। इससे ड्राइ सेल बैटरियों पर होने वाला बड़ा खर्च बचेगा और इन बैटरियों की वजह से पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होगा।

नियमित बिजली की आपूर्ति से वंचित दूर-दराज के इलाकों में लोगों को रात में बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाने और अंधेरे में बाहर निकालने में दिक्कतें आती हैं। डॉ सीमा ने एक तेजी से रिचार्ज होने

वाला इमरजेंसी लैंप बनाया है जो एक मिनट से भी कम समय में रिचार्ज किया जा सकता है और एक घंटे तक रोशनी देता रहता है। यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से चार्ज किया जा सकता है। घरों में बिजली के कनेक्शनों से वंचित दूर-दराज की महिलाओं के लिए यह बड़ा उपयोगी है। यह प्रौद्योगिकी व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू करने के लिए एक स्टार्ट-अप उद्योग को दी गई है। डॉ सीमा आजकल अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सौर लैंप बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं। इससे वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकेंगे और भारत के हर घर में रोशनी पहुंचने का सपना भी पूरा होगा।

डॉ सीमा ने ग्राफीन-बेस्डट्रांसपेरेंट एकाउस्टिक ट्रांसड्यूसर भी विकसित किए हैं जिनका शोर कम करने (एक्टिव नौइज़ कैंसिलेशन-एएनसी) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग शिशुओं के इंक्यूबेटर में किया जा सकता है जहाइन शिशु पर, अनावश्यक बाहरी आवाजों को समाप्त करते हुए, बाहर से नज़र रखी जा सकती है। अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) में शोर कम करने-समाप्त करने में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने बार-बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्रक्षेपण यानों (रियूजेबल लांच वेहिकल-आरएलवी) के लिए एडहेसिव का रिइन्फोर्सिंग फिलर मेटेरियल भी तैयार किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो- आईएसआरओ) ने अपने स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपैरिमेंट (एसआरई-I) में इन फिलर्स का इस्तेमाल किया है। इसलिए, सी-मैट ने इस अंतरिक्ष-अनुरूप फिलर के प्रारम्भिक प्लांट में उत्पादन शुरू किया है। इसरो ने इस सामग्री का अनुमोदन कर दिया है और इसे अपने अन्तरिक्ष सामग्री के स्वदेशीकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसरो ने इस कार्य के लिए डॉ सीमा के अनुसंधान ग्रुप को प्रशस्ति पत्र भी दिया है।

स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए पहने जा सकने वाले यंत्र के प्रारम्भिक परीक्षण के दौरान, इस यंत्र के जरिए कुछ महिलाओं में कुछ अनियमितताएं पता चलीं। समय पर इन अनियमितताओं का पता चलने से उनका उपचार हो सका और उनका जीवन बचाया जा सका। डॉ सीमा इसे अपने जीवन का गदगद कर देने वाला अनुभव मानते हैं।

डॉ ए सीमा का जन्म 20 अप्रैल 1972 को केरल राज्य के कोज़ीकोड जिले में हुआ। ऐसे समय में, जब विज्ञान के अधिकतर विद्यार्थी इंजीनियरी और मेडिकल पेशे की तरफ भाग रहे थे, सीमा की रुचि बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान में थी। वह ऐसा कॅरिअर चाहती थीं जहां वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के विकास में योगदान दे सकें।

गेट (जीएटीई) परीक्षा पास करने के बाद, उन्होंने कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पॉलीमरटेक्नोलॉजी में एमटैक किया। इसके बाद वह दो साल तक विश्वविद्यालय के पॉलीमरसाइंस एंड रबर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेन्ट में प्रवक्ता रहीं और प्रोफेसर सुनील नारायण कुट्टी के मार्गदर्शन में, कंपोजिट्स के क्षेत्र में पीएचडी करने लगीं। प्रोफेसर कुट्टी न केवल सीमा सुपरवाइज़र रहे, बल्कि उन्होंने पूरे शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान उन्हें प्रेरित किया और उनके शोध-कार्य को तराशा। 1988 में उन्हें सीएसआईआर की सीनियर रिसर्च फैलोशिप भी मिली और सेंटर फॉर मेटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (सी-मैट) में नौकरी का प्रस्ताव भी मिला। सी-मैट इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, हिस्से-पुर्जों और यंत्रों के निर्माण से जुड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। डॉ सीमा ने सी-मैट से अनुसंधान करने का फैसला किया।

उनका मानना है कि अनुसंधान की सफलता उसके समाज के लिए उपयोगी होने में है। उनके लिए जीवन में सबसे शानदार और दिलचस्प काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के जरिए समाज की समस्याओं के समाधान हासिल करना है। उनके लिए जीवन में सबसे खुशी की बात यही है कि उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकें। उदाहरण के लिए, स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए पहने जा सकने वाले यंत्र के प्रारम्भिक परीक्षण के दौरान, इस यंत्र के जरिए कुछ महिलाओं में कुछ अनियमितताएं पता चलीं। समय पर इन अनियमितताओं का पता चलने से उनका उपचार हो सका और उनका जीवन बचाया जा सका। डॉ सीमा इसे अपने जीवन का गदगद कर देने वाला अनुभव मानते हैं।

वह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से चर्चा करने का समय निकाल लेती हैं और उनके बीच लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यान देती हैं। डॉ सीमा उन्हें विज्ञान में कॅरिअर तलाशने और मानव-जाति की प्रगति के लिए काम करने की प्रेरणा देती हैं। निश्चय ही, डॉ सीमा ने स्तन कैंसर का जल्दी पता लगाने के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। उनका मानना है, ''सफलता का तात्पर्य अपने व्यक्तित्व के बेहतरीन पक्ष को तराश कर बाहर लाना है ताकि सब के जीवन में सार्थक बदलाव आ सके।'' ■

एमएसएमई में महिलाएं

फ़ैज़ असकरी

महिलाओं की अगुवाई में विकास का फॉर्मूला ही आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। खास तौर पर एमएसएमई क्षेत्र में यह बात और प्रासंगिक है। भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहां लघु और छोटे उद्यमों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जबरदस्त संभावना और क्षमता है। इससे अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में भी मदद मिल सकती है।

यह सच और आम तौर पर स्वीकार्य है कि सशक्त महिला अपने परिवार, समाज और समुदाय में बदलावकारी भूमिका निभा सकती है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि समाज की परिपक्वता के स्तर को इस आधार पर समझा जा सकता है कि वहां महिलाओं की स्थिति क्या है। एक ओर जहां भारत में समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत है, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं जो समाज या लोगों द्वारा लागू की गई हैं। लैंगिक भेदभाव और महिलाओं से जुड़े अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों की मुख्य वजह महिलाओं को लेकर रुढ़िवादी सोच है। इसके उलट, अगर कोई एक चीज़ समाज में महिलाओं की स्थिति बदल सकती है, तो वह है महिला सशक्तीकरण। महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर कई स्तरों पर काम किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में कई कार्यक्रमों और

लेखक एसएमईस्ट्रीट फाउंडेशन के संस्थापक और महासचिव हैं। ईमेल: faiz@smestreet.in

योजनाओं को लागू किया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और कामकाजी ठिकानों पर महिलाओं की भूमिका, इस मुद्दे से जुड़े दो अहम पहलू हैं।

एसएमईस्ट्रीट फाउंडेशन में महिला उद्यमी समूहों को लेकर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दरअसल, महिला सशक्तीकरण के लिए सबसे अहम पहल महिला उद्यमियों को प्रेरित करना और कामकाजी ठिकानों पर महिलाओं के लिए सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करना है।

एमएसएमई क्षेत्र देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार प्रदान करता है, इसलिए कामकाजी ठिकानों पर महिलाओं को प्रेरित करने में उसकी भूमिका अहम है। हमने हाल में बाज़ार से जुड़ा एक अध्ययन किया था। इसमें हमने महिला कार्यबल की स्थिति को समझने का प्रयास किया था।

एसएमई शी वर्क रिपोर्ट (एसएमई में महिलाओं के कामकाज से जुड़ी रिपोर्ट)

एसएमईस्ट्रीट में हम उद्यमिता, खास तौर पर एसएमई से जुड़े कई महत्वपूर्ण और सामयिक विषयों को उठाते हैं। मार्च 2021 से मई 2021 के दौरान, एसएमईस्ट्रीट ने एमएसएमई से जुड़ने के लिए देशव्यापी संपर्क अभियान चलाया, ताकि एमएसएमई इकाइयों के कार्यबल में महिलाओं की मौजूदगी और भागीदारी के विषय में समझा जा सके। इस अध्ययन में हमने एमएसएमई (कामकाजी ठिकाने) में महिलाओं से जुड़े इन पहलुओं को समझने का प्रयास किया:

- एग्ज़िक्यूटिव कर्मचारी के तौर पर महिलाओं की भूमिका
- फ़ैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी
- प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की भूमिका
- महिला कार्यबल के बारे में कारोबार के मालिकों की राय
- संस्थान के लिए महिला कर्मचारियों की उत्पादकता
- महिला कार्यबल की सामाजिक-आर्थिक स्थिति
- किसी संस्थान के लिए महिला कर्मचारी होने के अहम फ़ायदे
- ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो महिला कार्यबल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

एसएमईस्ट्रीट, कामकाजी ठिकानों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के अलावा, सफलता की कहानियों के माध्यम से महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। फाउंडेशन उन महिलाओं को नीतियों और योजनाओं के बारे में भी दिशा-निर्देश और जानकारी मुहैया कराता है, जो उद्यमी बनना चाहती हैं।

महिला उद्यमिता को लेकर सरकार का फ़ोकस

महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (डब्ल्यूईपी) को 8 मार्च, 2018 यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुरू किया गया। इसे नीति आयोग की प्रमुख योजना के तौर पर शुरू किया गया है। महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म को देशव्यापी स्तर पर लागू किया गया है और इससे जुड़े पोर्टल पर राज्य आधारित कार्यक्रम/रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है। महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ता के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद सभी सेवाएं मुफ़्त उपलब्ध हैं। महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म स्थापित महिला उद्यमियों और उद्यमी बनने को इच्छुक महिलाओं, दोनों तरह की महिलाओं की मदद करता है।

महिला उद्यमिता को पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय नई स्टार्टअप कंपनियों को फ़ंड भी मुहैया करा रहा है। साथ ही, मंत्रालय ने महिला स्वयं-सहायता समूहों की मदद और प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

महिलाओं की अगुवाई में विकास का फॉर्मूला ही आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। खास तौर पर एमएसएमई क्षेत्र में यह बात और प्रासंगिक है। भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहां लघु और छोटे उद्यमों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जबरदस्त संभावना और क्षमता है। इससे अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में भी मदद मिल सकती है। ■

हथकरघा क्षेत्र में महिलाएं

सदियों से हथकरघा को कपड़े के क्षेत्र में भारत के विशेष कौशल के तौर पर पहचान मिली हुई है। कपड़े और डिज़ाइन पर किसी क्षेत्र के भौगोलिक, धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों का असर होता था। भारत के अलग-अलग हिस्सों में कपड़ों की अलग-अलग शैलियों का प्रचलन था- जैसे कि चंदेरी का मलमल, बनारस की ज़री, राजस्थान और ओडिशा में टाई और डाई उत्पाद, पाटन की पटोला साड़ियां, हैदराबाद का हिमरू, पंजाब का फुलकारी और खेस, बंगाल का जमदानी और असम व मणिपुर की पारंपरिक डिज़ाइन वगैरह। भारतीय हथकरघा का डिज़ाइन और बुनाई दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है।

वित्तीय रूप से स्वतंत्र भारतीय हथकरघा क्षेत्र काफी पुराने वक्त से महिलाओं के सशक्तीकरण का माध्यम रहा है और रोज़गार देने के मामले में इस क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा है। अपने आकार और रोज़गार की संभावना की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी अहम है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में हथकरघा क्षेत्र बेहद प्रासंगिक है। दरअसल, यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र से भी जुड़ा है। हथकरघा क्षेत्र कच्चे माल के तौर पर कृषि उत्पादों का इस्तेमाल करता है, इसलिए यह क्षेत्र कृषि उत्पाद के लिए बेहतर बाज़ार है। अतः, ऐसी अर्थव्यवस्था में हथकरघा के महत्व को समझा जा सकता है, जहां बहुसंख्यक लोग अब भी अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। दूसरा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे तौर पर महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है। साल 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में 23 लाख महिला बुनकरों और अन्य कर्मियों को रोज़गार मिला हुआ है। हथकरघा क्षेत्र में मुख्य तौर पर घर से ही काम किया जाता है और इससे जुड़े श्रम में पूरे परिवार का योगदान होता है। अतः, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी (70 प्रतिशत से भी ज़्यादा बुनकर और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मी महिलाएं हैं) की वजह से पैसा सीधे उनके हाथ में जाता है। इस तरह, वित्तीय स्वतंत्रता के जरिये महिलाओं का सशक्तीकरण होता है और घर के बाहर और अंदर, दोनों जगहों पर उनकी स्थिति बेहतर होती है।

चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20

लिंग के हिसाब से हथकरघा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों की संख्या

लिंग	ग्रामीण	शहरी	कुल
पुरुष	7,78,772 26 प्रतिशत	1,96,961 42 प्रतिशत	9,75,733 28 प्रतिशत
महिला	22,74,516 74.5 प्रतिशत	2,71,769 58 प्रतिशत	25,46,285 72.3 प्रतिशत
ट्रांसजेंडर (किन्नर)	403 0.0 प्रतिशत	91 0.0 प्रतिशत	494 0.0 प्रतिशत
कुल	30,53,691	4,68,821	35,22,512

चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के मुताबिक, भारत में कुल 31.45 लाख घरों के लोग हथकरघा गतिविधियों (बुनाई और इससे संबंधित अन्य कार्य) से जुड़े हैं। तीसरी जनगणना में यह आंकड़ा 27.83 था। हथकरघा से संबंधित अन्य तरह की गतिविधियों के साथ भी बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं। इन गतिविधियों में महिला कार्यबल की संख्या पुरुषों के मुकाबले दोगुनी है। शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में इसी तरह की स्थिति है। इस क्षेत्र से संबंधित अन्य कार्य करने वाली 27.1 प्रतिशत महिलाओं के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है या उन्होंने प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाई पूरी नहीं की है। इसी तरह, इस क्षेत्र में ऐसे पुरुष कर्मी 20.5 प्रतिशत हैं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है या प्राथमिक स्तर भी पढ़ाई पूरी नहीं की है। ■

स्रोत : अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20

#MyHandloomMyPride (मेरा हथकरघा, मेरा गौरव)

नई दिल्ली में हथकरघा दिवस मनाते प्रकाशन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी

पुलिस और सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी

रेखा नांबियार

समाज और कार्यस्थल में महिलाओं की भूमिका के लिए भारत अध्ययन का रोचक विषय है। कानूनी तौर पर तो हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सब अधिकारों की गारंटी दी गई है परंतु सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समानता दिए जाने की प्रक्रिया की गति धीमी ही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिला अधिकारी होने के नाते मैं 20 वर्ष के अपने अनुभवों के आधार पर देशभर में पुलिस संगठनों में महिलाओं की बदलती छवि के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं।

महिलाओं को कार्यस्थल पर मानसिक और यौन प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, इस दिशा में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के प्रति भेदभाव और उपेक्षा के मामले बड़ी संख्या में सामने आते ही रहते हैं। देशभर के पुलिस थानों और कार्यालयों में महिलाओं के लिए बाथरूम वगैरह की कमी जैसी समस्याएं ज्यों की त्यों चली आ रही हैं। जिम्मेदारी और सम्मान वाले कार्य सौंपने में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है और परिवार से सहयोग कम मिलने के कारण महिलाएं अपनी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पातीं। जानबूझकर या अनजाने में आने वाली अड़चनों की वजह से ही महिलाओं के प्रति समानता का वायदा पूरा नहीं हो पाता।

मैं मन ही मन सोचती हूं कि यह मेरी अच्छी किस्मत ही थी कि मेरा जन्म सुशिक्षित परिवार में हुआ और बाल्यावस्था से ही मुझ में आत्मसम्मान की भावना विकसित हो गई थी। मुझे अवसर या समानता के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। मुझे कभी परिवार के असहयोग अथवा विरोध का दबाव नहीं सहना पड़ा। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि बहुत सी महिलाओं के लिए प्रगति की राह कठिनाइयों और अड़चनों से भरी थी।

जैसे-जैसे कार्यस्थल में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे ही कार्यस्थल का वातावरण भी बदल रहा है। यदि हम 1940 के दशक से 1970 के दशक के बीच उभरी तीन पीढ़ियों– "द बेबी बूमर्स", "द जेनएक्सयर्स" और "द मिलेनियल्सी" के दौर में लोगों की मानसिकता, सामाजिक चलन और रीति-रिवाज़ तथा कार्यस्थल के माहौल पर गौर करें तो यह अंतर साफ समझ में आ जाएगा।

"बेबी बूमर्स" 1940 और 1950 के दशक में जन्मी उस पीढ़ी की महिलाएं हैं जिन्हें जन्म से ही यह समझाया गया था कि विवाह करके मां बनना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। असल में उस दौर में कामकाजी बनने की सोचने वाली महिलाओं को आक्रोश और प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी और उन्हें हल्के आदर्शों वाला माना जाता था। इसी वजह से कुछेक साहसी महिलाओं ने ही बाहर निकलकर काम करने का विकल्प अपनाया।

इसके विपरीत 1960 और 1970 के दशकों में जन्मी "द जेनएक्सार्स" पीढ़ी की महिलाओं ने बदलाव की प्रक्रिया को बेहतर विकल्प माना। उन्होंने सफल विवाहित जीवन और कुशल महिला अधिकारी दोनों की भूमिकाएं बखूबी निभाईं। बदलाव लाने वाली अग्रणी पीढ़ी होने के कारण चुनौतियों का सामना तो उन्होंने भी किया पर हालात वैसे जटिल या उग्र नहीं थे। 'बेबी बूमर्स' द्वारा शुरू किए गए नारीत्व आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इस पीढ़ी ने पुरुषों की बपौती मानी जाने वाली चुनौतियां झेलने का दम दिखाया और सशस्त्र बलों में उन पदों पर पहुंच गईं जिन्हें संभालना केवल पुरुषों का ही एकाधिकार समझा जाता था।

उन्होंने कॅरिअर (भविष्य) और परम्परा दोनों में तालमेल बनाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की।

लेखिका 04 बीएन एनडीआरएफ, अरक्कोणम की पहली और एकमात्र महिला बटालियन कमांडिंग ऑफिसर हैं और वे आपदा विमोचन दल के अभियानों की कई बार इंचार्ज रही हैं। ईमेल: rekhanam@gmail.com

प्रथम तो यह कि उन्होंने भविष्य में महिलाओं के लिए गैर-परम्परागत सेवाओं में भर्ती होने का रास्ता खोला और पुरुषों के वर्चस्व वाले अनेक दायित्व पूरे करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

उनका इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा योगदान था अगली पीढ़ी ''द मिलेनियल्स' को ऐसी सुव्यवस्थित महिलाओं के रूप में तैयार और विकसित करना जिनमें पिछली पीढ़ी जैसा कमतरी का एहसास या महिला होने के कारण किसी प्रकार की हीनता की भावना न हो।

1980 और 1990 के दशकों में जन्मे पुरुष अधिक खुली सोच वाले हैं और वे कॅरिअर चुनने में स्त्री-पुरुष भेद की परम्परावादी सोच या कुंठा से जकड़े रहने की व्यवस्था को सिरे से नकारते हैं। मिलेनियल पीढ़ी के ये पुरुष कार्यबल में महिलाओं के आने का स्वागत करते हैं और अपनी महिला सहकर्मियों से समानता और सम्मान का व्यवहार करते हैं।

जैसे-जैसे कार्यस्थल में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे ही कार्यस्थल का वातावरण भी बदल रहा है। यदि हम 1940 के दशक से 1970 के दशक के बीच उभरी तीन पीढ़ियों – ''द बेबी बूमर्स'', ''द जेनएक्सयर्स'' और ''द मिलेनियल्सी'' के दौर में लोगों की मानसिकता, सामाजिक चलन और रीति-रिवाज़ तथा कार्यस्थल के माहौल पर गौर करें तो यह अंतर साफ समझ में आ जाएगा।

मिलेनियल पीढ़ी की महिलाएं इसी विश्वास को लेकर बड़ी हुई हैं कि उन्हें सशस्त्र बलों में कॅरिअर बनाने की आकांक्षा रखने का अधिकार तो है ही साथ ही उन्हें राष्ट्रनिर्माण में भी सहयोग और योगदान करना है।

40-50 वर्ष के थोड़े समय में ही सोच में इतना जबरदस्त बदलाव आ गया है। इस प्रक्रिया में बेहद खींचातानी और विरोध उभरे लेकिन ईश्वर की कृपा से स्त्री-पुरुष समानता की दिशा में अटल इच्छा शक्ति से प्रयास चलते रहे।

अब जैसे-जैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने अधिकार के लिए सामने आ रही हैं वैसे ही एक शांत क्रांति भी आती जा रही है। महिलाओं में अपने स्वयं के प्रति, अपनी योग्यताओं के प्रति और अपनी कार्यक्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास आमतौर पर बढ़ रहा है। वे जीवन में एक मूकदर्शक बने रहना नहीं चाहतीं अपने जीवन के बारे में अहम फैसले लेने लगी हैं। जिस गति से महिलाएं स्वतंत्र सोच अपना रही हैं उसे देखते हुए इन बदलावों की गति भी तेज होती जाएगी।

इस बढ़ती कार्यक्षमता के आधार पर मुझे अपने जैसी उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है जो इस सिस्टम (व्यवस्था) में दस-बीस वर्ष या और भी ज्यादा वक्त से अपना योगदान करती आ रही हैं। सशस्त्र बलों में सेवारत महिलाओं का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वे इन बलों में नई आने वाली महिलाओं को रास्ता दिखाएं और अपने अनुभव के आधार पर उनका मनोबल बढ़ाएं।

महिलाओं के लिए यह समझना भी इतना ही जरूरी है कि वे सिस्टम के विरोध में खड़ी हो रही हैं तो स्वाभाविक ही उन्हें प्रतिरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें एकदम सहज रहकर इस प्रतिरोध का प्रतिकार करना होगा और कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ अपना स्थान स्वयं ही बनाना होगा क्योंकि यह कॅरिअर उन्होंने खुद ही चुना है। इस प्रयास और इस समूची प्रक्रिया में यह समझ लेना भी आवश्यक है कि हर अड़चन और अवरोध स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव के कारण ही नहीं आता है।

किसी भी कॅरिअर में सफलता पाने के लिए निष्ठा और बुद्धिमानी; कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति; संकल्प और स्पर्धा में टिके रहने की भावना होना निहायत जरूरी है।

कार्यस्थल में चुनौतियां तो हरदम रहेंगी। हमेशा हालात कठिन होंगे। विरोध और प्रतिकार भी होगा। असफलताएं भी आती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसी संघर्ष का नाम दृढ़ता है। असफल होने से बड़ा फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि नाकाम रहने के बाद आप क्या करते हैं। जरूरी तो यही है कि आप स्वयं को संभालें और अधिक साहस और संकल्प के साथ फिर जुट जाएं। प्रसिद्ध लेखक रियान होलिडे के अनुसार ''मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं।''

यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हम मान लें कि कड़ी मेहनत, मजबूत इरादा और दृढ़ संकल्प ही सफल व्यक्तियों के मुख्य साधन रहे हैं फिर चाहे वे पुरुष हो अथवा महिला। दोनों के लिए यही नियम लागू होते हैं।

इस मोड़ पर मैं अपने कॅरिअर की शुरुआत के दौर में घटित दो घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया और मैं वैसी अफसर बन सकी जैसी आज हूं। इन दोनों अनुभवों से मैं समझ गई कि जो कार्य मैं कर रही हूं उसमें किसी तरह भी मेरे महिला होने का कोई प्रभाव नहीं था। इसी प्रकार मेरे सहयोगियों के पुरुष होने का भी हमारे परस्पर विचार-विमर्श या सोच पर कोई असर नहीं था।

कांस्टेबल नौटियाल (नाम बदलकर लिख रही हूं) मेरी कमान में काम करते थे। जब मैंने यूनिट ज्वॉइन की तो वे पहले से ही वहां कार्यरत थे। ज्वॉइन करने के वक्त ही मुझे बता दिया गया था कि कांस्टेबल नौटियाल को शराब पीने की लत थी और वे झगड़ालू किस्म के होने के साथ-साथ अनुशासन में भी नहीं रहते थे। समझाने-बुझाने या सजा देने का भी उन पर कोई असर नहीं होता था। जल्दी ही मुझे रिपोर्ट मिली कि वे ड्यूटी पर शराब पीकर आए थे। मैं अनुशासनहीनता सहन नहीं करती थी, मैंने उन्हें चार्जशीट दे दी और पूरे एक सप्ताह का वेतन काट दिया। दो दिन बाद शराब पिए होने पर उन्होंने झगड़ा कर लिया। इस बार भी उन पर तुरन्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। फिर, उनका सात दिन का वेतन काट लिया गया। तीसरी और चौथी बार भी उन पर यही दंडात्मक कार्रवाई की गई। पर, कांस्टेबल नौटियाल जरा भी नहीं बदले। मेरे अधीनस्थ सहयोगियों ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की कागज़ी कार्रवाई चलाने का सुझाव दिया।

आखिरी फैसला करने से पहले मैं कांस्टेबल नौटियाल से बात करने उनकी ड्यूटी चौकी पर गई। एक-दूसरे पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाए गए। किसी ने भी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ा और न किसी को भला-बुरा कहा। मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि वे खुद की बर्बादी के रास्ते पर क्यों जा रहे थे।

मैं उनके साथ बैठकर यह पूछने में लगी थी कि वे किस खास वजह या परेशानी से यह सब कर रहे थे। आधे घंटे की पूरी खामोशी के बाद उन्होंने अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने मुझे बताया

कि उनके तीन बेटे 'मस्कुलर डिस्ट्रोफी' यानी मांसपेशियों में तेजी से कमज़ोरी आने की आनुवांशिक बीमारी के कारण मर चुके हैं। उनके तीनों बेटों में 7 से 9 वर्ष की आयु के बीच यह बीमारी होने का पता चला और 14 से 17 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।

इसके बाद, मैंने उनकी पत्नी और कुछ अन्य रिश्तेदारों को उनके पैतृक गांव से बुलवाया। कांस्टेबल नौटियाल की स्वीकृति और रजामंदी से उन्हें नशामुक्ति कार्यक्रम में भर्ती कराया गया और उन्हें और उनकी पत्नी की काउंसलिंग कराने की भी व्यवस्था की गई।

कांस्टेबल नौटियाल में जल्दी ही पूरी तरह बदलाव आ गया और कुछ महीने बाद वे ड्यूटी पर आ गए। कांस्टेबल नौटियाल मेरे सर्वाधिक अनुशासित और समर्पित कांस्टेबल बन गए थे। उन पर हर काम के लिए भरोसा किया जा सकता था। मुझे ज्ञात था कि नशामुक्ति में सफल होना बहुत कष्टकारी होता है और अक्सर व्यक्ति वापिस नशे का शिकार हो जाता है, इसलिए मैं पूरे ध्यान से उनकी हालत पर नज़र रखती थी। सद्व्यवहार के प्रति उनकी निष्ठा अद्भुत थी।

कई महीने बाद मुझे आवश्यक निजी कार्य के लिए करीब एक महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। उन दिनों मोबाइल फोन भी नहीं होते थे जिससे मैं अपने दफ्तर और वहां के कामकाज से पूरी तरह कटी रही।

ड्यूटी पर लौटने पर मुझे पता लगा कि कांस्टेबल नौटियाल फिर शराब पीने लगे थे। शराब पीने के बाद नशे में कार्यस्थल से काफी दूर उनका कुछ अज्ञात लोगों से झगड़ा हो गया और मारपीट में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले दिन, सड़क के किनारे उनका शव मिला था।

दफ्तर में मेरे अर्दली ने मुझे बताया कि मृत्यु से पहले कांस्टेबल नौटियाल ने लगातार तीन दिन मुझसे मिलने की कोशिश की थी। बाद में मुझे यह भी पता चला कि उनके चौथे और सबसे छोटे बेटे को भी आठ वर्ष की उम्र में 'मस्कुलर डिस्ट्रोफी' होने की पुष्टि हो गई थी।

युवा कांस्टेबल रावत की पहली तैनाती मेरी यूनिट में हुई थी। वे क्विक रिएक्शन टीम (त्वरित प्रतिक्रिया दल) में थे और यह जानने के लिए कि उनकी टीम चुस्त और मुस्तैद है या नहीं, वे रात में एक बजे मॉक ड्रिल कर रहे थे। जैसे ही टीम के सदस्य अपने-अपने वाहनों से निकलकर उस स्थल के अंधेरे-सुनसान कोने में उतरे और ऊबड़-खाबड़ जमीन पर पोजीशन लेने की उपयुक्त जगह तलाश कर रहे थे तभी मैंने कांस्टेबल रावत को लड़खड़ाकर गिरते देखा।

पर, एक सच्चे सैनिक की भांति उन्होंने अपने हथियार को धरती से टकराने से बचाने की पूरी कोशिश की और इसी सिलसिले में वे कोहनी के बल धड़ाम से गिर पड़े। करीब 10 फुट के फासले पर खड़े-खड़े ही मैंने हड्डी टूटने की जोरों की आवाज सुनी। मैं टॉर्च जलाकर उनके पास गई और उनकी आंखों में असहाय पीड़ा को तैरते देखा। मैंने उनका हथियार उठा लिया ताकि उनकी टूटी हुई बाजू पर वजन कम हो जाए और फिर उन्हें खड़े होने का ऑर्डर दिया। युवा कांस्टेबल ने विरोध में कुछ भी बोले बिना आदेश का पालन किया और खड़े हो गए। उनकी आंखें मेरे चेहरे पर जमी थीं।

मैंने उनकी फ्रैक्चर हुई बाजू की जांच करके उसे टिकाने की कोशिश की और इस समूची क्रिया के दौरान वे एकदम चुप खड़े रहे। मैंने उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर नजदीक वाले टेरिटियरी-केयर ट्रोमा एंड ऑर्थोपेडिक अस्पताल भिजवा दिया और डॉक्टर से उनकी पूरी देखभाल करने का आग्रह भी कर दिया। पूरे समय कांस्टेबल रावत की आंखें मुझ पर टिकी रहीं। जब तक मैंने उन्हें अस्पताल भेजने और इलाज कराने का फैसला किया, उन्होंने न तो अपने दर्द या तकलीफ के बारे में कुछ कहा और न ही कोई सवाल पूछा।

लगातार 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक जागते रहने के बाद सवेरे 9 बजे मेरी शिफ्ट पूरी हुई। मानसिक और शारीरिक थकान के कारण मैं सो जाना चाहती थी क्योंकि शाम पांच बजे से फिर मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली थी।

लेकिन बीती रात की याद और कांस्टेबल रावत के साहसपूर्ण व्यवहार और कांस्टेबल नौटियाल के दु:खद अंत की स्मृति से मैं सोने की बजाय गाड़ी लेकर अस्पताल जा पहुंची। जैसे ही मैं कमरे में घुसी, कांस्टेबल रावत, जो घटना के समय शान्त-स्थिर बने हुए थे, मुझे देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें शारीरिक कष्ट नहीं हो रहा था और न ही दर्द था बल्कि उन्होंने बताया कि मेरे दया-भाव से उन्हें हड्डी टूट जाने से भी अधिक पीड़ा का अनुभव हुआ है। उस युवक की सरलता और विशाल-हृदयता के सामने मैं सम्मान और श्रद्धा के साथ झुककर रह गई।

आज 20 वर्ष से भी अधिक समय के बाद मैं जीवन में बदलाव लाने वाली इन दो घटनाओं का आकलन कर रही हूं। सोचती हूं कि क्या मैंने कुछ नया किया था? क्या मैंने कुछ ऐसा किया था जो कोई पुरुष अधिकारी नहीं कर पाता? क्या मेरा कार्य ऐसा था जो केवल महिलाएं ही कर सकती हैं? ईमानदारी से विचार करने पर मेरा उत्तर था ''नहीं''।

मैंने वही सामान्य शिष्टाचार दिखाया था जो कोई भी अन्य व्यक्ति अपने सहकर्मी को कष्ट में देखकर करता। अन्तर बस इतना था कि कांस्टेबल नौटियाल और कांस्टेबल रावत ने अपने वरिष्ठ अधिकारी की शालीनता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जबकि अधिकारी तो उनकी सार-संभाल में अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह कर रही थी।

मौजूदा राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व मात्र 5.7 प्रतिशत है और वह भी तब जबकि भेदभाव से बचाव के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है जिसमें विभिन्न सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पक्की व्यवस्था की गारंटी दी गई है।

ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं है। तो फिर दोषी कौन है? क्या हमारी सामाजिक धारणाएं और रस्म-रिवाज ही देश के कानून को ठेंगा दिखाकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के अपराधी हैं? या महिलाएं स्वयं ही उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में ढील दिखा रही हैं? हमें यह समझ लेना जरूरी है कि जब तक देश की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी बेड़ियों में जकड़ी रहेगी, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे।

1972 में सुश्री किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी बनकर महिलाओं के प्रति चली आ रही भ्रांतियों को तोड़कर इस दिशा में बड़ी शुरुआत की थी। अब तो हर वर्ष आईपीएस में महिलाओं का चयन हो रहा है। इसी प्रकार अनेक महिलाएं केंद्रीय सशक्त पुलिस संगठनों में अधिकारी बन रही हैं। इस सबके बावजूद पुलिस की नौकरी महिलाओं के लिए सही नहीं मानी जाती।

असली बात यह है कि स्त्री-पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पौरुष और नारीत्व दोनों भावनाओं की एक सुर में निन्दा करनी होगी। हमें स्त्री-पुरुष के बीच संघर्ष नहीं चाहिए बल्कि समय की मांग है कि सभी पुरुष और महिलाएं एकजुट होकर आगे बढ़ें ताकि समानता स्थापित हो और सभी को न्याय मिले। ■

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
टीम वही, कोचिंग नई
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति
श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स
श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था
श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन
श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे
सामान्य अध्ययन
फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स+मेन्स)
प्रारंभ : 25 अगस्त, 2021
मुख्य परीक्षा कोर्स
प्रारंभ : 15 नवंबर, 2021
कक्षाएँ सरकार के दिशानिर्देशानुसार संचालित होंगी।
लाइव कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
संस्कृति ऑनलाइन कोर्सेज़
फाउंडेशन कोर्स
लाइव बैच प्रारंभ : 25 अगस्त, 2021
मुख्य परीक्षा
लाइव बैच प्रारंभ : 15 नवंबर, 2021
प्रारंभिक परीक्षा
पेनड्राइव कोर्स
सप्ताह में 6 कक्षाएँ (प्रतिदिन एक कक्षा) संचालित होंगी।
संपूर्ण कोर्स की पाठ्य सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति
पेनड्राइव /मोबाइल ऐप कोर्स
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव
पेनड्राइव /मोबाइल ऐप कोर्स
राजनीति विज्ञान
द्वारा - राजेश मिश्रा
पेनड्राइव /मोबाइल ऐप कोर्स
9555-124-124
Website:
sanskritiIAS.com
Follow us on:
YouTube
YH-1630/2021

भारतीय खिलौना उद्योग में महिला

राय सेनगुप्ता

भारत में हज़ारों वर्षों से चल रहा खिलौना निर्माण उतना ही पुराना है जितनी पुरानी उसकी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा में (2,500 ईसा पूर्व) टेराकोट्टा खिलौनों के कुछ शुरुआती सबूतों के साथ, इस पर गौर करना उल्लेखनीय है कि भारत में खिलौना निर्माण का इतिहास अटूट रूप से उसके अतीत की बड़ी कहानी से जुड़ा है।

वर्तमान समय में, पारंपरिक भारतीय खिलौने कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, डिजाइन और खिलौना संरचना के साथ क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक बारीकियों के साथ हमारे देश की विविधता को दर्शाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान समय में इस उद्योग में महिलाओं के योगदान के साथ, नए भारत की विकास गाथा में खिलौना निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के खिलौना उद्योग में 30 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। अपनी श्रम प्रधान प्रकृति को देखते हुए, यह उद्योग महिला श्रमिकों के एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में उभरा है। यह, महिला श्रमिकों और इस पूरे क्षेत्र दोनों के लिए पारस्परिक रूप से सशक्तीकरण के रास्ते प्रदान करता है।

एक स्तर पर, खिलौना निर्माण क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, वित्तीय सुरक्षा और कौशल विकास के लिए महिला-बहुसंख्यक कार्यबल को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यह महिलाओं को अपने क्षेत्रों के खिलौनों के स्थानीय और मूलभूत रूपों को संरक्षित करके परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करने के अवसर भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, असम के अधिकांश परिवारों में परंपरा है कि महिलाएं कपड़े की गुड़िया बनाती हैं और मां से बेटी को यह कला सौंपी जाती है। खिलौना निर्माण पुरुषों और महिला कारीगरों के लिए एक-दूसरे के साथ काम करने की संभावनाएं भी पैदा करता है, जिससे समान कार्य विभाजन और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 'विलाचारी' मिट्टी के खिलौनों की निर्माण

लेखक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रिसर्च यूनिट, इन्वेस्ट इंडिया में शोधकर्ता हैं। ईमेल: rai.sengupta@investindia.org.in

लकड़ी के पेंट किए खिलौने

कोंडापल्ली

प्रक्रियाओं को पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटा गया है। पुरुष इसे परतों में रोल करते हैं और सांचे बनाते हैं जबकि महिलाएं खिलौनों को नारियल के खोल में रखे ब्रश से सजाती हैं।

इस क्षेत्र की महिला बहुसंख्यक श्रम शक्ति ने इसकी तेजी से बढ़ती आर्थिक संभावनाओं में योगदान दिया है। वर्तमान में भारत को खिलौना उद्योग 1.5 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान है। 2024 तक इसके 2-3 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की क्षमता है। ऐसी संभावनाएं भारत के जनसांख्यिकीय रुझानों से प्रेरित हैं: 2027 तक, भारत की 80 प्रतिशत आबादी पहली पीढ़ी से संबंधित होगी और प्रति व्यक्ति आय में 2.5 गुना वृद्धि होगी (2016 से)। परंपरागत रूप से निर्मित और पारिस्थितिक रूप से अनुकूल खिलौनों के लाभ के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, भारत की खिलौनों की मांग 5 प्रतिशत के वैश्विक औसत के मुकाबले 10-15 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इस तरह के अनुमान इस क्षेत्र में महिला रोज़गार और महिलाओं के नेतृत्व वाले सामाजिक-आर्थिक विकास के रास्ते को मजबूत करने का संकेत देते हैं।

भारत सरकार ने देश के खिलौना उद्योग में महिला रोज़गार को प्रोत्साहन देते हुए इन चुनौतियों को कम करने के लिए कई पहल की हैं। जनवरी 2021 में, भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति और प्रकृति पर आधारित खेलों और खिलौनों को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों और स्टार्टअप्स के लिए एक हैकथॉन-टॉयकैथॉन शुरू की थी। यह, स्वदेशी खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय निर्माताओं की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करके आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाने का विभिन्न मंत्रालयों का साझा प्रयास था।

खिलौना क्षेत्र को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि इसका 90 प्रतिशत बाजार असंगठित क्षेत्र में है। भारत के खिलौना संघ के अनुसार, घरेलू विनिर्माण का 75 प्रतिशत सूक्ष्म-उद्योगों में और 22 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों में होता है। घरेलू खिलौना विनिर्माण का 3 प्रतिशत से भी कम बड़ी इकाइयों में होता है। इस तरह का औद्योगिक फैलाव विनिर्माण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए मौजूदा इकाइयों को समूहों में संगठित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारतीय खिलौना बाजार का खुदरा मूल्य 16,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से करीब तीन-चौथाई चीन से आयात होता है।

भारत सरकार ने देश के खिलौना उद्योग में महिला रोज़गार को प्रोत्साहन देते हुए इन चुनौतियों को कम करने के लिए कई पहल की हैं। जनवरी 2021 में, भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति और प्रकृति पर आधारित खेलों और खिलौनों को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों और स्टार्टअप्स के लिए एक हैकथॉन-टॉयकैथॉन शुरू की थी। यह, स्वदेशी खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय निर्माताओं की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करके आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाने का विभिन्न मंत्रालयों का साझा प्रयास था। इस प्रक्रिया में स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को शामिल करके, भारत के युवाओं को इसके विकास

पथ में सक्रिय भागीदार बनाया गया। इसके अलावा, विचारों को क्राउडसोर्स करने के इस राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पारंपरिक खिलौनों के माध्यम से, बच्चों को भारतीय संस्कृति के लोकाचार को समझने में मदद करते हुए महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में खिलौना उद्योग के महत्व पर जोर दिया।

देश भर में खिलौना निर्माण समूहों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है और सरकारी प्रयासों से इन्हें सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकारें टॉय पार्कों के लिए जगह आवंटित करने की प्रक्रिया में हैं। इस उद्योग को विनिर्माण समूहों के गठन की दिशा में किए गए प्रयासों का भी लाभ मिला है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के कोप्पल जिले को हाल में देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर के रूप में मान्यता दी गई है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान के अनुरूप, 400 एकड़ का यह क्लस्टर 30,000 लोगों के लिए रोज़गार पैदा करते हुए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का प्रयास है। खिलौना क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कोप्पल क्लस्टर खिलौना क्षेत्र में रोज़गार के लिए विशेष रूप से महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई है। इस क्लस्टर गठन के अंतर्गत महिला श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है, जिससे महिला श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक क्षमता निर्माण और महिला आजीविका की संधारणीयता सुनिश्चित हो सके।

चूंकि भारत अपनी टोयोकोनॉमी का निर्माण करना चाहता है, ऐसे में घरेलू मांग को पूरा करने, आयात को कम करने और वैश्विक बाजार में खिलौना निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में महिला श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत के खिलौना निर्माण उद्योग में महिलाओं के नेतृत्व में नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, जिससे महिलाओं को देश की विकास गाथा के रचनांतरण के लिए सशक्त बनाया जा सके और सदियों पुरानी विरासत को नए भारत को सौंपा जा सके। ■

हमारी पत्रिकाएं

योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती

में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24367453, मोबाइल :9210510126
ई मेल : pdjucir@gmail.com

कवर 2 का शेष

प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने की सीमा को दोगुना करते हुए 20 लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बचत खातों को ऋण खाते से जोड़ने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई प्रयासों से अब आप आत्मनिर्भरता के अभियान में और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ सकेंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एक विशेष फंड बनाया गया है। स्वयं सहायता समूह भी इस फंड से मदद लेकर कृषि आधारित सुविधाओं का निर्माण कर सकेंगे। स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं उचित दर निर्धारित करके इन सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं और दूसरों को किराए पर भी दे सकती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि सुधारों से न सिर्फ हमारे किसानों को फायदा मिलेगा, बल्कि उसके जरिए स्वयं सहायता समूहों के लिए भी असीम संभावनाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब स्वयं सहायता समूह, किसानों से सीधे खरीद कर सकते हैं और दाल जैसी उपज की होम डिलीवरी भी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अब आप उपज का कितनी भी मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। भंडारण पर कोई रोक नहीं है। स्वयं सहायता समूहों के पास यह विकल्प है कि वे सीधे खेत से उपज बेचें या खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके उसको अच्छी पैकेजिंग के साथ बेचें। उन्होंने सुझाव दिया कि स्वयं सहायता समूह ऑनलाइन कंपनियों के साथ जुड़कर, आसानी से अपने उत्पादों की बढ़िया पैकेजिंग कर शहरों में भेज सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मेड इन इंडिया खिलौनों को भी बढ़ावा दे रही है और इसके लिए हर संभव मदद भी कर रही है। खास तौर से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें इस हुनर से परंपरागत रूप से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूहों के लिए काफी संभावनाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी बहनों को घर, शौचालय, बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार बहनों-बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ महिलाओं का सम्मान बढ़ा है बल्कि बेटियों-बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से राष्ट्रनिर्माण के प्रयासों को अमृत महोत्सव से भी जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ से अधिक बहन-बेटियों की सामूहिक शक्ति से अमृत महोत्सव को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से कहा कि वह यह सोचे कि इसके लिए वे सेवा भावना के साथ कैसे सहयोग कर सकती हैं। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए पोषण संबंधी जागरूकता अभियान, कोविड-19 के टीके लगाने, गांवों में स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे चलाए जा रहे अभियानों का भी उदाहरण दिया। ■

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

रजि.सं. डी.एल.(एस)-05/3231/2021-23
Reg. No. DL(S)-05/3231/2021-23 at RMS, Delhi
28 अगस्त, 2021 को प्रकाशित
• 2-3 सितम्बर, 2021 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2021-23
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वातंत्र्य समर | प्रेरक व्यक्तित्वों | महान युगपुरुषों पर

पुस्तकों की विशेष श्रृंखला

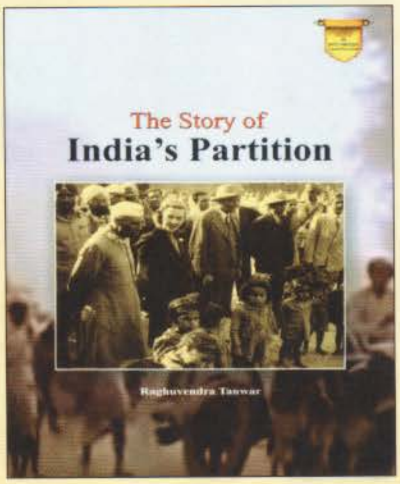

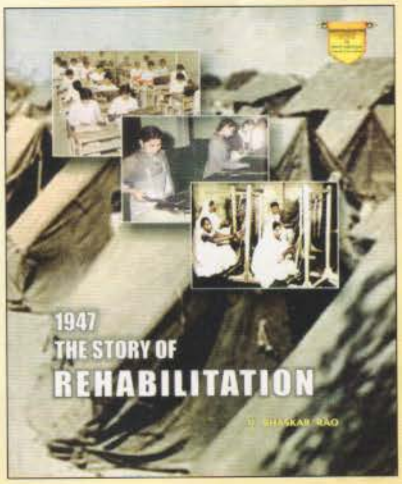

पधारें पुस्तक दीर्घा
भूतल, सूचना भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली

और पुस्तकें प्रकाशनाधीन...

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

/dpd_india @DPD_India /publicationsdivision

प्रकाशक व मुद्रक : मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए चन्दु प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल